राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का १९वां दिवस [संख्या १०

सोमवार, दिनांक १३ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सामान्य प्रशासन, रसद, शिक्षा, समाज-कल्याण, नियुक्ति एवं सार्वजनिक निर्माण-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी व बसेड़ी तहसीलों में अनधिकृत रूप से खेती करने वाले किसानों के विरूद्ध कार्यवाही

२६४. **डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) सन् १९६० में धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी व बसेड़ी तहसीलों में कितनी भूमि भूमिहीन किसानों को दी गई ?

(ख) ऐसी कितनी भूमि है जिस पर उपरोक्त तहसीलों के किसानों द्वारा अनधिकृत रूप से खेती की गई है ?

(ग) गैर कानूनी तौर पर खेती करने वालों के विरुद्ध क्या २ कार्यवाही की गई ?

(घ) ऐसे कितने केसेज़ हैं, जो गैर कानूनी जोत के कारण चलाये जा रहे हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(घ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : जो भूमि दी गई ६३७५ बीघा, तो जो ६०४६ बीघा अनधिकृत रूप से कब्जे में की गई है, उन्हीं अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को वह भूमि दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, उनके लिये गवर्नमेंट ने यह प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है कि इनमें से जो लोग भूमिहीन हैं, १५ एकड़ तक जमीन उनको अलॉट की जाय और ऐसे लोगों ने अनधिकृत रूप से इस जमीन पर कब्जा किया है जिनके पास कि पहले से ही जमीन मौजूद थी, तो उनको इजेक्ट भी किया जाय और उनसे १५ गुना पेनल्टी भी वसूल की जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी तहसीलों से आकर कब्जा किया है; क्या उनको भी दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टोटल होल्डिंग्ज़ हैं उनको कन्सीडर किया जायगा, दूसरी तहसील का कोई सवाल नहीं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या कोई भी भूमिहीन राजस्थान में कहीं भी जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा करता है तो सरकार उसको इजेक्ट नहीं करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूर करेगी अगर उसने ट्रेसपास किया तो। इसमें ऐसा देखा गया कि इतनी लार्ज स्केल पर बेदखल किया गया तो भूमिहीनों की एक नई समस्या पैदा होगी। इसलिये जो भूमिहीन थे उन्हीं लोगों को अलॉट करना उचित समझा गया। आयन्दा के लिये सख्त ऑर्डर दे दिया है कि अगर किसी ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया तो इसका इजेक्टमेंट तो किया ही जायगा उससे पेनल्टी भी १५ गुना वसूल की जायगी।

अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

गैंगल चौकी के पास अजमेर पुलिस द्वारा एक ट्रक में दूध पाउडर की नाजायज बोरियों का पकड़ा जाना

२६५. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या मन्त्री, रसद विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अजमेर पुलिस द्वारा गैगल चौकी के पास एक ट्रक में दूध पाउडर की ३३४ नाजायज़ बोरियां पकड़ी गईं ?

(ख) यदि हां, तो वह ट्रक किसका था, उसका क्या नम्बर था, वह कहां से आया था तथा वह कहां जाने वाला था ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त बोरियां एक विक्रेता ने किसी अन्य व्यापारी को अनधिकृत रूप से बेच दी थी ? यदि हां, तो किस मूल्य में बेची थी ?

(घ) क्या बेचने और खरीदने वाले पर

(श्री अनूपसिंह)

कोई मुकदमा दायर किया गया है ?

(ङ) क्या जिस ट्रक से दूध के पाउडर की बोरियां लाई जा रही थी उस ट्रक के मालिक का कानूनन चालान किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

रसद मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) जी हां, दूध पाउडर के ३३४ कागज़ के थैले (१६७ बोरियों में) गैगल के थाने के पास पकड़े गये थे ।

(ख) ट्रक जैन ट्रान्सपोर्ट का था, नं०, आर. जे. आर. १०७४ अजमेर से जयपुर आ रहा था।

(ग) जी हां, कौनार एन्टरप्राइज़ कम्पनी ने वे दूध के थैले श्री एन. आर. देसाई को अनधिकृत रूप से रु० ३६,००० में बेचे थे ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं। क्योंकि ट्रक में वजन निर्धारित वजन से कम था और उस ट्रक के पास कागजात पूर्ण थे।

श्री अनूपसिंह : इस तरह से नाजायज चीजें किसी के ट्रक में ले जाई जाती हैं, तो क्या उसके मालिक को उसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं ।

श्री अनूपसिंह : वे खरीदने वाले कौन थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह मैंने बता दिया, जिनको बेचा गया था वे थे श्री एन. आर. देसाई ।

श्री अनूपसिंह : यह मिल्क पाउडर राजस्थान सरकार की तरफ से किसको एलॉट हुए थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने बताया कौनार एन्टरप्राइज़ कम्पनी को बेचने के लिए अलॉट किये गये थे ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह कौनार एन्टरप्राइज़ कम्पनी राजस्थान की थी या बाहर की थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कैसे बताया जावे कि यह कौनार एन्टरप्राइज़ कम्पनी बाहर की थी या यहां की थी ? मगर यह दूध उसको दिया गया था ।

श्री श्रीभानसिंह : जब मिल्क पाउडर राजस्थान के यूज़ के लिये अलॉट होता है तो फिर राजस्थान के बाहर की कम्पनी थी तो उस बाहर की कम्पनी को यह दूध अलॉट क्यों किया गया ? यह तो राजस्थान के कंज़म्पशन के लिये आता है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कौनार एन्टरप्राइज़ कम्पनी यहीं राजस्थान की थी ।

श्री श्रीभानसिंह : अभी आपने कहा कि यहां की थी या बाहर की थी, कैसे कह सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मैंने देख लिया है । वह यहीं की थी ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह घटना प्रश्न के आने के पहले ही सरकार के सामने आई थी या प्रश्न प्रस्तुत होने के बाद में सरकार को मालूम हुई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो पकड़ ही लिया गया था और केस भी चल रहा है।

श्री अनूपसिंह : यह चीज़ हर एक के हाथ में आती नहीं है। इसके लिये पर्मिट होता है। इस लिये मैं यह कहूँगा कि यह चीज़ उसको मिली कैसे ?

श्री अध्यक्ष : वह तो माननीय मंत्री ने कहा है कि पर्मिट सरकार ने अलॉट किये। उसने दूसरे को बेच दिया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उसको यह किस काम के लिये दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष : यह बेचने के लिये दिया गया था।

श्री श्रीभानसिंह : क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इस संबन्ध में ऐसे आदेश हैं कि जिसको मिल्क अलॉट किया जावे उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको काम में लिया जाना चाहिये, और दूसरी जगह नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अजमेर के लिए ही था और दूसरी जगह के लिए जब बेचा तो पकड़ लिया गया।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि जब से यह इन्सीडेन्स हुआ है उसके बाद से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान को पाउडर दूध के सम्बन्ध में ब्लेक लिस्ट में घोषित कर दिया है, क्योंकि यहां पर लोगों ने बहुत दूध का ब्लैक किया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि राजस्थान में मिल्क पाउडर आया है और कई जगह बिका है। उसकी रिपोर्ट मौजूद है और कलेक्टर ने उसके लिए सर्टिफिकेट्स दिये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आपका फर्स्ट अलॉटमेंट किस वर्ष में आया। उसके बाद कोई अलॉटमेंट आया है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आया है और बिका है और कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। एक या दो केसेज़ ऐसे जरूर हुए हैं जिनमें ऐसा करने की कोशिश की गई और पकड़ लिये गये।

श्री अनूपसिंह : सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह कोटा किस पर्पज़ के लिये दिया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान में बेचने के लिए दिया था। ४०–५० ऐसे अलग अलग आदमियों को बेचने के लिए अलॉट किया। एक दो केसेज़ ऐसे हुए हैं जिनमें गलत काम किये और जब गलत काम किये तो पकड़े गये।

श्री अनूपसिंह : सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उनको बेचने के लिए नहीं दिये, बल्कि इन्स्टिट्यूट्स, जैसे स्कूल्स आदि में देने के लिये दिये थे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह आपकी गलत खबर है, बेचने के लिये दिये गये थे।

Page No.5

श्री श्रीभानसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि पहले अलॉटमेंट के बाद में आप का दूध का पाउडर किस इयर में आया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एस. टी. सी. ने इम्पोर्ट करना बन्द कर दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : उसने इम्पोर्ट करना बन्द कर दिया या आपको देना बन्द कर दिया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: We have nothing to do with it.

श्री श्रीभानसिंह : This is one reason that they are not allowed to Rajasthan because......

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is a question of the whole India and not of Rajasthan alone.

श्री श्रीभानसिंह : But your statement is quite contrary to what you have just stated in the House.

(विराम)

आप कह रहे हैं कि आ रहा है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किसने कहा कि आ रहा है । मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को पहले सुन लेना चाहिये और बाद में कहना चाहिये ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य ने कहा है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि जो अलॉटमेंट एस. टी. सी. से मिला था उसका अलॉटमेंट भिन्न भिन्न आदमियों में बेचने के लिये किया और उसमें से जिन्होंने गलत तौर से काम किया वे पकड़े गये और उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है और बाकी के लोगों ने सही तौर पर काम किया और मिल्क पाउडर लोगों को बेचा है और कलेक्टर के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं कि उन्होंने बेचा है ; फिर आप क्या चाहते हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : एस. टी. सी. ने उसको बाद में क्यों किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि उन्होंने बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया, इसलिये इसका प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री श्रीभानसिंह : प्रश्न यह है कि इस इन्सीडेन्स के बाद पाउडर मिल्क हिन्दुस्तान में किसी भी जगह नहीं दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग अलॉटमेंट किया गया था और राजस्थान सरकार का शेयर जो था वह राजस्थान को मिला और उसने उसको बेचा । उसके बाद में एस. टी. सी. ने कहा कि हमने इम्पोर्ट नहीं किया ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या आप इयर बता सकते हैं कि पहला अलॉटमेंट कब हुआ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उन्होंने अभी किसी को मिल्क पाउडर का अलॉटमेंट नहीं किया इसलिए हमको भी नहीं मिला । किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इसका अलॉटमेंट अभी तक नहीं किया गया ?

श्री श्रीभानसिंह : क्या राजस्थान सर-

Page No.6

(श्री श्रीभानसिंह)

कार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग की कि हमारे यहां दूध की कमी है इसलिये मिल्क पाउडर दिया जावे और इसलिए वह अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद कोई मांग की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूध की कमी थी इसलिये किया था। उस वक्त अलॉटमेंट हुआ। बाद में कहा तो उनका जवाब यह आया कि हमने इम्पोर्ट नहीं किया है।

श्री अनूपसिंह : वह किस दिन पकड़ा गया और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस वक्त कार्यवाही चालू है और मामला सब-जुडिस है हाई कोर्ट में रिट भी लेकर गये हैं। इसके बारे में यही कहूँगा कि the Case is pending in the Court.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामनारायण।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अब तक उस दूध में से कुछ दूध बचा हुआ है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोविद एवं परिचय परीक्षा पास व्यक्तियों की राज्य-सेवाओं में नियुक्ति

२६६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राज्य सरकार ने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा की कोविद परीक्षा को इन्टर एवं परिचय को मैट्रिक के समकक्ष माना है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि 'कोविद' एवं 'परिचय' परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भी इन्टर एवं मैट्रिक पास छात्रों की तरह राज्य सेवाओं में लिया जाने लगा है ?

(ग) यदि हां, तो कोटा एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज द्वारा ऐसे कितने छात्र राज्य सेवाओं में लिये गये ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी नहीं। वास्तव में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा, की कोविद एवं परिचय परीक्षाओं को क्रमशः इन्टर तथा मैट्रिक में निर्धारित हिन्दी के स्तर की मान्यता ही प्रदान की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) एक।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रांत के कार्पेन्टरी, टेलरिंग व चमड़े के केन्द्र

२६७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकरणसिंह)

(क) राजस्थान में कार्पेन्टरी केन्द्र, टेलरिंग केन्द्र और चमड़े के केन्द्र कहां २ पर विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं ? जिला और तहसीलवार सूची प्रदान करें।

(ख) केन्द्रों पर शिक्षा लेने वाले छात्रों को मासिक क्या मिलता है, किस किस केन्द्र में कितने कितने छात्रों के प्रवेश का प्रावधान है ?

(ग) इनको इनका मासिक वजीफा किस तारीख को मिल जाता है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) उपरोक्त सूची में दर्ज हैं।

(ग) राज्य स्वीकृति के पश्चात् आगामी मास की २० तारीख तक चुकारा करने का नियमित प्रयत्न किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : आपने यह चुकारे की बात कही है कि २० तारीख तक चुकारा कर दिया जावेगा, लेकिन क्या यह सही है कि बहुत से सेन्टर्स ऐसे हैं जिनमें काफी समय हो गया है और पैसे लोगों को नहीं भेजे हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने लिस्ट तो दे दी है, और भी कोई हो तो आप नाम बता दें। मैं जानकारी कर लूंगा। लिस्ट बहुत बड़ी है, कोई रह गया हो तो चैक अप करके देख लेंगे।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : ऐसे बहुत से सेन्टर्स हैं जहां लड़का एक भी नहीं है और मास्टर को तनख्वाह मिल रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सारे लिस्ट में दर्ज हैं।

श्री रामचन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई ऐसे केन्द्र चल रहे हैं जिनमें लड़का नहीं है और मास्टर को वेतन मिल रहा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप नाम बता दें, अगर आपके नोटिस में हो तो।

श्री रामचन्द्र : झालावाड़ में टेलरिंग के नाम से एक इन्स्टिट्यूशन चल रहा है, मगर वहां पर कोई लड़के नहीं हैं। सामान बराबर वहां पर खराब हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : लड़के भिजवा दें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : या इसको फिर जल्दी ही बन्द करवा दें।

श्री रामचन्द्र : मेरे अर्ज करने का मतलब यह है, ऐसी व्यवस्था क्यों रही ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर कोई ट्रेनी नहीं आने वाला होगा तो लाजमी तौर से बन्द करना होगा। ट्रेनी आते हैं या नहीं ?

श्री रामचन्द्र : ऐसे सेन्टर खोलने के पहले यह जानकारी की जाती है या नहीं कि केन्द्र चल सकेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.8

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। जो आपने सूची दी है उसके क्रम संख्या ८, विजयनगर-अजमेर, ४८ पर गोयला, ६६ में अजमेर इस तरह से शुरू में ८ पर २५) रु० प्रति छात्र को दिये, ४८ में ३०) रु० दिये और ६६ में २५) रु० दिये। तो इन तीनों स्कूलों में क्या विशेषता है कि इनको अधिक दिया गया जब कि दूसरे स्कूल, जो कि ७० के करीब हैं उनमें १५) रु० ही दे रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा है कि अलग अलग जगहों पर छात्र के प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्ति देने की बात है। कहीं पर १५) रु० हैं और कहीं पर २५) रु० और ३०) हैं। यह इसलिए है कि कहीं कहीं पर ट्रेनीज़ आने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उस सारी व्यवस्था को देखकर बढ़ाया है। यही डिफरेंन्स है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि अजमेर में ही ३०) रु० दिये और दूसरी जगह के दूसरे सेन्टर्स को १५) रु० दिये हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विजयनगर में २५) रु० हैं तो जयपुर में १५) रु० ही हैं, निवाड़ा में १५) हैं।

श्री रामकरणसिंह : आपने राजस्थान भर के सेन्टर्स की लिस्ट दी है। करीब ७० स्कूल्स हैं जिनमें से तीन अजमेर के स्कूलों को ही ३०), २५) देते हैं, बाकी को क्यों नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनकी स्कीम अलग थी, उनका प्लॉन भी अलग था। उनकी स्कीम के अनुसार दिया।

श्री रामकरणसिंह : अजमेर की लिस्ट है और उसमें भी अन्य सेन्टर्स को १५) रु० दिये हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिआर्गेनाइजेशन के बाद चल रहे हैं तो उनको १५) रु० ही दिये हैं।

श्री रामकरणसिंह : निश्चित बताइये इसके बारे में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अजमेर की स्कीम में डिफरेंन्स हो सकता है। पहले वाली स्कीम में २५), ३०) रु० हैं। पहले ही उन्होंने निर्धारित कर दिया और जब हमारे पास आये तो इसको यूनिफॉर्म कर दिया।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : पहली स्कीम में १५) रु० और फिर ३०) रु० हुए, तो इसका क्या मतलब है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप बताइये कि यह कहां है ?

श्री अध्यक्ष : बहस की बात नहीं है। मकसद क्या है, आपके प्रश्न पूछने का ?

श्री रामकरणसिंह : ६४ पर पहले से सेन्टर चल रहा है और फिर ६६ पर दूसरा खोला है, वहां १५) ही दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपने बात कही है उसको मन्त्री महोदय सोच रहे हैं और करेंगे। उन्होंने उस बात को ध्यान में रख लिया है।

श्री मदनसिंह : वह तो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

तहसील पंचभद्रा व सिवाना में खालसा भूमि पर नियमानुसार काश्त करने वाले लोगों से जुर्माने की वसूली

२६८. **श्री अपनूसिंह** (बालोतरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि तहसील पंचभद्रा व सिवाना में कई काश्तकार खालसा भूमि पर नियमानुसार लगान देकर संवत् २०१२ से काश्त करते आ रहे हैं ? ऐसे काश्तकारों की तहसीलवार संख्या देने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही कि नियमानुसार खालसा भूमि पर काश्त करते हुए भी इस वर्ष उनको उसी जमीन से बेदखल किया जा रहा है या उनसे जुर्माना के शरह से लगान कुड़की द्वारा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) जब काश्तकार नियमानुसार लगान देने को तैयार हैं तो पी० डी० आर० द्वारा जुर्माना लगान क्यों वसूल किया जा रहा है ? ऐसे कितने केसेज़ में वसूली की गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां। तहसील पंचभद्रा में ५९७ और तहसील सिवाना में १०७८ ।

(ख) जी नहीं । सिर्फ वे ही काश्तकार बेदखल किये जा रहे हैं जिनके पास जमीन होते हुए भी अधिक भूमि पर गैरकानूनी और ट्रेसपासर्स के रूप में काश्त कर रहे हैं । ऐसे काश्तकारों से लगान के अतिरिक्त छः गुना लगान बतौर जुर्माना वसूल किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं । वसूली राजस्थान लैंड रेवेन्यू रिकवरी रूल्स के अन्तर्गत की जाती है ।

श्री अनूपसिंह : संवत् २०१२ से जो काश्तकार काश्त करते आ रहे हैं और सरकार को लगान भी देते आ रहे हैं फिर उन पर कार्यवाही करने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ट्रेसपासर्स का मतलब यह है कि जिसने बिना किसी कब्जे के सरकारी भूमि पर काश्त करनी शुरू कर दी है । वह पॉलिसी जो कि ट्रेसपासर्स के लिए अख्तियार की जाती है वही पंचभद्रा और सिवाना में एडोप्ट की गई ।

श्री अनूपसिंह : यह आपकी बिल्कुल गलत इन्फोर्मेशन है कि वे ट्रेसपासर्स हैं । जो कि काश्त कर रहे हैं और पूछ कर काश्त की है । पटवारियों को मालूम है और उन्होंने इसके लिए रिपोर्ट की है । फिर भी उनको हटाया जा रहा है । वे चाहते थे कि जो बीगोड़ा होगी वे दे देंगे । इसलिए उन पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना न किया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार की कानून और हिदायतें हैं कि ट्रेसपासर्स हैं उनको हटाया जाय, जैसी कि शिकायत है । लेकिन यदि रेगुलर टिनेन्ट हैं तो उनके पास कानून के अनुसार रेमेडी है, कलेक्टर के पास उनको अपील करने का हक हासिल करना चाहिये था । यह जुडिशियल मामला है । He should go to a court of appeal or should adopt whatever procedure is prescribed in the law.

Page No.10

श्री अनूपसिंह : लेकिन उनको ट्रेसपासर्स में नहीं लिया जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो ट्रेस्पासर्स को डेफिनेशन में नहीं आते हैं उनको नहीं हटाया जाना चाहिये, यह तो हम भी मानते हैं। लेकिन इसके लिए बाकायदा कानून हैं और हिदायतें हैं। यदि कोई इस विषय में ग्रीवान्सेज़ है तो उनको कोर्ट में प्रोपर अपील करके करना चाहिये।

श्री अनूपसिंह : पांच सौ से अधिक आदमियों की बात है। वे कहां जाकर चारा-जोई करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, १,६०० आदमी हैं। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं उन १,६०० आदमियों के केसेज़ को मैं एग्ज़ामिन करूं और सारा प्रोसीजर ही खत्म हो जाय ?

श्री अनूपसिंह : मैं लॉ के खिलाफ, अध्यक्ष महोदय, कुछ अर्ज नहीं करना चाहता हूँ। जो कुछ कार्यवाही हुई है उन काश्तकारों को अलग रख कर हुई है।

श्री अध्यक्ष : वे कानून के अन्तर्गत अपने आपको खातेदार डिक्लेयर करा लें। आप समझते हैं कि संवत् २०१२ से काश्त करते आ रहे हैं इसलिए वे खातेदार हो गये ? रेकॉर्ड कुछ और होगा।

श्री अनूपसिंह : फर्जी रेकॉर्ड है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन कानून के अनुसार ही तो होगा।

प्रश्न संख्या २६६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

भूमि की पैमाइश

२७०. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर डिविजन की पैमाइश किन किन सालों में हुई ? सूची तहसीलवाइज़ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) अब सरकार कब तक डिविज़न, डिस्ट्रिक्ट्स या तहसीलों की भूमि की पैमाइश कराने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) डूंगरगढ़ का रिविज़न बन्दोबस्त हाल ही में हुआ है। तहसील सरदारशहर की रिविज़न रेन्ट रेट रिपोर्ट रेवेन्यू बोर्ड में जेर गौर है। तहसील लूणकरणसर और जैसलमेर में आये हुए श्री कोलायतजी के देहात जेर बन्दोबस्त हैं। बाकी रकबे की पैमाइश अभी तक विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री किशनाराम : कब से विचाराधीन है ?

Page No.11

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां के लिए जवाब दिया।

श्री किशनाराम : कई जगहों का जवाब दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस जगह के लिए पूछना चाहते हैं ?

श्री किशनाराम : सुना नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां जहां के लिए पूछा है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। तहसीलवाइज़ सूचना है, उसको पढ़ लीजिये।

श्री किशनाराम : जिसके लिए विचाराधीन बताया वह कब से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची के अन्दर मौजूद है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लैंड रेन्ट रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली व रोहट छाया खंडों में बैल खरीदने हेतु तकावी ऋण

२७१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पाली व रोहट छाया खंडों में बैल खरीदने के लिए किन किन को सन् १९५९ व ६० में तकावी लोन दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सत्य है कि दोनों खण्डों में बैलों की जोड़ियों की तकावी के लिए बहुत भारी मांग है ? यदि हां, तो सरकार उस मांग पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां। बजट प्रोविजन के अनुसार ही तकावी वितरित की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : अगर किसी जिले में ज्यादा आवश्यकता हो तो उसको क्यों नहीं कन्सीडर किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई तरह की तकावी मिलती है। रेवेन्यू से, सोशल वैलफेयर से, पंचायत समितियों से मिलती है। बहुत ज्यादा जरूरत आ जाये तो फेमिन तकावी भी अलग मिलती है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : तकावी बाद में दी जाती है। बैलों के लिए दी गई तो बैल जोड़ी नहीं खरीदी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य भी उसमें एक मेम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

पचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य करने वाले ट्रेन्ड मैट्रिक व ट्रेन्ड इन्टर की योग्यता वाले अध्यापकों की पदोन्नति

२७२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लाल-

Page No.12

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

सोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत ट्रेन्ड मैट्रिक व ट्रेन्ड इन्टर की योग्यता वाले अध्यापक पंचायत समितियों के अन्तर्गत चले गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति का समितियों में क्या तरीका होगा ?

(ग) पदोन्नति का कार्य समितियां करेंगी या शिक्षा विभाग ?

(घ) क्या शिक्षा विभाग ने उनको अपनी सीनियोरिटी से अलग करके जूनियर अध्यापकों को प्रमोशन दे दिया है, जब कि समिति में जाने से पूर्व ऐसे अध्यापक नव–पदोन्नत अध्यापकों से सीनियर थे ?

(ङ) यदि हां, तो क्या यह उन अध्यापकों के साथ अन्याय नहीं है ?

(च) क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को शिक्षा विभाग या समितियों द्वारा पदोन्नत वाजिब तिथि से करायेगी ?

(छ) अगर हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे अध्यापकों के पदोन्नति के तरीके का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इनकी पदोन्नति सरकार द्वारा की जावेगी जिसका तरीका सरकार के विचाराधीन है।

(घ) शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले अध्यापकों को केवल अस्थाई तौर पर ही योग्यतानुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया है।

(ङ) ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति करने का प्रोसिजर अभी सरकार के विचाराधीन है अतः उनके साथ अन्याय का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(च) जी हां। उच्च ग्रेड में स्थानों के उपलब्ध होने की सूरत में।

(छ) पदोन्नति का प्रोसिजर तय होने पर। प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह प्रश्न तय होकर अगले सत्र से पदोन्नति का काम शुरु हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

ग्राम पूनायता, पाली के भूमिहीन बावरियों को भूमि दिलवाना

२७३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम पूनायता, तहसील पाली में कितने बावरी जाति के लोग हैं तथा उनमें कितने

श्री मूलचन्द डागा)

बावरी भूमिहीन हैं ? क्या सरकार उनको भूमि दिलाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : ग्राम पूनायता में कुल १४ बावरी जाति के कुटुम्ब हैं, इनमें से सिर्फ १ कुटुम्ब भूमिहीन है और ५ कुटुम्ब गैर खातेदारी भूमि पर काश्त करते हैं । भूमिहीन बावरियान को उनके आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर राजस्थान भूमि आवंटन नियम, १९५७ के अनुसार भूमि आवंटन समिति द्वारा जांच कर भूमि आवंटन की जावेगी ।

प्रश्न संख्या २७४

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

ग्राम बायद (पाली) के जटियों को कुंआ बनाने हेतु रकम दिलवाना

२७५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली तहसील के गांव बायद के जटियों ने कुंआ बनवाने के लिये कितनी धन-राशि की मांग की थी और कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि उनकी मांग आज तक स्वीकृत नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार इन लोगों को कुंआ बनवाने के लिये रकम देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री शिवचन्द धारीवाल) : (१) कुंआ बनवाने के लिये २,५००) रु० की मांग सन् १९५९-६० में की थी ।

(२) समाज कल्याण विभाग द्वारा १,५६० रु० की धन-राशि सन् १९५९-६० में स्वीकृत की जा चुकी है ।

(३) स्वीकृत हो चुकी है; अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या २७६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २७७

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कोटपुतली-नारेड़ा सड़क

२७८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कोटपुतली से नारेड़ा कितनी मील का सड़क का टुकड़ा है ?

(ख) इस टुकड़े में कितने पुलिया तथा कितने खुर्रे बने हुए हैं ? उनकी अब क्या हालत है ?

Page No.14

(श्री रामकरणसिंह)

(ग) क्या इस टुकड़े की देख–रेख हेतु मजदूरों की कोई परमानेन्ट गैंग लगा रखी है ?

सार्वजिनक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) ६ मील है ।

(ख) कोई पुलिया नहीं है । एक खुर्रा सोता नाला में है जो टूट चुका है ।

(ग) इस अकेले ६ मील के भाग के लिये ही कोई गैंग नहीं है किन्तु कोटपुतली की कच्ची सड़कों की देख–रेख के लिये एक गैंग है जो इस भाग की भी देख–रेख करती है ।

श्री रामकरणसिंह : आपने पहले भी इस प्रश्न का जवाब दिया था, उस पर मैंने जानकारी दी थी उस पर आपने कहा था कि मैं जानकारी कर लूंगा, लेकिन आज जो जवाब दिया जा रहा है कि कोई पुलिया नहीं है, मैं इसको चैलेन्ज करता हूँ। वहां पुलियाएं हैं, बाकायदा पुराने समय की सड़क बनी हुई है वह दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा कि अर्ज किया यह सड़क है, फेअर वेदर रोड है । पहले यह पी०-डब्ल्यू० डी० के अधीन नहीं थी । केबिनेट डिसीज़न के बाद, इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० को हैन्ड ओवर किया है और इस ६ मील के टुकड़े के लिये कोई अलग गैंग नहीं है किन्तु कोटपुतली की कच्ची सड़कों की देख–रेख के लिये एक गैंग है जो इस भाग की भी देख–रेख करती है । जरूरत होती है तो रिपेयर करती है ।

श्री रामकरणसिंह : बानसूर से कोटपूतली १० मील का टुकड़ा बना हुआ है । कोटपूतली से नारेड़ा है उसमें ६ मील का टुकड़ा कच्चा बना हुआ था । उसकी मरम्मत नहीं हो रही है । बरसात के दिनों में डाक के आने–जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है । इस सम्बन्ध में आपने पहले जो सूचना दी थी और अब दे रहे हैं वह सही सूचना नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यह सूचना दी थी कि वह पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में सड़क नहीं थी ।

श्री रामकरणसिंह : जिस पुलिया के लिये आपने कहा कि नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि पुलियायें हैं, कई हैं; जिनको कई मंत्री महोदयों ने देखा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सड़क के लिये मैं कब इन्कार कर रहा हूँ? उस समय उसका मेन्टीनेन्स पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : अब तो आ गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां ।

श्री रामकरणसिंह : अब इस छः मील के टुकड़े की मरम्मत करवाने की स्थिति में हैं आप ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा कि निवेदन किया एक गैंग वहां मौजूद है । वह यदि उचित समझेगी तो मरम्मत करवा दी जायगी ।

प्रश्न संख्या २७६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No.15

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २८०

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

कन्या मिडिल स्कूल, अकलेरा में अध्यापिकाओं का अभाव

२८१. श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा—सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कन्या मिडल स्कूल, अकलेरा, जिला झालावाड़ में किस किस कक्षा में कितनी कितनी छात्रायें पढ़ती हैं ?

(ख) इस स्कूल में कितनी अध्यापिकाएं हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि गत वर्ष अध्यापिकाओं की कमी होने से लड़कियों का दाखिला होने से रोक दिया गया ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त कन्या मिडल स्कूल में अध्यापिकाओं की कमी को पूरा करेगी ?

(घ) छात्राओं को कन्या मिडल स्कूल में दाखिला न मिलने से कितनी लड़कियों ने पढ़ना छोड़ दिया और कितनी लड़कियों को लड़कों के स्कूल में दाखिल होना पड़ा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) कन्या माध्यमिक शाला, अकलेरा, जिला झालावाड़ में अध्ययन करने वाली छात्राओं की कक्षावार संख्या निम्न है :—

कक्षा	छात्र संख्या
१.	४६
२.	२३
३.	३८
४.	११
५.	२
६.	११
७.	६
८.	६
	कुल १४६

(ख) इस समय इस शाला में ८ अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं।

(ग) जी नहीं। गत वर्ष छात्राओं को शाला में भर्ती होने से नहीं रोका गया। गत वर्ष जुलाई, ५६ में छात्राओं की संख्या १५३ थी और अध्यापिकाओं की संख्या ७ थी। बाद में छात्राओं की संख्या अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर, ५६ में क्रमशः १६४, १६७ व १६३ हो गई जिसे देखते हुए २ और अध्यापिकायें लगा दी गईं। इस तरह से शाला में अध्यापिकाओं की कोई कमी नहीं रही।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : क्या यह सही है कि वहां अध्यापिकाओं की हाजरी तो आठ की है लेकिन वहां वे काम नहीं करतीं और दूसरी जगह लगी हुई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो

Page No.16

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फैक्ट्स आप कह रहे हैं वे मेरे सामने नहीं आए हैं। आप यह बतलाइये कि वहां कौन कौन सी अध्यापिकायें कार्य नहीं कर रही हैं ? दूसरी जगह लगी हुई हैं तो मैं जानकारी कर सकता हूँ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तनख्वाह तो वे अकलेरा से उठाती हैं; उनका तबादला होने के बाद भी वे वहां नहीं पहुंची हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी वेग बात कहने के बजाय निश्चित तौर से नाम बताया जाय जो दूसरी जगह काम करती हैं तो ज्यादा लाभप्रद होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तकावी ऋण के समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था

२८२. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील देसूरी व बाली के लिये सन् १९५९–६० में तकावी के लिये कितनी धन–राशि स्वीकृत हुई और कितनी कितनी वितरित की गई ?

(२) क्या यह सही है कि तकावी लेने वालों के प्रार्थना–पत्रों पर तफतीश करने वाले अधिकारी वर्ग अत्यधिक समय लेते हैं जिसकी सूचना कई बार सरकार को दी जा चुकी है ? तकावी समय पर मिल जाय, इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) तहसील देसूरी व बाली प्रत्येक के लिये १,५०० की धन–राशि स्वीकृत हुई। तहसील बाली में पूरी धन–राशि वितरित हुई व देसूरी में कोई धन–राशि वितरित नहीं हुई।

(२) जी नहीं।

तकावी समय पर मिलने हेतु यह कार्य पंचायत समितियों को दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या २८३

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

रंगा फिजिकल इन्स्टीट्यूट, बीकानेर को सहायता

२८४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में किन किन व्यायाम-शालाओं को कितने कितने अनुदान कब कब सरकार ने दिये हैं ? कृपया गत दो वर्षों के आंकड़े दीजियेगा।

(ख) क्या बीकानेर के रंगा फिज़िकल इन्स्टीट्यूट ने भी कोई सहायता के लिये प्रार्थना–पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या विचार किया ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखा-

Page No.17

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ड़िया) : राजस्थान में निम्नलिखित व्यायाम शालाओं को जब जब व जितना जितना अनुदान सरकार द्वारा दिया गया वह नीचे अंकित है :

नाम व्यायाम शाला	१९५८–५९	५९–६०
१. नरसिंह व्यायाम शाला		६०० रु०
२. रंगा फिज़िकल इन्स्टीट्यूट, बीकानेर		३,७५० रु०
३. महावीर व्यायाम शाला, अजमेर		२,२५० रु०
४. सादुल व्यायाम शाला, सरदारशहर	१९३५ रु०	२,९०२ रु०
५. व्यायाम संस्कृत संघ, उदयपुर	४९८ रु०	प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ।
६. श्री महावीर व्यायाम शाला, जयपुर		२६० रु०

(२) जी हां, रंगा फिज़िकल इन्स्टीट्यूट, बीकानेर को १९५९–६० के आर्थिक वर्ष में ३,७५० रु० का अनुदान मिला है। इस वर्ष इस संस्था को ७५८ रु० आर्थिक सहायता दी गई है।

चुरू जिले में आबादी भूमि छुड़वाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

२८५. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार चुरू जिले की रतनगढ़ तहसील के ग्रामीण एरिया में सामूहिक रूप से आबादी भूमि छुड़वाने का पंचायतों व रेवेन्यू अधिकारियों को आदेश देने का विचार कर रही है ?

(ख) उक्त जिले की कौन कौन सी तहसीलों में ग्रामीणों व पंचायतों की तरफ से आबादी भूमि छुड़वाने से सम्बन्धित कार्यवाही चालू है और अब तक किन किन अधिकारीगणों द्वारा यह कार्य सम्पूर्ण न हो सका ?

(ग) कितनी दरख्वास्तें किस किस तहसीलों में सन् ५५ से ६१ तक आई जिन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) ७६ दरख्वास्तों में से ४३ पर निर्णय हो चुका है। बाकी पर साथ में दी हुई सूची के अनुसार कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री किशनाराम : रतनगढ़ में रतनादेसर नाम की पंचायत है और सिमसिया में भी पंचायत है। पंचायत नाम की वहां कोई चीज नहीं है, इसका क्या कारण है ?

Page No.18

श्री दामोदरलाल व्यास : रतनादेसर पंचायत अभी रतनगढ़ तहसील में है।

श्री किशनाराम : रतनादेसर पंचायत जो आपके रेकॉर्ड में है वह गलत है। सदन के अन्दर इस प्रकार से गलत पंचायतों के नाम कैसे दे दिये जाते हैं? इस गांव में आबादी भूमि की आवश्यकता है। उस सम्बन्ध में जो आवेदन पत्र आये हैं क्या उन पर विचार हो रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूची देखिये उसमें बताया हुआ है।

श्री किशनाराम : एस० डी० ओ० के दफ्तर में कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख उपलब्ध नहीं है।

श्री किशनाराम : तीन—चार साल से बराबर वहां के लोगों की दरख्वास्तें गिरदावर और पटवारियों के बीच में फिरती रहती हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा कि मैंने निवेदन किया, आबादी भूमि के लिये यदि सरकारी भूमि वहां पर है तो उसके लिये कलेक्टर को अधिकार है कि वह आवश्यकता के मुताबिक ट्रान्सफर कर सकता है और जहां एक्वीज़िशन करने की बात होती है वहां समय लगता है।

श्री किशनाराम : पंचायतों ने कलेक्टर साहब को प्रार्थना—पत्र भेजे हैं, वे एस० डी०-ओ० को भेजते हैं; वहां बिल्कुल ढिलमिल नीति चल रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यह सही है कि बिना विचार किये गांवों को एक्स-पेन्ड कर दिया जाता है, उसके बाद जब जरूरत होती है तो भूमि को रिक्वीज़िट करने की आवश्यकता होती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आबादी को एक्सटेन्ड किया जाता है उस समय दो बातों का ध्यान रख कर किया जाता है;.एक तो आबादी के एक्सटेन्शन का और दूसरा चारागाह का। इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर जमीन अलॉट की जाती है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि प्रत्येक आबादी के आसपास आजकल खेती शुरू कर देते हैं इसलिये आबादी और चारागाह की भूमि नहीं रहती?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आबादी के एक्सटेन्शन के लिये एग्रीकल्चरल लैंड की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट उस ज़मीन को लेने के लिये कार्यवाही करती है। सरकारी लैंड होती है तो वह कलेक्टर दे सकता है और नहीं होती है तो उसके लिये एक्वायर करने की कार्यवाही होती है।

श्री किशनाराम : प्रश्न तो यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ७६ में से ४३ दरख्वास्तों पर निर्णय हो चुका है। बाकी में कार्यवाही हो रही है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं होता? कार्यवाही चल रही है।

Page No.19

श्री किशनाराम : पंचायत लोहा के ६ गांवों की एक लिस्ट तहसीलदार को दी थी। उनके नाम इस सूची में नहीं हैं। उनसे पूछते हैं तो कह देते हैं मेरी जानकारी में नहीं है। मैं सूचना देता हूँ कि उनके नाम रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। मेरे सामने जो लिस्ट आपने दी है, उसमें नहीं है। आप इसकी जांच करें। नीचे विभागों में लोग ज्यादा लापरवाह हैं। उस सूचना का क्या हुआ, कुछ पता नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सूचना क्या दी है ?

श्री किशनाराम : आबादी भूमि को जोतने के लिये पंचायतों ने प्रस्ताव किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: कौन से गांव की बात कर रहे हैं ?

श्री किशनाराम : ग्राम लोहा पंचायत के ६ गांवों की तरफ से तहसीलदार, रतनगढ़ को सूचना दी कि हमारे इन ६ गांवों को भी सूची में शामिल किया जावे। पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया प्रश्न पूछें तो वह बतायें।

श्री किशनाराम : रतनगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत लोहा के ६ गांव हैं खोतड़ी, सांगासर, छलूँ, लोहा, भींचरी, छाबड़ीखारी और मीठी और रूखांसर, मेगासर सब के लिये दर्खास्तें दीं। दो-तीन दफे रिवीज़न कर दिया है, लिस्ट में नाम भी नहीं है उनका।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री किशनाराम : आपके आश्वासन तो ये मन्त्री लोग मानते नहीं। पहले भी आपने आश्वासन दिये थे।

बांसवाड़ा जिले की आदिम जातियों के लाभार्थ स्थित उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

२८६. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा जिले की आदिम जातियों के लाभार्थ कोई उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? यदि हां, तो इन केन्द्रों में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

(ख) क्या इन प्रशिक्षणार्थियों को काम पर उन दस्तकारियों में लाने के लिये सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई है ? अगर हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री खिन्न-चन्द धारीवाल) : (क) जी हां। इन केन्द्रों पर सिलाई, लोहारगिरी, एवं बढ़ईगिरी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) जी हां, प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को २०० रुपये तक की सहायता—औजार व मशीन आदि खरीदने की सुविधा दी जाती है।

श्री मोगजी भाई : ऐसे कितने केन्द्र हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तीन हैं। सिलाई का बांसवाड़ा में, लोहारगिरी का नौगांव में और सुथारगिरी का घाटोल में।

श्री भोगजी भाई : यह भी बतावेंगे कि कितने प्रशिक्षणार्थियों ने इनमें भाग लिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने सवाल में पूछा नहीं, पूछते तो इसका भी जवाब दे देता मालूम करके।

श्री भोगजी भाई : यह कब से चल रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : साल, डेढ़ साल से।

श्री भोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र तो ये सरकार के कागजों में चल रहे होंगे। प्रक्टिकली नहीं चल रहे हैं। इसलिये पूछा कि कितने लोगों ने भाग लिया ? सिर्फ सिलाई का ही केन्द्र बांसवाड़ा में थोड़ा चल रहा है। दूसरे केन्द्र केवल सरकार के रजिस्टरों में ही दर्ज होंगे, वास्तव में इस प्रकार का कोई शिक्षण नहीं दिया जाता। इसलिये पूछ रहा हूँ। माननीय मन्त्री महोदय यह भी बता दें कि कितने इनमें भाग लिया तो अच्छा हो !

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि आप जानकारी पूछते तो जानकारी लेकर मैं आपको बता देता। यह सवाल दूसरा है। आप दूसरा सवाल पूछ लें, मैं तब उत्तर दे दूंगा।

प्रश्न संख्या २८७

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

मुख्य सड़कों पर डामर न होने तथा अप्रोच रोडों पर डामर होने के बाबत

२८८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) शाहपुरा से कोटपुतली सड़क से कितनी अप्रोच रोड किन किन ग्रामों को मिलाती है तथा उनमें से डामर रोड कौन कौन सी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि मुख्य सड़क डामर रोड नहीं है मगर एप्रोच रोड डामर रोड है ?

(३) आंतेला से कहां तक डामर सड़क पर बिछाई गई है ?

(४) शाहपुरा और आंतेला के मध्य कितने मील में डामर नहीं डाली गई है ? उधर आंतेला और इधर शाहपुरा से कितनी मील तक डाली गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) केवल एक ही एप्रोच रोड है जो आंतेला ग्राम तक है। यह तार कोल रोड़ है।

(२) जी हां, यह पूरी सड़क डामर की नहीं है। इसका शाहपुरा से मामरू के दरमियान ६ मील का भाग डामर का है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(३) डामर आंतेला गांव से शाहपुरा कोटपुतली सड़क तक एक मील की लम्बाई में है।

(४) तारकोल शाहपुरा से ६ मील में है, बाकी सड़क पर आंतेला तक चार मील में नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : इसमें मैं माननीय मन्त्रीजी की जानकारी के लिये बता दूं कि इस प्रकार की चीजें नजर आती हैं कि शाहपुरा से ६ मील डामर है, बाद में डामर नहीं है, करीब दस—बारह मील तक। फिर एक मील में अभी थोड़े दिन पहले डामर डाली है। तेरह, चौदह मील और नहीं है। तो इसके बजाय तो एक बार में जो जितना भी खर्चा होता है सामान और वह भी भारी—भरकम सामान वहां लाने—लेजाने का और उसमें काफी खर्चा भी होता है तो एक साथ क्यों नहीं एक तरफ से ही शुरू करके समाप्त कर देते हैं? एक मील इधर से कर देना और एक मील बीच में कर देना और फिर भारी भरकम सामान लाना और ले जाना यह खर्चा करते रहना, इसका कारण क्या है?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा है डामर का काम दोनों तरफ से शुरू हो सकता है।

श्री रामकरणसिंह : दोनों तरफ नहीं। आपके जवाब से भी साफ है कि एक मील इधर डाल दिया, फिर चौदह—पन्द्रह मील छोड़ दिया और बीच में आंतेला का कर दिया एक मील का टुकड़ा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने पांच मील छोड़ कर करने का कहा, चौदह—पन्द्रह नहीं।

श्री रामकरणसिंह : यह तो साफ चीज है। देखा जा सकता है। केवल आंतेला बीच में पड़ता है। वहां एक मील के टुकड़े में डामर डलवाया है। इधर कोटपुतली आंतेला से शाहपुरा के दरमियान का टुकड़ा १४ मील का है वह खाली पड़ा है। इधर उधर छोड़ दिया जावे, बीच में एक—आध मील का टुकड़ा कर दिया जावे, यह क्या तमाशा है?

श्री हरिश्चन्द्र : तमाशे का तो सवाल नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ. शाहपुरा से पांच मील बाकी रहा; उधर एक मील छोड़ा है तो दोनों तरफ से काम चल रहा है।

श्री रामकरणसिंह : दोनों तरफ से कोटपुतली—शाहपुरा की सड़क है। कोटपुतली शाहपुरा से छः मील डामर है। इसके बाद में आठ, दस मील खाली है। फिर एक मील में डाला गया। फिर एक मील खाली है। तो इस तरह से बीच बीच में एक मील, दो मील के टुकड़े में डामर डालना क्या चीज़ है?

श्री हरिश्चन्द्र : कहीं रिपेयर की जरूरत होती है तो इसके साथ कोलतार भी कर देते हैं।

ठा० मदनसिंह (दांता रामगढ़) : एक तरफ डाल देने से स्वतः ही एडजस्ट हो जाता है।

पाली तहसील के उमकली ग्राम में गोचर, पड़त व काश्त की जमीन

२८६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची):

(श्री वेनाराम गहलोत)

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पाली तहसील के उमकली गांव में कुल काश्त की कितनी जमीन है और जागीरदार उमकली व उसके छुटभाइयों तथा उसके सम्बन्धियों के पास कितनी कितनी जमीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त ग्राम में कुल कितनी जमीन गोचर है व कौन कौन से खसरा नम्बर हैं ?

(ग) क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि पड़त जमीन पर सम्वत् २०१५-१६ में किस किस ने काश्त की ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पड़त जमीन की जागीरदार व उसके छुटभाइयों ने काश्तकारों से तीसरे व चौथे हिस्से से लटाई की, जिसकी शिकायत कलेक्टर, पाली के पास की ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर कब और क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसील पाली के ग्राम उमकली में कुल काबिल काश्त भूमि ३६१५।)२ बीघा है। जागीरदार के खुद काश्त में ६०६।।।) बीघा, छुटभाइयों के ६६६।।।)२ बीघा और गुजारेदारों के २३१।) बीघा कुल १८४०।।।)२ बीघा भूमि है।

(ख) उक्त ग्राम में घोषित शुदा गोचर भूमि नहीं है।

(ग) सं० २०१५-१६ में जिन जिन व्यक्तियों ने खालसा भूमि पर काश्त की जो इस प्रकार हैं :

नाम व्यक्ति जिसने सं० २०१५ में खालसा भूमि पर काश्त की :

१. श्री आसीया वल्द मोडा

२. श्री खेता वल्द साइल राजपूत,

श्री बगता वल्द डूंगा, श्री चुन्नीया वल्द जोगा मीणा सा : देह

खसरा नम्बर	रकबा
१०२	१४)२ बी १
११४	४२।।)४ बी २
२	५६।।।) १

३. नाम व्यक्ति जिसने २०१६ में खालसा भूमि पर काश्त की :

१. श्री खेता वल्द साइल राजपूत

२. श्री बगता वल्द डूंगा, श्री चुन्नीया वल्द जोगा कोम मीणा सा० देह

३. श्री सुलेमान वल्द नथू खां कौम लुहार सा० देह

खसरा नम्बर	रकबा
११४	४२।।)१
२०६	०)२
२०७	७)२
३	४६।।।)

(घ) पड़त भूमि की सूची प्रश्न (ग) में दी जा चुकी है और ऐसी सूरत में जागीरदार

Page No.23

(श्री दामोदरलाल व्यास)

व छुटभाइयों द्वारा काश्तकारान से खालसा पड़त भूमि की लटाई का प्रश्न पैदा नहीं होता। इस विषय में कोई शिकायत कलेक्टर कार्यालय में पेश हुई, ऐसा नहीं पाया जाता।

अफ्रीका में कोलोनाइज़ेशन की ट्रेनिंग लेने हेतु भेजा गया व्यक्ति

२६०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने किसी व्यक्ति को कोलोनाइज़ेशन की ट्रेनिंग के लिए अफ्रीका भेजा था ?

(ख) यदि हां, तो किसको और कब ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उनके रिटायर होने की अवधि में करीब १ वर्ष ही बाकी है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा गया ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) श्री गोवर्धनसिंह मेहता, आई० ए० एस०, कोलोनाइज़ेशन आयुक्त को मार्च, १९६० में मिश्र के कोलोनाइज़ेशन स्कीम के टेक्निकल डिटेल्स का अध्ययन करने के लिए मिश्र भेजा गया था।

(ग) प्रशिक्षण में भेजने के समय श्री मेहता के रिटायरमेन्ट में १० मास १२ दिन का समय बाकी था। श्री मेहता को उनके उपनिवेशन कार्य के अनुभव को और बढ़ाने तथा उनके प्रशिक्षण से प्राप्त हुए इस प्रकार के अनुभव का भाखरा तथा राजस्थान नहर की औपनिवेशिक स्कीम्स को कार्यान्वित करने में लाभ लेने के लिए भेजा गया था ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो रिटायरमेन्ट के बाद भी उनको इस कार्य पर पुनः नियुक्त किया जाकर उनके इस अनुभव का उपयोग किया जा सके।

श्री रामकरणसिंह : तो इस प्रकार से किसी नौजवान आदमी के लिए स्कीम बना कर उसके अनुभव से काफी समय तक सरकार लाभ उठा सकती थी उस समय ऐसा नहीं सोचा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनको पहले से राजस्थान कैनाल की, एज़ कमिश्नर की स्थिति में, सारी जानकारियां रही हैं और आगे भी इस कार्य को अधिक उपयोगी होने के लिए और खास तौर से इनको सेटलमेंट का और दूसरे अनुभवों को देखते हुए समझा गया कि उनको बाहर भेजा जाये जिस समय कि कोलोनाइज़ेशन की विशेष आवश्यकता होगी उस बीच के समय में भी लाभ उठाने के लिए ऐसा किया गया।

श्री रामकरणसिंह : उनका अनुभव तो था ही और जैसा कहा गया कि उनको जानकारी थी तो अच्छा होता कि उनको जो अनुभव था वह तो था ही पर किसी दूसरे नौजवान को भेजते तो उसके अनुभव से ज्यादा समय तक फायदा उठाया जा सकता था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे अब इनके अनुभव से लाभ उठा लेंगे।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उनके रिटायरमेन्ट के बाद इनको फिर नौकरी पर रख लिया जायेगा और उनका इसके लिए मेडीकल एग्ज़ामिनेशन किया गया कि वाकई में वे फिट भी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आवश्यकतानुसार सारी कार्यवाही की गई।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : सरकार को कितने दिन तक लाभ उठाने की आशा है इनसे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

भंवरलाल पटवारी, वर मण्डल (प्रतापगढ़) के विरूद्ध हुई शिकायत पर कार्यवाही

२६१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि भंवरलाल पटवारी, वर मण्डल (प्रतापगढ़) ने लगान की रसीदों में उसकी तीसरी परत में लगान अथवा मतालबा जो किसानों से वसूल हुआ वह दिखाया तथा पहली व दूसरी परत में कम रकम दिखा कर बची रकम स्वयं ने रख ली जिसकी शिकायत तहसील प्रतापगढ़ में पेश हुई है ? यदि हां, तो इस शिकायत का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जावे ।

(ख) यह शिकायत कब और किसके द्वारा हुई तथा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां। शिकायत का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) यह गुमनाम शिकायत दिनांक १–६–५८ को प्राप्त हुई । उन्होंने राय व्यक्त की कि क्योंकि गबन की गई धनराशि बहुत कम है अतः इसकी जांच लोकल पुलिस द्वारा ही करा ली जावे । यह मामला एस० डी० ओ०, प्रतापगढ़ को लोकल पुलिस में दिये जाने हेतु भेज दिया गया है और वहां केस रजिस्टर हुआ ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : गबन की राशि कितनी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ६२ रु० ३७ न० पै० ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इस आदमी को सस्पेन्ड किया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, वह सस्पेन्शन में है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस मामले को पुलिस में कब भेजा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस समय केस बन कर आया इन्क्वायरी में सरसरी तौर पर मामला एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में भेजा गया और उस डिपार्टमेंट ने इसको वापिस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लोकल पुलिस को भेज दिया कि वह इन्वेस्टीगेट करे । तब से वह लोकल पुलिस के पास है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एन्टीकरप्शन ने लोकल पुलिस को केस कब भेजा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख की जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसके लिए इतना कह सकता हूँ कि वह पटवारी अण्डर सस्पेन्शन हैं और केस अण्डर इन्वेस्टीगेशन है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक प्रार्थना-पत्र है उसमें ७ रसीदें ऐसी हैं कि जिनके द्वारा बताया गया है गबन की राशि २५० रु० ६८ न० पै० है और ५२ रु० ३७ न० पै० नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५२ रु० ३७ न० पै० इन्वेस्टीगेशन के बाद मालूम हुए हैं वैसे प्रार्थना-पत्र में तो २५० रु० की रकम बताई थी ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

योग्यतानुसार वेतन का निर्धारण

२७४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) [श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) हायर सेकेन्डरी स्कूलों के सीनियर टीचर्स के लिए क्या योग्यता निर्धारित की हुई है ? उनका वेतन तथा ग्रेड क्या है ?

(ख) कॉलेज के लेक्चरार्स के लिए योग्यता, वेतन तथा ग्रेड क्या क्या निर्धारित हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि योग्यता के अनुसार वेतन निर्धारित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) ट्रेन्ड पोस्ट ग्रेजुएट अथवा प्रथम व द्वितीय श्रेणी में एम० ए० व तीन साल का अध्यापन का अनुभव । इनका वेतन दर २००—४०० है ।

(ख) प्रथम व द्वितीय श्रेणी में एम०-ए० । उनका वेतन दर २५०—७५० है ।

(ग) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : जब कि दोनों के लिए एक ही क्वोलीफिकेशन है हायर सेकेन्डरी के सीनियर टीचर और कॉलेज के लेक्चरार के लिए तब दोनों के ग्रेड में ५० रुपये का अन्तर क्यों रखा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो समझना बहुत आसान है । एक आदमी बी० ए० एल० डी० सी० भी हो सकता है और आई० ए० एस० भी हो सकता है; जब कि दोनों के लिए क्वालीफिकेशन बी.ए. समान ही है । पर दोनों के ग्रेड बी० ए०

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होने से कोई समान नहीं हो सकते। एक तो लेक्चरार होते हैं जो ग्रेजुएट क्लासेज़ लेते हैं और सीनियर टीचर ११वीं तक ही पढ़ाते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब एक आदमी हायर सेकेन्डरी में चला जाता है तो उसे कॉलेज में जाने का अवसर नहीं होता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस में जाने के लिए ओपन कम्पीटीशन से, अगर ऐसा प्रावधान हो तो प्रयत्न करें। वर्ना आवश्यकता नहीं कि वह होना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राष्ट्रीयकरण कृत पुस्तकों की अनुपलब्धि

२७७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राष्ट्रीयकरण बोर्ड द्वारा किस किस माह में कौन कौन पुस्तकें छपवाई जाकर कब कब वितरित की गईं?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक कई पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो किस किस कक्षा की कौन कौन पुस्तकें और क्यों?

(३) ये पुस्तकें अब कब तक उपलब्ध हो सकेंगी?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) इस सत्र में निम्न १८ पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और वे पुस्तकें जुलाई से चालू होने वाले वर्ष के लिए कक्षा ६, ७ व ८ के लिए पाठ्यपुस्तक के रूप में निर्धारित की गई। इनमें से उर्दू कक्षा ७ व ८, सामाजिक ज्ञान कक्षा ७ और गणित कक्षा ७ के अतिरिक्त समस्त पुस्तकें जुलाई सन् १९६० में उपलब्ध हो चुकी थीं और बाकी पुस्तकें अगस्त, १९६० में उपलब्ध हुईं:

१. हिन्दी कक्षा ७
२. हिन्दी कक्षा ८
३. अंकगणित कक्षा ७
४. अंकगणित कक्षा ८
५. सामान्य विज्ञान कक्षा ६
६. सामान्य विज्ञान कक्षा ७
७. सामान्य विज्ञान कक्षा ८
८. सामाजिक ज्ञान कक्षा ६
९. सामाजिक ज्ञान कक्षा ७
१०. सामाजिक ज्ञान कक्षा ८
११. वाणिज्य ज्ञान कक्षा ७
१२. वाणिज्य ज्ञान कक्षा ८
१३. संस्कृत कक्षा ७
१४. संस्कृत कक्षा ८
१५. उर्दू कक्षा ७
१६. उर्दू कक्षा ८
१७. भूगोल कक्षा ७
१८. भूगोल कक्षा ८

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(२) विद्यार्थियों को समस्त पुस्तकें उपलब्ध हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या यह सच है कि ये पुस्तकें सत्र-शुरू होने के बाद में काफी देर से विद्यार्थियों को उपलब्ध हुईं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जवाब के भाग (१) में कहा है कि कक्षा ७ व ८ के अलावा समस्त पुस्तकें जुलाई १९६० में उपलब्ध हो चुकी थीं और बाकी पुस्तकें अगस्त १९६० में उपलब्ध हुईं।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि वितरण में कोई न कोई ऐसा दोष है कि जिसकी वजह से विद्यार्थियों को जनवरी, दिसम्बर तक पुस्तकें नहीं मिल सकीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी मेरी कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि जिसकी वजह से वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी हो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): आपने कहा कि जुलाई-अगस्त में छपाई गईं, लेकिन वितरकों के पास पहुंच कर विद्यार्थियों को मिली हैं, यह सत्र के अन्त तक जाकर मिली हैं, इसकी जांच की है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने उत्तर दिया, उसमें यह कहा है कि उर्दू कक्षा ७ व ८, सामाजिक ज्ञान कक्षा ७ और गणित कक्षा ७ के अतिरिक्त समस्त पुस्तकें जुलाई सन् १९६० में उपलब्ध हो चुकी थीं और बाकी पुस्तकें अगस्त १९६० में उपलब्ध हुईं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपकी पुस्तकें छप गईं, विद्यार्थियों को उपलब्ध हुईं देरी से, इसकी शिकायत आई है आपके पास ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा ख्याल है, आप अन्दाजे से प्रश्न कर रहे हैं; ऐसा नहीं हुआ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि वितरक लोग इन पुस्तकों के साथ अपनी पुस्तकें खरीदने की शर्त रखते थे और विद्यार्थी खरीद नहीं सकते इसलिए विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

अध्यापक से लेखक तथा लेखक से अध्यापक बनने के सम्बन्ध की विज्ञप्ति की अवहेलना

२७९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि संचालक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर की विज्ञप्ति संख्या ई० डी० बी० । ई० एस० एच० ।

Page No.28

(श्री मुरलीधर व्यास)

(सी) ८०१३।४७ (५८), दिनांक २०-५-५८ के अनुसार कोई भी अध्यापक से लेखक व लेखक से अध्यापक बन सकता है ? यदि हां, तो फिर भी कई लेखक व अध्यापक इससे (option according to their choice) क्यों वंचित किये गये ?

(ख) जोधपुर डिविज़न में उपरोक्त विज्ञप्ति लागू होने के पश्चात् कितने अध्यापकों को लेखक व कितने लेखकों को अध्यापक बनाया गया ? उप-संचालक, शिक्षा विभाग जोधपुर द्वारा किन किन लेखकों व अध्यापकों को इससे वंचित किया गया जब कि वे अपनी रुचि के अनुसार लेखक से अध्यापक व अध्यापक से लेखक बनना चाहते थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) कोई भी लेखक या अध्यापक जो कि लेखक से अध्यापक व अध्यापक से लेखक बनना चाहते थे और जो संलग्न विज्ञप्ति के नियमों के अन्तर्गत आये थे इस लाभ से वंचित नहीं किये गये ।

(ख) जोधपुर डिविज़न के ऐसे अध्यापकों की सूची जो लेखक से अध्यापक व अध्यापक से लेखक बनाये गये तथा जिन्हें ऐसी आज्ञा प्रदान नहीं की गई संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे तो सूची मिली नहीं।

श्री अध्यक्ष : नोटिस ऑफिस में चली गई । आप शायद लेट आये हैं ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्री श्री डे को कुंआ निर्माण हेतु प्रदत्त तकावी ऋण का उपयोग

२८०. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) [श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्री श्री डे ने कुंआ खुदवाने के लिए ३,०००) रु० की धन-राशि की तकावी के लिए कोई आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो कृपया उस आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) यह कुंआ कब बन कर तैयार हुआ तथा इससे कितनी भूमि की किस किस वर्ष में सिंचाई हुई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां । आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) यह कुंआ सं० २०१५ में बन कर तैयार हुआ तथा इससे सं० २०१५ में ७।।) २, सं० २०१६ में ६।।) २ भूमि की सिंचाई हुई तथा सं० २०१७ में १५।।) ३ भूमि की सिंचाई की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

Page No.29

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जो तकावी दी जाती है क्या इसके लिये नियम बने हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, नियम भी हैं और कानून भी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या जिन लोगों को तकावी दी जाती है उनके लिये कुंआ खुदवाना इसमें सम्मिलित नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जांच नहीं की जाती है। यदि काश्तकार हो और उसके पास जमीन हो तो तकावी मिल सकती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या तकावी व्याज सहित दी गई है या बिना व्याज के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : व्याज सहित।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनकी दरख्वास्त में लिखा है कि बिना व्याज दी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें कुछ भी लिखा हो लेकिन व्याज से दी गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस कुंए से कितनी जमीन की सिंचाई होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एक अलग प्रश्न है। यदि आप अलग से पूछेंगे तो मैं इंजीनियर को भेज कर जांच करवा लूंगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें लिखा है कि कितनी भूमि की किस किस वर्ष में सिंचाई हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब दिया जा चुका है। कितनी गहराई है, कितनी कैपेसिटी है, आदि के बारे में अलग प्रश्न पूछा जायगा तो बता दूंगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उन्होंने दरख्वास्त में लिखा था कि इतने कुंए खुदवायेंगे, इतनी कैपेसिटी होगी आदि सारी बातें लिखी थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि कुंआ खुदवाया गया। उससे ३ साल से सिंचाई हो रही है और १६ बीघा जमीन करीब सिंचाई हो रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि उनको तकावी दी गई तब कितने ही लोगों की एप्लीकेशन्स पेन्डिंग थीं पर दूसरों की एप्लीकेशन्स को रिजेक्ट करके इनको दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं कह सकता कि दूसरों की एप्लीकेशन्स पेन्डिंग थीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उनकी एप्लीकेशन पर वेरिफिकेशन किसने किया कि उनके पास जमीन है ?

Page No.30

श्री दामोदरलाल व्यास : वैरिफिकेशन पटवारी करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि वह जमीन बंजर और गोचर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वह जमीन सेटलमेन्ट के पर्चे में गोचर भूमि के रूप में दर्ज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गोचरभूमि के रूप में सेटलमेंट के पर्चे में दर्ज हो नहीं सकती क्योंकि उन्होंने जागीरदार से खरीदी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप किस आधार पर कहते हैं कि गोचरभूमि दर्ज नहीं है जब कि अदालत में काश्तकारों ने गोचर-भूमि के लिये दावा कर रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि लोन एप्लीकेशन में यह नहीं बताया था कि स्टे-ऑर्डर दिया हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई स्टे-ऑर्डर नहीं दिया हुआ है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या यह सही है कि ये दूसरे प्रान्त के रहने वाले हैं और राजस्थान में इनको छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया गया है, तो क्या यहां पर राजस्थानियों के अलावा दूसरे प्रान्तों के लोगों को भी जमीन अलॉट की जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जमीन खरीदने का हरेक को अधिकार है, चाहे वह किसी भी प्रान्त का रहने वाला हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जमानत के लिये जो चीज़ थी वह बेची जा चुकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या चीज़ थी जमानत के तौर पर ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मकान की जमानत थी और वह बेचा जा चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी सूचना में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न पहले भी आया था और राजस्व मंत्रीजी ने उत्तर दिया था तब गोधुका के मकान को जमानत के तौर पर रेफर किया था। उस समय भी मैंने कहा था कि वह मकान सेल हो चुका है। ऐसी हालत में जब कि सिक्योरिटी है नहीं, इन्सटालमेन्ट्स पे नहीं हुई। इस बारे में मंत्रीजी ने कहा कि दावा नहीं चल रहा है, सूट पेन्डिंग नहीं है। मैं हाउस के सूचनार्थ बता दूं कि केस नं० १७६।५८ गंगाराम वर्सेज़ आनन्दीप्रसाद, मि. एस. के. डे. पार्टी है, डिक्लेरेशन का सूट है, गोचर भूमि का पजेशन उसको नहीं दिया जाय इस बारे में। Mr. Dey is also a party to this and Injunction Order has been issued by the Court. I have got a certified copy of the Court's Injunction Order. Affidavit has been filed in

Page No.31

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

support of the application and the Injunction Order has been granted by the Court. मेरे पास सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ मौजूद हैं। यदि आप चाहें तो दिखा सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि अदालत में हुक्म इमरतनाई के बाद सेटलमेंट के पर्चे में गोचरभूमि दर्ज है। मैं नहीं कह सकता कि सरकार ऐसी जमीन के लिये, जिसके बारे में कोर्ट में दावा चल रहा है, तकावी देती है और वह भी ऐसे आदमी को जो जिम्मेदार व्यक्ति है और सेन्टर में मिनिस्टर है। यदि आप उनको हैल्प करना चाहते हैं तो और तरह से करिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the question which the Hon'ble member is putting? He should have put a particular question and not make a long speech.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे जरूरत होगी तो दे दूंगा, लेकिन फैक्ट्स ये हैं। आप चाहें तो सदन की मेज पर इन कागजों को रख सकता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't know anything about this suit. यदि लिटिगेशन चल रहा है और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो I am not concerned with this. If he does contempt of court he will be punished. How the Government is concerned with this?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Government should not be a party in abatement of the contempt of the Court.

श्री दामोदरलाल व्यास : It does not.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If the Government grants a loan to a particular person who is not legally in possession of the land, then it is abatement to every body.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या आपने तकावी देने से पहले उनके खातेदारी का पट्टा देख लिया था?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कायदे से सारी जांच करके, जमीन को मोर्टगेज बना कर फिर तकावी दी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनको जो तकावी दी गई उसकी किश्त टाइम से जमा कराई या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री किशनाराम : एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ लूं? क्या मंत्री जी ने इस बात की जांच कराई थी टिनेन्सी एक्ट के तहत कि जब उनको राजस्थान में भूमि अलॉट की गई उस समय उनके पास और जगह तो कोई काश्त की भूमि नहीं थी?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

लूणकरणसर तहसील के पंचायत क्षेत्रों में गोचर भूमि नहीं छोड़ा जाना

२८७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) [श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) द्वारा पूछा गया]) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) लूणकरणसर तहसील की कई पंचायतों ने सन् १९५८—५९ व ६० में गोचर भूमि छुड़ाने के लिये अपने प्रस्ताव मय सम्बन्धित खसरा नं० व नक्शों के तहसील में भेज चुकने के बावजूद भी अब तक उन पंचायत क्षेत्रों में गोचर भूमि न छोड़ी जाने का क्या कारण है ?

(ख) क्या सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे राजस्थान एग्रीकल्चरल लैंड अलॉटमेंट रूल्स, १९५७ तथा तत्सम्बंधी भूमि आवन्टन नियमों के अन्तर्गत स्वतः प्रत्येक गांव में चरागाह भूमि रिज़र्व कर देवें ? अगर हां, तो उक्त नियमों का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया ?

(ग) क्या राज्य सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ (omission in their duty) के कारण कोई कार्यवाही करने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसील लूणकरणसर की तीन पंचायतों से ग्यारह ग्रामों में गोचर भूमि छुड़ाने के प्रस्ताव सन् १९६० में तहसील में प्राप्त हुए थे जिन पर कार्यवाही की जा रही थी। परन्तु अब क्षेत्र बन्दोबस्त में आ जाने के कारण भू-प्रबन्ध अधिकारियों को लिख दिया है कि गोचर भूमि को नियमानुसार छोड़ने की कार्यवाही करें।

(ख) राजस्थान लैंड रेवेन्यू अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑर एग्रीकल्चरल पर्चेजेज रूल्स, १९५७ के नियम ६:१६ में चरागाह की भूमि को अन्य बिला कब्जा वाली भूमि में से अलग किये जाने का प्रावधान है। मगर चरागाह कायम किये जाने के नियम राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये रूल्स के अध्याय २ धारा ६ में दिये हैं जिनके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ग) चरागाह कायम किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(१२. १० म० प०)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

आय-व्ययक १९६१-६२ पर सामान्य वाद-विवाद

श्री तनसिंह (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, जो वित्त मन्त्री महोदय ने यहां बजट पेश किया है उसके लिये मैं उनको हार्दिक धन्यवाद दे सकता हूँ। धन्यवाद इसलिये दे सकता हूँ कि उन्होंने इस बार बड़ा परिश्रम किया है और जब कि प्रारम्भ में शुरू किया था तब उनका भाषण ऐसा लगता था जैसे कोई कविता कर रहा हो और मैं यह सोच रहा था जैसे हमेशा ही कविता किया करते है, साहित्यिक दृष्टिकोण के और साहित्यक रूचि के श्रीमान हैं इसलिये ऐसा होना लाज़मी है और होता भी आया है। तो पहले पहल आपने इस प्रकार से आरम्भ किया।

(श्री तनसिंह)

सच पूछिये तो हमारा योजनाबद्ध अर्थ प्रबन्ध अभी कुल दस साल का ही नन्हा बच्चा है, फिर भी कहना होगा कि यह बालक प्यार करने लायक है, बहुत कुछ भला चंगा स्वस्थ है, चपल है और होनहार भी है, इसमें बहुत सी भावी आशाएं, संभावनाएं छिपी हुई है। न जाने कितने ही पैराग्राफ पढ़े तो मुझे हंसी आये बिना नहीं रही, लगता था कि यह अन्त तक चलेगा लेकिन बीच में जाकर कमाल कर दिया। सारे आंकड़े जो बच्चे को फीड करने के लिये पर्याप्त हैं, रखे गये लेकिन इसके बाद जो आंकड़े रखे हैं वे ऐसे हैं जो निश्चित रूप से बच्चे की विशेषताएं हैं उनके पक्ष में आर्ग्युमेन्ट्स देने वाले हैं। अब कुछ खर्चा ऐसा है जिसका अनुमान लगाया जाता है। कुछ महीनों का एवरेज रखा, पर कोई नहीं बता सकता कि वास्तव में कहां जाकर पड़ेगा। लेकिन बच्चे की आज तक की हालत देख कर मैं नेक सलाह दूंगा कि आप काफी वृद्ध हो गये हैं बच्चे का पालन करने के लिये, अपना स्थान किसी और को दे दें तो वह यह काम अच्छी तरह से निभा सकता है। मैं उनकी योग्यता का कायल हूँ। वे अच्छी तरह से लिख सकते है, एक अच्छे साहित्यकार हैं, मैंने उनकी कई किताबें देखी हैं, लेकिन यह मामला उनके वश का नहीं है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : बच्चे तो बूढ़ों की ही गोद में खेला करते हैं।

श्री तनसिंह : पिछले १० साल की हिस्ट्री में तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ। सन् ५५ से लेकर अब तक की बच्चे की हालत बता दी है।

हमारा बजट इस साल घाटे का बजट है। घाटे का बजट हो या लाभ का हो, इससे असलियत में फर्क नहीं पड़ता है। कभी तो ऐसा होता है, बताया तो जाता है घाटे का बजट और हो जाता है आवश्यकता से अधिक बचत का बजट। कभी बचत का बताया जाता है और वह निकलता है भयानक घाटे का बजट। १९५५-५६ के बजट में दो करोड़ ३९ लाख का घाटा बताया गया था, उसके बदले इस बजट में ८४ लाख की बचत हो गई। दूसरी बार १९५६-५७ के अन्दर १ करोड़ ३२ लाख का घाटा बताया गया, जो कि अन्त में १ करोड़ ८० लाख का हो गया। १९५७-५८ के अन्दर २ करोड़ ८० लाख का घाटा बताया, जब कि उसमें ६३ लाख को बचत रही है। पिछले तीन सालों के बजट में से १९५८-५९ के अन्दर साढ़े उन्नीस लाख, जो कि आपका फीगर बताया हुआ है, की बचत बताई गई थी, वहां दरअसल में अतिरिक्त खर्चा हुआ है १ करोड़ ६७ लाख के करीब। इसी तरह से १३ लाख की १९५९-६० की बचत बताई गई जब कि ९७ लाख की बचत हुई है। इसी तरह से गत साल के बजट में १५ लाख की बचत थी, जब कि अनुमान है ५३ लाख का घाटा होगा। आप यह कह सकते हैं कि जब कि ४० करोड़, ३५ करोड़ का खर्चा हो रहा है, इतनी आमदनी होती है, ९० लाख ५० लाख ६० लाख के फिगर्स ज्यादा नहीं हैं, इसका पर्सेन्टेज कम होता है। मैं इस आर्ग्युमेंट को मान सकता हूँ। लेकिन जिस बात की वे हमेशा तारीफ किया करते हैं कि हम नियोजित और ढंग से

(श्री तनसिंह)

अर्थ प्रबन्ध को चला रहे हैं, उसके आधार पर हम वैलफेअर स्टेट बनाने जा रहे हैं; उस वैलफेअर स्टेट में, मैं समझता हूँ, जिन मदों पर खर्चा होना चाहिये उन मदों पर वास्तव में जितना बजट में प्रोविज़न रखा जाता है, उसके अनुसार वह खर्च होता तो मैं समझ सकता था कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है। लेकिन अब कह सकता हूँ कि जैसा आप कहते हैं उसके मायने आप समझते नहीं।

दूसरी स्थिति यह है कि हम किन मदों में खर्चा कर रहे हैं,किन मदों में खर्चा उत्तरोत्तर बढ़ रहा है,किन मदों में खर्चा कर नहीं पा रहे हैं और उससे क्या फायदा हुआ है ? यदि आपने यह रुपया इर्रिगेशन में रख दिया है, या केपिटल आउट लें आउट साइड रेवेन्यू अकाउन्ट या इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये रख लिया और उन सब कामों के लिये रख लिया लेकिन वाकई में आप उस रुपये को खर्च नहीं कर सके तो उससे फायदा क्या हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उससे नुकसान ही होता है, क्योंकि आप वह रुपया ब्लॉक करके रख लेते हैं, यह रकम इस विभाग के लिए खर्च करने के लिए रखते हैं, उस विभाग में उतनी खर्च नहीं कर पाते। नतीजा यह होता है कि वह रकम ज्यों की त्यों पड़ी रहती है और दूसरे कामों में आ नहीं सकती। इसके विपरीत दूसरे विभाग में पैसे की तंगी रहती है। हम सोचते हैं कि इस बार बजट में घाटा रहा है या इस बार स्टेट को कम आमदनी हुई है। अब इस प्रकार विहंगम दृष्टिकोण से बजट को देखते हैं तो कुछ विभागों के लिए बता दिया जाता है कि यह विभाग ऐसा है कि इसके लिए रखा गया पैसा बड़े कामों में आने वाला है, यह विकास और बहबूदी के लिये है। उन विभागों की बात आप देखिये केपिटल अकाउन्ट आॅफ दी स्टेट वर्क्स आउट साइड रेवेन्यू अकाउन्ट, दूसरा केपिटल आउट ले आॅन इन्डस्ट्रियल अकाउन्ट, तीसरा केपिटल आउट-ले आॅन स्कीम्स एण्ड एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट और चौथा है विदिन रेवेन्यू अकाउन्ट ओन मल्टी पर्पज़ एण्ड रिवर वगैरह। इन मदों की हालत यह है, केपिटल अकाउन्ट ओन अदर स्टेट वर्क्स आउट साइड रेवेन्यू अकाउन्ट की हालत यह है कि १९५५-५६ में जो कुछ बजट-रिवाइज्ड एन्ड फाइनल में ७१. २ की बचत रहती है, १९५६-५७ के बजट में ६१. १ को बचत रहती है, १९५७-५८ में ५९.९ की बचत होती है, १९५८-५९ में ५५. ६ की बचत होती है। इसके आधार पर आप पर्सेन्टेज निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि करीब ६० पर्सेन्ट बचत रहती है। इससे मालूम होता है कि आप आँकड़े बजटमें रखते हैं और उसमें से खर्चा आधे के करीब नहीं कर पाते हैं और ५० प्रतिशत रकम रखना बेकार हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है कि वह रुपया बेकार हो जाता है। मैं यह बता सकता हूँ कि दो बातें आपको नारे के मिल जाती हैं। एक तो यह कि आप इस प्रकार का खर्चा कर रहे हैं जो हमारी नेशनल इन्कम को बढ़ाने वाला है, उन विकास कार्यों में खर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमको कर लगाने चाहिये और आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिये। ये नारे आपको सहज ही उपलब्ध सकते हैं। लेकिन इसकी जब पोल खुलती है, हमारे सामने जब अकाउन्ट आते हैं तो उनसे मालूम होता है कि जितना बजट में रखा है, ठीक है, उनमें १० पर्सेन्ट की बचत हो सकती है, १० पर्सेन्ट इधर उधर हो सकता है, १५

Page No.35

(श्री तनसिंह)

पर्सेन्ट की बचत हो सकती है, यह मायने रखता है और हम यह सोचते हैं कि योजनाबद्ध और आर्थिक ढांचे के अनुसार है और इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि जिनके लिए लाखों का ओवर एक्सपेन्डीचर हो सकता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि ऐसी महत्वपूर्ण मदों में भी ५० पर्सेन्ट की बचत रहती है। इस बार आपने १० करोड़ ५० लाख रुपये रखे हैं। पिछली बार आपने ९ करोड़ २५ लाख रुपये रखे थे। जब पिछली बार ५० पर्सेन्ट की बचत हो जाती है तो इस बार १ करोड़ २५ लाख और अधिक रखने का मतलब क्या है? आपकी मशीनरी है, वर्क को एग्ज़ीक्यूट करने वाली मशीनरी है, स्कीम्स को व्यवहार में लाने वाली जो मशीनरी है वह इस बात में बिल्कुल अशक्य है कि वह सम्पूर्ण रूप में खर्चा कर सके और सारी स्कीम्स को पूरा कर सके, यह सम्भव नहीं है। यह हो सकता है कि बहुत समय तक विचाराधीन रही हो और वे मांग नहीं सके हों, यह हो सकता है कि मजदूर नहीं मिल सके हों, यह हो सकता है कि लेट सैंक्शन मिली हो। किसी तरह हो, एक न एक कारण रहा है जो १९५१ से लेकर आज तक उपस्थित है और इन पिछले चार-पांच सालों से उन कारणों से वर्क नहीं हो सका हो। मैं समझता हूँ उससे सबक सीखा होगा। हम लोगों ने तो सबक सीखा है। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अगर सबक सीखा होता तो उस सबक के कारण इतना लम्बा-चौड़ा बजट रखने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर वे नारे के रूप में रखना चाहते हैं तो भले ही रख लें। वे यह चाहते हों कि इन नारों से हम लोगों पर टैक्स लगा सकें और उनका जस्टीफिकेशन दे सकें, तो मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह प्रोपर जस्टीफिकेशन नहीं है, प्रोपर ढंग नहीं है। अगर इसको मेरा कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मानें तो मैं माननीय मन्त्रीजी से कह सकता हूँ कि आराम से, बिना फिक्र किये आप साढ़े दस करोड़ में से पांच करोड़ कम कर दीजिये। मैं यह नहीं कहता कि आपको विकास कार्यों में खर्चा नहीं करना चाहिये। मैं तो यह कहता हूँ कि आप साढ़े दस करोड़ की जगह १५ करोड़ रुपया खर्च कर दीजिये, उसके बदले लोगों पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्स लगा दीजिये, लेकिन आज स्थिति यह है कि आप जितना लेते हैं, उसमें से खर्चा कितना होता है। यह इतिहास बता रहा है। इस बच्चे का विगत जीवन बता रहा है, हम समझ भी सकते हैं कि इस बार आप पूरा खर्च करेंगे, यह आश्वासन आप दे सकते हैं, लेकिन इसकी सम्भावना नहीं है। इस बार तो आप और भी कम खर्चा कर सकते हैं क्योंकि अक्टूबर-नवम्बर में आपकी सरगर्मियां विकास कार्यों में नहीं होंगी, बल्कि चुनाव में रहेंगी। इस प्रकार अगली साल के लिये रखा गया पैसा बेकार जाने वाला है, जो विकास होना चाहिये वह पड़ा रहेगा और चुनाव में आवश्यकतानुसार जहां जहां जैसी जैसी सैंक्शन देनी होगी वहां दे दी जायगी। कहने का अभिप्राय यह है कि अगला साल इस प्रकार का हो सकता है जिसमें कम खर्चा कर सकते हैं क्योंकि आपकी मशीनरी इतनी योग्य नहीं कि खर्च कर सके। फिर क्या कारण है जब पिछली सालों में हमेशा ५० पर्सेन्ट [illegible] कर लेते

(श्री तनसिंह)

हैं, तो इस बार १ करोड़ २५ लाख का प्रावधान और बढ़ा दिया है? आपने कुल मिला कर साढ़े दस करोड़ की रकम रखी है। आप इसमें से आसानी से पांच करोड़ रुपया कम कर सकते हैं, इसलिये नहीं कि रुपया ज्यादा है, बल्कि इसलिये कि उसको आप खर्च नहीं कर सकते।

अब दूसरी इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ है केपिटल आउट-ले ऑन दी स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। यह बहुत महत्वपूर्ण मद है। हम सोचते हैं कि राजस्थान में खेती के विकास के लिये काम हो रहा है। यह बड़ी अच्छी मद है, इसमें जितना भी केपिटल लगाया जायगा वह हमारी बहबूदी के लिये होगा। अब १९५५-५६ में जितना भी रुपया रखा गया है वह पूरा का पूरा खर्च नहीं हुआ। इस मद में मेरे ख्याल से १९५५-५६ में रखा होगा इतना रुपया........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ६० पर्सेन्ट जिन मदों में बचत रही उनका बता दीजिये कि कितना प्रोविज़न था, कितनी बचत हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : ताकि हमें मालूम हो जाय कि आपने किन्हीं गलत बेसिस पर तो केल्कुलेशन नहीं कर लिया है ?

श्री तनसिंह : फाइनेन्स एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनके फिगर्स दिये हैं, इनकी फिर भी आपको जरूरत होगी तो मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि इस वक्त तो मैं उनको साथ नहीं लाया हूं, क्योंकि वह एक बड़ा भारी पोथा हो जाता, बाद में आपको बता दूंगा कि कहां कहां से इन आंकड़ों को लिया है, ताकि आप उनका अच्छी तरह से जवाब दे सकें। आपने आज तक तो जवाब दिया नहीं, पर अब की बार भाषण में चातुरी का प्रदर्शन किया है तो मैं समझता हूं इस बार इन सब बातों का जवाब देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : ६० पर्सेन्ट बचत का आपने कहा है तो अच्छा होगा। यदि आप बता दें कि किन किन में इस प्रकार की बचत हुई है ?

श्री तनसिंह : केपिटल अकाउन्ट एन्ड अदर स्टेट वर्क्स, आउट साइड रेवेन्यू अकाउन्ट, इस मद में ५५-५६ में ७१.२,

५६-५७ में ६१.१,

५७-५८ में ५८.६,

५८-५९ में ५५.६।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतना नहीं हो सकता।

श्री तनसिंह : नहीं हुआ तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : कई फिगर्स लाखों में दिये हुए हैं और कई फिगर्स करोड़ों में दिये हुए हैं, इसलिये ये सही नहीं है।

श्री तनसिंह : यही है। मैं देख कर आया हूं। मुझे खुद को आश्चर्य हुआ और मैंने देखा कि इन्हीं फिगर्स पर माननीय वित्त

(श्री तनसिंह)

मंत्री पकड़े जा सकते हैं। कहा गया कि बढ़ोतरी हो रही है। जिस बच्चे की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि इतना अच्छा है, ऐसा है, देखने से पता चलता है वह कितना पंगु है और आप कहते हैं कि इस बच्चे को प्यार करें, आपका बच्चा है इसलिये आप प्यार कर सकते हैं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका भी है, यह तो जोइन्ट है सब का।

श्री तनसिंह : आगे लीजिये, केपिटल आउट-ले ऑन स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट्स। इसके अन्दर ५५-५६ में सेंट पर्सेन्ट बचत हुई है:

५६-५७ में ६३.४,

५७-५८ में १७.९।

इसमें हम समझते हैं कि बराबर तरक्की कर रहे हैं, पर्सेन्टेज बढ़ा है पर ५८-५९ में फिर ५२.७ हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि इसके साथ दोनों हैड्स को मिला कर इसके साथ दूसरा हैड मिलाया गया है।

इस प्रकार केपिटल आउट-ले ऑन इन्डस्ट्रियल स्कीम्स इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के लिये है, उसमें भी बचत वैसी है :

५६-५७ में ४९.३ बचत हुई है,

५७-५८ में १३ पर्सेन्ट। यहां हम तरक्की मान सकते हैं पर आगे जाकर ५८-५९ में ७४.९ की बचत हो जाती है और इस बार कुल मिला कर १,२४,३८,००० रुपया रखा गया है इन दो स्कीम्स में। पिछली बार रखा गया था उससे ५,२७,००० रु० ज्यादा रखा है जब कि ७४ प्रतिशत और ५२ प्रतिशत की बचत होती है। जब इतनी बचत होती है तो बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें ५० पर्सेन्ट काट सकते हैं, क्योंकि आपकी ताकत नहीं, कि इतना खर्च कर सकें।

इस तरह दो सजेशन्स में साढ़े पांच करोड़ (५५० लाख) की मेथेमेटिक्स के हिसाब से कमी कर सकते हैं।

अब लीजिये कन्स्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन को। इसका इम्प्रूव हो रहा है, पर फिर भी बचत तो होती ही है, चाहे १२ प्रतिशत या १४ प्रतिशत बचत हो; बचत तो होती ही है। इसका अभिप्राय यह है कि हम पूरा का पूरा तो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में बढ़ोतरी किस में हुई है? यह हमारे सामने बजट रखा गया है। जिन मदों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी बताई गई है उनकी ओर सरकार देखे। ये तो आंकड़े भी मेरे पास मौजूद हैं, वित्त मंत्रीजी देखेंगे तो पता चलेगा। जो एक्सपेन्डीचर होता है उसको देखें कि कहां कहां कौन कौन से मद हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें इस बार अधिक खर्चा बताया? मैंने देखा करीब करीब सभी मदों में कम खर्चा बताया पर दो-तीन मदों में ज्यादा खर्चा बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ का ७६० हजार का खर्चा ज्यादा बताया गया और वहां एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जी. ए. डी. में १२ लाख का खर्चा ज्यादा बताया है। इसी तरह सोशियल डेवलपमेंट सर्विसेज़ में ५६,६६७ रुपया कुल खर्च बताया गया है सिविल वर्क्स में,

Page No.38

(श्री तनसिंह)

मल्टीपर्पज़ में २,७३६ हजार रुपया ज्यादा बताया गया है, दो करोड़ कुछ रुपया एज्युकेशन का ज्यादा रखा है ।

मैं मान सकता हूं कि यह ५ करोड़ अधिक रखा गया है, इनमें कुछ जस्टिफिकेशन हो सकता है कि प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोलें। वह भी कर सकें तो आसान काम है, मास्टर मिल जाय और समझ लिया कि स्कूल खुल गया । इससे समझेंगे कि प्राइमरी शिक्षा का स्तर है उस तक पहुंचे । पर तीन करोड़ का दूसरे विभागों में जो खर्च बताया गया है उसकी बचत हो सकती है ।

फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने ५८ में रिकमन्डेशन्स की थीं उनको तीन साल बाद में आंशिक रूप में किया जा रहा है पर बजट में इसके खर्च को कम नहीं बताया है, पहले था उतना ही माना है। तो जो कमिश्नर्स हटाये जाते हैं, पुलिस विभाग में या किसी विभाग में कटौती हुई है उन पोस्टस का रुपया तो उतना ही रखा है । मैं कहता हूं कि आप कितनी ही कटौती कर लें, आपने कमिश्नर्स के लिये कहा है कि हटायेंगे पर वे कमिश्नर न रह कर कहीं किसी दूसरी जगह पर रहे, रुपया तो उतना का उतना ही लेंगे । दर असल इकॉनोमी होने की गुंजायश नहीं रखी है, क्योंकि बजट में वह खर्चा पूरा का पूरा रखा है । जी. ए. डी. पर १२ लाख ज्यादा खर्चा रखा है, सोशियल सर्विसेज़ में ५६० लाख रुपया ज्यादा खर्च कर रहे हैं । बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वे केवल विशेष जगहों पर ही फायदा दे सकते हैं। भाखरा से बीकानेर को फायदा पहुंचाया जा सकता है, चम्बल बांध से कोटा के लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, पर छोटे छोटे बांधों से जगह जगह के ज्यादा लोगों को फायदा मिल सकता है उसमें केवल आपने २७ लाख रुपया रखा है । यह ऐसा विभाग है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, हालांकि कहने को हम कहते हैं कि मीडियम, माइनर इरिगेशन वर्क्स पर हम तवज्जो दे रहे हैं। पर मैं देखता आ रहा हूं कि बचत होती है, इसका कारण यह है कि,हमारी कार्य करने की जो शक्ति है वह आवश्यकता से अधिक चम्बल और राजस्थान केनाल की ओर लग रही है जिनका कि रिटर्न हमें बहुत बाद मिलने वाला है । छोटी स्कीम्स से अत्यन्त शीघ्र ही रिटर्न मिल सकता है । इसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, इतना कम रुपया इसमें रखा गया है । आउट स्टेन्डिंग में रखा यह कोई ज्यादा खर्चा नहीं । एज्युकेशन में २ करोड़ ज्यादा बढ़ गया तो यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि जिसकी वजह से हमें इतने बड़े कर लगाने की व्यवस्था करनी पड़े । पर हमारी सरकार पर कर्जा अनाप-शनाप रूप से बढ़ रहा है और वह कर्जा इतना बढ़ रहा है कि कहा नहीं जा सकता । समझदार आदमी वही होता है जो रोग को और कर्ज को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये ही दो चीजें ऐसी हैं जो न दिन को रुकती हैं और न रात को रुकती हैं और इसलिये वह रात और दिन बढ़ता रहता है । इसलिये हमारी डैट (debt पोजिशन को देखा जावे जिसके लिये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ । हमारे यहां आर्टिकल २९७ कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारा लेजिस्लेशन इस बात में सक्षम है कि लोन के लिये एक

Page No.39

(श्री तनसिंह)

लिमिट निश्चित कर सकता है कि इससे ज्यादा रुपया लोन नहीं लिया जा सकता। एक बार इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया था तो यह कहा गया कि इसकी क्या जरूरत है ? मैं यह कहूँगा कि इसकी जरूरत नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको रखा है तो सोच-समझ कर ही रखा है और आप कहते हैं कि क्यों रखा गया है ? उन्होंने यह जो रखा है वह एक नियन्त्रण के तौर पर रखा है कि इससे ज्यादा कर्जा नहीं लिया जाना चाहिये । हमको यह मालूम होना चाहिये कि हमारी सरकार कितना कर्जा लेने जा रही है । लाख, दस लाख करोड़, अरब, पदम, नील जितने भी मैथेमेटिक में हम कह सकते हैं, लोन ले, उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिये । आप यह कहेंगे कि इस प्रकार की सीमा निर्धारित करने से हमारे विकास कार्यों में बाधा पहुंचती है । लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि इसके लिये भी आपका कोई योजना-बद्ध अर्थ प्रबन्ध होना चाहिये । यदि आप यह चाहते हैं कि खर्चा करते जावें और कर्जा लेकर खर्च करते जावें तो मैं यह कहूँगा कि यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । हमेशा यह सोचना चाहिये कि हमारे पास कितना पैसा है और कितना खर्च करना है । हमारे पास कितनी चद्दर है, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिये । ऐसा न हो कि चद्दर छोटी होते हुए भी पैर फैलाते जावें । यह कोई समझदारी की बात नहीं है । यह कहा जा सकता है कि यह बच्चा है और बच्चा ऐसा कर सकता है ; लेकिन मैं यह कहूँगा कि वे तो कर्जा लेते जाते हैं और जैसी कहावत है:

"यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्
ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत् ।"

जब तक हम ५ साल तक रहें, जब तक थोड़े से दिन बाकी हैं तब तक खूब घी खावें और अगर घी नहीं मिलता है तो कर्जा करके पीवें । अब यह कहा जावे कि कर्जा करके ही विकास हो सकता है और यह कहा जा सकता है कि कर्जा किसी बुरी चीज के लिये नहीं लिया जा रहा है । कर्जा भी तो विकास कार्य के लिये लिया जा रहा है और जब विकास होगा तो उससे रिटर्न होगी । मगर मैं यह कहूँगा कि उसके साथ साथ ब्याज कितना होता है उसको भी हमें देखना है । आखिर कर्जा और ब्याज तो हमें ही चुकाना होगा । कई दफे यहां पर बड़ी बहादुरी के साथ यह कहा जाता है और बताया जाता है कि हमने सेन्टर से इतना रुपया माफ करा लिया है, राइट ऑफ करा लिया है । मैं यह कहूँगा कि यह कोई प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति नहीं है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट उस कर्जे को राइट ऑफ कर दे । मगर यह कोई अच्छी गवर्नमेंट के लिये शोभा की बात नहीं है । क्या वह हमारा पैसा नहीं है ? वह पैसा तो हमारा ही है । उससे दूसरी स्टेटों को मदद मिल सकती है । हमारी सरकार को भी काफी रुपयों की आवश्यकता रहती है । हमारी रेल्वे और दूसरे कामों के लिये व डिफेन्स के लिये काफी पैसा चाहिये । यदि हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस तरह से पैसा देती रही और माफ करती रही तो हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेते रहे और अगर इसी तरह से चलते गये तो मैं यह कहूँगा कि हम स्वयं हमारे राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद नहीं दे रहे हैं और उल्टा उसको अपने पैरों पर खड़े होने में बाधा पहुंचा रहे हैं । इससे हमारे राष्ट्र-धन की

(श्री तैनसिंह)

वृद्धि होती है। इसको समझ कर हमें कर्जा लेना चाहिये।

कुछ थोड़ा थोड़ा राइट आॅफ किया होगा। मैंने पिछली बार सुना कि कर्जा कितना लिया हुआ है और जो कर्जा लिया हुआ है उसका इन्ट्रेस्ट भी चुकाया नहीं गया और इन्ट्रेस्ट को चुकाने के लिये भी अलग कर्जा लिया गया। वाकई में यह बात है। आज से दो वर्ष पहले यह स्थिति कर्जे की रही है। पहले जो कर्जे की स्थिति थी उसमें अब दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है।

सन् ५८-५९ में यह कर्जा ९७ करोड़ ८७ लाख ८६ हजार था जो अब आज करीब एक अरब और १० करोड़ हो चुका है। इसका अन्दाजा फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मन्त्रीजी) ने लगाया है कि यह एक अरब और ९ करोड़ हो जावेगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एडीशन और दूसरे डेट वगैरह हैं वे कुल मिला कर एक अरब और १० करोड़ के करीब हैं। आज से तीन वर्ष पहले उसका ब्याज २ करोड़ और ५९ हजार होता था और अब एक अरब और १० करोड़ का तीन करोड़ और ३४ लाख रुपया ब्याज का होता है जो कुल आमदनी का ८ प्रतिशत का कर्जा होता है। यह स्थिति है। हमारी आमदनी का आठवां भाग तो कर्जे में जाता है और वह भी कर्जे के ब्याज में ही। मूल धन तो न मालूम कब चुकेगा। इसका अन्दाजा नहीं है।

किसी भी स्टेट की आर्थिक स्थिति तीन बातों से नापी जाती है। एक तो कितनी उसकी आय है और कितना उसका खर्चा है और जो खर्चा है वह उसकी आय से पूरा हो जाता है या नहीं; अगर नहीं तो इसके अतिरिक्त उस पर कितना कर्जा लिया हुआ है और उसमें उस कर्ज को निरन्तर नियमित रूप से देते रहने की क्षमता है या नहीं। अगर आमदनी इतनी है कि साधारण कर्जा है तो उसका भी एमोटाइजेशन हो जावे।

दूसरी चीज़ यदि किसी आर्थिक दृष्टिकोण को देखने से हो सकती है वह यह कि कर्ज की तादाद कितनी है और उसके एसेस की कितनी पोजिशन है, उत्पादन स्थिति कैसी है। यह हो सकता है कि हमारी रेवेन्यू आय है उससे पूरा कर दें। यदि कर्जा ज्यादा नहीं है और ऐसेट्स इतने पैदा करते हैं कि प्रोडक्शन से कर्जा खत्म हो सकता है तो यह दूसरी बात हो सकती है।'

तीसरी चीज़ है वह यह कि किसी गवर्नमेन्ट के पास कितना सुरक्षित धन है जो समय आने पर किसी भी कठिनाई को मीट कर सके।

एक स्वस्थ आर्थिक व्यवस्था तीन बातों को देख कर ही बनाई जा सकती है। अब हम पहली बात को देखते हैं कि हमारे प्रशासन का खर्चा हमारी आमदनी से कम है या नहीं और इतनी बचत है कि खर्चा निकालने के बाद कर्जे को ठीक ढंग से देने की व्यवस्था हो सकती है।

अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारी आमदनी से खर्चा अधिक है। यद्यपि तीन वर्षों के अन्दर, आज से तीन वर्ष पहले की बात है, फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटी ने कहा

Page No.41

(श्री तनसिंह)

है कि सन् ५१ से ५६-५७ तक हमारी आमदनी है वह ६१ पर्सेन्ट बढ़ गई है और इस आमदनी का बढ़ना इन्टर स्टेट ड्यूटीज़ हैं या कस्टम्स ड्यूटी आदि पहले थी उसको काटने के बाद यह आमदनी बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ हमारी आमदनी बढ़ी है, उसके साथ साथ हमारा खर्चा कितना बढ़ा है? हमारा खर्चा ६७ प्रतिशत बढ़ा है; यानी आमदनी से हमारा खर्चा अधिक बढ़ता जा रहा है। हम कौनसे मद में कटौती कर सकते हैं, यह सोचने की बात है। लेकिन यह बात इससे स्पष्ट है कि हमारी जो आमदनी है उससे हम अपने कर्जे को चुका नहीं सकते। तो एमोटाइज़ेशन की बात हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं वह समझ में नहीं आया। इसके संबन्ध में एक बार प्रश्न पूछा गया तो फाइनेन्स मिनिस्टर कहते हैं कि आमदनी ऐसी होती रहेगी और कर्जा चुकाते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी कोई योजना-बद्ध आर्थिक व्यवस्था नहीं है कि फलां वर्ष में इतना रुपया चुकाएंगे और फलां वर्ष में इतना, आपके सोर्सेज़ क्या होंगे और किस मद से पैसा आवेगा? अगर इस प्रकार की कोई योजना हो तो हम कह सकते हैं कि आपको योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था है। आप यह कहेंगे कि अगर कर्जा नहीं ले सकेंगे तो प्लान को वर्क आउट कैसे करेंगे और कर्जे को तो राइट ऑफ भी करा लेंगे, लोन को सब्सिडी के रूप में करा लेंगे। आप इसी तरह की बात सोच कर बैठे रहते हैं तो मैं कहूँगा कि यह आपकी योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था नहीं कही जा सकती है।

तो अब दूसरी चीज़ रही कि कर्जे की तादाद और असेट्स की प्रोडक्टिविटी। कर्जे का तादाद के लिए तो मैंने निवेदन कर दिया कि ८ पर्सेन्ट तो हमारी पूर्ण आमदनी का ब्याज ही ब्याज होता है केवल, उस कर्जे का जो कि हमने लिया है और जिसको कि हमको वापिस चुकाना है। इसके अलावा हमें गारन्टीज़ भी तो दी हैं, जैसे-कोऑपरेटिव बैंक कानपुर की एक मिल और कुछ अन्य संस्थायें हैं उनकी। इस प्रकार की जो हमने गारन्टीज़ दी हैं उनकी रकम ३ करोड़ ४० लाख रुपया होती है। यदि इन संस्थाओं में, जिनकी हमने गारन्टीज़ दी हैं, घाटा पड़ता है या उनका आर्थिक ढांचा नीचे बैठ जाता है तो हम हमारी गारन्टी तक उनके लिए भी लाइबिल हैं। सही माने में एक व्यौपारी को यह सोचना चाहिये कि मेरे ऊपर तीन करोड़ ४० लाख रुपयों का भी कर्जा है।

तो अब रहा हमारे असेट्स की प्रोडक्टीविटी का सवाल। हमारी कितनी उत्पादन क्षमता बढ़ी है, यह भी आपकी आमदनी पर है। यह हो सकता है कि इससे राष्ट्रीय धन की बढ़ोतरी हो गई हो और आम लोगों को लाभ भी हुआ हो। आम लोगों का जहां हित रहता है तो यह भी देखना होगा कि आपकी सरकार भी चलेगी या नहीं? कम से कम उसका कुछ अंश तो आपको भी आना चाहिये। असेट्स ईल्ड हुए हैं, उनके विषय में मैं फीगर्स नोट करना भूल गया था लेकिन मैंने पढ़ा है किसी जगह पर करोड़ों रुपया है और उनके बदले में ३३ या ३० लाख के आये हैं। इससे मालूम होता है कि वास्तव में ईल्ड कम होता है। यह जरूर कहा गया है कि सिंचाई की योजनायें हैं और उनसे अन्न की उपज बढ़ गई होगी, लेकिन राष्ट्रीय

(श्री तनसिंह)

आमदनी बढ़ा कर वह हमारी स्टेट एक्सचेकर को मिली हो, इसमें मुझे संदेह है, अध्यक्ष महोदय।

अब अध्यक्ष महोदय, सुरक्षित धन की बात रहती है जो कि हमारी आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके। अध्यक्ष महोदय, रिज़र्व बैंक और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ है जिसके अनुसार ७ लाख रुपया हर शुक्रवार को बैलेन्स में रखना पड़ता है और दूसरे दिनों में छः लाख रुपया रखना पड़ता है। सन् ५८-५९ की स्थिति यह है कि उसमें ६२ करोड़ २६ लाख ३८ हजार रुपये ऐसे लोन लिये गये हैं जिनको टेम्पोरेरी लोन समझ लीजिये। रिज़र्व बैंक के अलावा ५९ करोड़ ५३ लाख रुपया दूसरे बैंकों और संस्थाओं से भी लिया है। जो ब्याज पर चुकाया वह ३९ लाख ९ हजार रुपया है। तो यह भी चीज़ नहीं रही कि जो मिनिमम बैलेन्स हमें रखना चाहिये था उस बैलेन्स को भी हम में मेन्टेन करने की सामर्थ्य नहीं रही। जब बैलेन्स ही मेन्टेन नहीं कर सकते हैं तो सुरक्षित धन की तो क्या उम्मीद की जा सकती है जो कि किसी समय कॉन्टिन्जेन्सीज़ का मुकाबला कर सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री योजना-बद्ध प्रबन्ध की बात करते हैं लेकिन यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे करें।

अब सवाल रहता है कि फिर जितना कुछ हुआ है, आखिर इतना सारा पैसा बताया गया है कि इतना घाटा जा रहा है, इसका सही कारण क्या हो सकता है? आवश्यकता से अधिक कर्जा लेते जा रहे हैं और इमोर्टाइज़ेशन का कोई प्रबन्ध नहीं है तो उसका क्या क्या परिणाम निकलने वाले हैं और जो भयंकर परिणाम निकलने वाला है उसको आप अभी से भोग भी रहे हैं। हम यह कहते हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि दो-तीन विभागों के अलावा कुछ नहीं है। जब केपिटल आउट ले की बात करते हैं तो वह दो-तीन विभागों के अतिरिक्त नहीं है। एजुकेशन और डेवलपमेंट आदि के मामले कहां रहते हैं?

कर लगाने की आवश्यकता क्यों है और क्यों हुई? माननीय वित्त मंत्री महोदय बचत करने जा रहे हैं, पोस्ट्स कम करने जा रहे हैं, वे स्वयं स्पीच में बताते हैं कि कटौती होने की है, पोस्ट्स वगैरह तोड़ रहे हैं, उसकी व्यवस्था बजट में कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि योजना-बद्धप्रबन्ध का बच्चा, बालक प्यार करने वाला नहीं रहा, वह तो मक्कार भी हो गया है। बताते कुछ हैं, विचार कुछ रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, बच्चे की सी हालत हो रही है इस राजस्थान सरकार की।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : बार बार बच्चे की याद आ रही है माननीय सदस्य को....

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब बच्चे की चटोकड़ेपने की आदत हो जाती है तो घर में जो कुछ मिलता है वह तो सब खा लेता है लेकिन जब मेहमान आते हैं तो उनकी भी जेबें टटोलने लगता है। इतने वर्षों के बाद वित्त मंत्री महोदय योजनाबद्ध प्रबन्ध करने जा रहे हैं। यह योजनाबद्ध

(श्री तनसिंह)

प्रबन्ध का बच्चा बड़ा भयानक हो गया है और इतना हो गया है कि वह अब जनता की जेबें भी टटोलने लगा हैं और जब बच्चा भयानक हो जाता है तो लोगों की जेबें भी कतरने लग जाता है । वह जेब-कतरा भी हो गया है । खर्च में कोई बात नहीं हुई है । बढ़ नहीं रहा है , आमदनी में भी फर्क नहीं पड़ रहा है । जैसा है वैसा है । बजट जैसा कहना चाहिये, कोई नयी चीज़ आने वाली हो और बोझ बढ़ा रहे हों, वह बात नहीं है । कटौती कर रहे हैं वह भी बतायी नहीं गई । अध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर हमारी आर्थिक हालत खराब हो रही है और लाएबिलीटीज़ को पे नहीं कर सक रहे हैं और टैक्सेज़ लगा कर हम इमोर्टाइज़ेशन कर रहे हैं । इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाया गया है ।

जब यह चीज़ पहले करनी थी तो बजाय इसके एक साथ टैक्स लगा कर कार्यवाही करते, धीरे २ पहले से बढ़ते रहते ; इससे वह कर्जा तो खत्म करते और रिज़र्व भी करते एमोर्टाइजेशन की स्कीम भी बना लेते, सुरक्षित रकम भी छोड़ देते और रिज़र्व कर देते या पेमेन्ट कर देते तो समझते कि वित्त मंत्री महोदय योजनाबद्ध प्रबन्ध के अनुसार चल रहे हैं । इतना सारा घाटा बता दिया और इतने टैक्सेज़ लगा दिये ? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बात की याद दिलाऊं कि वित्त मंत्री महोदय से तो हमें यह आशा थी कि वे नशा-बन्दी की आमदनी को कम करेंगे, नशाबन्दी को कम करेंगे । लेकिन अब तो उम्मीद ही नहीं रही ! अब तो नशा-बन्दी की स्कीम ही खटाई में पड़ गई है । मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण के सम्बन्ध में यह बात उठाई थी और मैं उम्मीद करता था कि उसका उत्तर दिया जायेगा लेकिन मालूम होता है कि योजनाबद्ध प्रबन्ध के बच्चे को गलका ही दिया है । यही कहेंगे कि इतने विकास के काम करने हैं, हमको आगे बढ़ना है तो यह कैसे हो सकता है कि कमी करें ? बढ़ाने जा रहे हैं । उतनी ही आमदनी इसी बजट में भी बताई गई । जब शराब की आमदनी बढ़ती है और उसके लिए रीज़न यह दिया जाता है कि इल्लिसिट शराब को रोका है इसलिए बिक्री बढ़ गई है । यह मानकर चलने की बात है कि जितने पीते थे उनसे भी अधिक पीने लग गये हैं । कुछ केसेज़ को टाइट किया होगा या पकड़े भी होंगे तो इसलिए भी बिक्री या आमदनी बढ़ गयी होगी, लेकिन यह कोई संतोषजनक बात नहीं है आपकी, हो सकता है, इन कार्यवाहियों से लोग ज्यादा शराब खरीदने और पीने की बात करें । तो यही एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, एग्ज़ीक्युटिव और जुडिशियरी को अलग करने का सवाल है जो काफी अर्से से पेन्डिंग है । ये सब एक नारे के नीचे दबा दिये जाते हैं कि हमारे सामने और बहुत सी योजनायें हैं, हमें विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना है । जो हमारे वादे और नीतियां होती हैं वे विकास के इस नाम पर दबा दिये जाते हैं । एक्ज़ीक्यु-टिव से जुडिशियरी को कब सेपरेट कर रहे हैं यह आप कह नहीं सकते । अगर इस प्रकार की आवाज उठायेंगे तो केवल एक जवाब के नीचे यह दबा दिया जाता है, जो यह कि आप

(श्री तनसिंह)

तो सेपरेशन की बातें कर रहे हैं, हम तो राजस्थान को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और आप इन बातों के लिये कह रहे हैं। कुछ भी आज जो हमारे सामने नकशा है उसको देखते हुए हमें यह देखना होगा कि जिन चीजों की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है उस बारे में आपको ध्यान देना चाहिये। और यदि इस पर ध्यान दिया नहीं गया तो योजनाबद्ध अर्थ प्रबन्ध का यह बच्चा किसी दिन दिवालिया बन जायेगा। वैसी अवस्था में, मैं समझता हूँ, हमारी हालत शोचनीय और दयनीय हो रही है। इतने सब आंकड़े बताकर वित्त मन्त्री महोदय ने हमको एक प्रकार की दृष्टि दी है ताकि हम उन सब चीजों में जा सकें, लेकिन चतुराई इस बात में है कि अभी जो बजट एस्टीमेट्स आये हैं उनका सही पता हमें साल भर बाद लगेगा कि वास्तव में हम इसमें से कितना खर्च कर पाये हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि ये फिगर्स जो बताये गये हैं वे सही नहीं है। वे ए० जी० के बताये हुए फिगर्स हैं गलत नहीं हो सकते। आश्वासन इस बात का जरूर दिया जाता है कि हम इसको इस साल खर्च कर देंगे लेकिन सही खर्च का पता उसी समय लग सकेगा जिस समय इसके बारे में ए० जी० की रिपोर्ट जो शायद ६२-६३ में सामने आयगी तब पता चलेगा कितने खर्चे के लिए प्रोवीजन किया गया और कितना खर्चा हुआ है सब से बड़ी चातुराई की बात वित्त मन्त्री महोदय के हाथ में बजट का काम रहा लेकिन उन्होंने सिवाय कविता बनाने के और कुछ काम नहीं किया। इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वास्तविक रूप में हम खंडन करें इस स्थिति में अभी नहीं हैं। इसके बारे में तथ्य तभी मिलेंगे जब अगली साल इस संबन्ध में रिपोर्ट आयेगी। उस साल के लिये शायद वित्त मन्त्री महोदय उसकी आलोचना सुनने के लिये रहेंगे भी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिन बातों की ओर मैंने आपका ध्यान खींचा है वे सब गंभीरतापूर्वक विचार करने की बातें हैं, दूसरी और बातों में मैं जाना नहीं चाहता, थोड़े से पॉइन्ट इसलिये रखे हैं उनके ऊपर गंभीरतापूर्वक मनन होगा और अगर उनका उत्तर दे दिया गया तो यह चेप्टर यहीं क्लोज़ हो जायगा, नहीं तो फिर कटौती प्रस्तावों के जरिये मुझे वे बातें रखनी होंगी उनमें सदन का समय जाया होगा। वास्तव में उन चीजों का केवल उत्तर देना है, यह समझ कर उत्तर न दें, इस पर गंभीरतापूर्वक मनन करके आप कोई जवाब दें ताकि हमें सन्तोष हो सके। हम इस कर्जे के इमोर्टाइजेशन के लिये क्या व्यवस्था करते हैं ? आप इसके लिये क्या लिमिट तय करते हैं ? ये सब बातें आपसे मैंने इसलिये निवेदन की कि आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके जवाब देंगे। आप टैक्सेज लगा रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि आप जो बजट में रख रहे हैं वह खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप कुछ न कुछ निश्चित रूप में इस बारे में निवेदन करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय के उनके बजट के लिये कांग्रेचुलेट करता हूँ। एक बात हमने इस बजट में देखी है जो प्रेजेन्टेशन हुआ है उसमें दोनों

(श्री पी. के. चौधरी)

वोल्यूम्स को अलग अलग कर दिया है। यह अच्छा किया है, जिससे माननीय सदस्यों को कन्सल्ट करने में ठीक रहेगा।

दूसरी बात इस तरह की, जो बजट स्पीच हुई है वह स्पीच आज तक जितने भी बजट पेश हुए हैं उनमें सब से अच्छी और क्लीअर पिक्चर सामने रखने वाली उनकी स्पीच है। उसमें यह ठीक प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार डेवलपमेन्ट के कामों में क्या खर्चा होगा और नॉन-प्लॉन में किस तरह से होगा। पिछले बजटों की स्पीच में इन बातों को क्लीअर नहीं किया गया है, इसके लिये भी मैं वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ।

एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा, तृतीय योजना के लिये हम एक फॉर्म फाउन्डेशन ले-डाउन करने जा रहे हैं इसी पहले साल से। अलॉटमेन्ट्स जो हुए हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि पिछले सालों से इसमें कुछ फर्क नहीं है। इस साल का टोटल बजट ७५ करोड़ का है और पिछले साल ७२ करोड़ के आस-पास था। हमारा जो करेन्ट अकाउन्ट का खर्चा है वह इस साल सिर्फ २५ करोड़ रखा था पिछले साल बजट एस्टीमेंट २७ करोड़ था १९५९-६० में था २५ करोड़। हम तो उम्मीद करते थे तृतीय योजना का रेशियो सेकन्ड इयर प्लॉन से काफी बढ़ा है। उसके लिये कम से कम फर्स्ट इयर में सेकन्ड इयर प्लॉन का जो लास्ट ईयर का अलोकेशन था उससे ज्यादा हम उम्मीद कर रहे थे। इसके साथ एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह यह कि यही एक पहला बजट है जिसमें रेवेन्यू डेफीसिट को कवर नहीं किया गया है। इसके बजट डेफीसिट बजट होते थे उनमें एडीशनल टैक्सेशन से उस घाटे को पूरा करने की योजना होती थी, लेकिन इस बजट में वह छोड़ दिया गया। आप अभी टैक्सेशन को उचित नहीं समझते इसलिये शायद यह नही किया गया है। हालांकि जहां तक नये नये टैक्सेज के लगाने का सवाल है उस पर सदन के सदस्य खिलाफत करेंगे अभी अभी जिन माननीय सदस्य ने भाषण दिया है उन्होंने भी टैक्सेशन के खिलाफ कहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि टैक्सेशन का जो स्टैप माननीय वित्त मंत्री महोदय ने लिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बात को कहने में हमें खुशी होती है। आज तक जितने भी स्टेट्स बजट पेश हुए हैं उनमें से सिर्फ पांच स्टेट्स ऐसी है जिन्होंने फ्रेश टैक्सेशन लगाये हैं बाकी किसी स्टेट की हिम्मत नहीं हुई कि वे नये नये टैक्स लगायें। इसके साथ साथ जिन जिन स्टेटस ने अपनी एडीशनल टैक्सेशन की जिम्मेदारी पूरी नहीं की They have failed in their duty इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आपका और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जब ड्राफ्ट प्लान पर डिस्कशन हुआ था उस समय हमने कहा था और मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि जब वे प्लान के सम्बन्ध में डिस्कशन करने जायें उस समय वे हमारे प्लान के बारे में इस प्रकार से डिस्कशन करें। उस समय मुख्य मन्त्री ने कहा था, प्लान का साइज़ बढ़ा कर ले जायें जिसमें काट नहीं कर सकते, पहले से ज्यादा बड़े साइज़ में प्लान आना चाहिये।

(श्री पी० के० चौधरी)

अखबारों के जरिये हम जान सके हैं एन० टी० सी० की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था कि हम अपने प्लान के साइज को बढ़ावें; अगर उस पर एडीशनल रिसोर्सेज आयेंगे तो उसके लिये प्रबन्ध हम करेंगे। उसी भावना को हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने वहां कन्वे किया आल इन्डिया नेशनल प्लान की जो मीटिंग हुई थी उसमें कन्वे किया और उसके अनुसार इस साइज को बढ़ा दिया गया। वह प्लान ११२५.० करोड़ का प्लान था उसका साइज बढ़ा कर ११।। हजार का प्लान किया। उसमें से सेन्ट्रल सेक्टर का था २३ करोड़ और स्टेट का ३६५.० करोड़; उसके बाद २५.० करोड़ और बढ़ाये गये। इसमें जो स्टेट्स का ३६५.० करोड़ था उसमें प्लान का सीलिंग करके उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट को सौंप दी गई। इस तरह से ६१० करोड़ रुपये का प्रबन्ध एडीशनल टैक्सेशन से हमें करना पड़ेगा। अभी उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चीफ मिनिस्टर ने जिस उत्साह के साथ भेजा था उसको वे मीट विद् करते और जिस तरह के प्लान का साइज हो उसे मेन्टेन किया जाये। हार्डशिप्स जो भी होंगी उसको मीट विद् करेंगे, यह हमारी ड्यूटी हो जाती है। इस तरह से जिन एडीशनल टैक्सेज को रेज करने के लिये हम कमिटेड हैं उस टैक्स को रेज करते हैं उसके लिये हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये और न समालोचना होनी चाहिये। मैं कहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन ने जिन ६१० रुपये के एडीशनल टैक्सेशन को रेज करने के लिये कहा है उसका फेसिंग कर दिया गया है, इस साल में ४० करोड़ रुपया एडीशनल टैक्सेशन से रेज करना है; इस तरह से ३२ करोड़ रुपया हमें पांच साल में प्राप्त करना है। That means 5.2% per year

(१ म० प०)

यानी राजस्थान का ५.२ पर्सेन्ट हिस्सा है वह राजस्थान को रेज करना चाहिये। तो हमें दो करोड़ के बजाय चार करोड़ का रेज़ करना चाहिये क्योंकि इतना ही प्लानिंग कमीशन ने हमें अलोकेशन किया है। इसके माफिक हमें चलना चाहिये था; पर हमने दो करोड़ नहीं किया, एक करोड़ और ३५ लाख ही किया है। मैं तो मानता हूँ कि हमारे शेयर में जितना आना चाहिये था we have not tried to raise that much. पर फिर भी बाकी स्टेटस ने किया नहीं। पंजाब में हालांकि हमारे बराबर है, १.३१ लाख किया। महाराष्ट्र का डबल है, पर उसने एक करोड़ का किया है। गुजरात का बराबर का है पर उसने ८० लाख एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्सेशन किया है। मध्यभारत ने तीन करोड़ का किया है जब कि उसका डेफिसिट बजट है ५।। करोड़ का, हमारा ढाई करोड़ का है। इसलिए कम से कम हमको रेश्यो को मेक–अप करने के लिए दो करोड़ पन्द्रह लाख का और रेज़ करना चाहिये था। एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्सेशन का कोटा पूरा करना चाहिये था।

अब सवाल यह आता है कि माननीय सदस्य यह कहेंगे, वही क्यों लोग–बाग कहते हैं कि टैक्स बढ़ने से कन्ज्यूमर्स गुड्स की प्राइसेज़ बढ़ जावेंगी। यह बात तो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट का काम, विकास का काम बढ़े, सब जगह पैसा लगाया जावे, पर महंगाई

(श्री पी. के. चौधरी)

न बढ़े । पर मैं कहता हूँ इसके लिये दो ही तरीके होते हैं । या तो पैसा कर्ज लेकर किया जाय या डेफिसिट फाइनेन्सिंग से किया जाय यानी नोट छाप कर उसके लिए खर्चा किया जाय । राजस्थान सरकार नोट छापती नहीं है, रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेगी । Two parties are before us. अब एक रास्ता है एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स का और दूसरा है डेफिसिट फाइनेन्सिंग का । दोनों में से कौनसा रास्ता अपनाना है ? It is a choice between the two. The choice will be to raise prices of certain articles within the limit of additional taxation. और दूसरा है to give a general impetus to price-rise without limit.

अब इनका अन्तर मैं बता देता हूँ । जो टैक्स आप लगावेंगे और जिस चीज पर आप लगावेंगे वही चीज उतनी ही महंगी होगी, उसका असर उसी चीज पर उतना ही पड़ेगा जितने का कि आप टैक्स लगावेंगे । जब कि डेफीसिट फाइनेन्सिंग में सभी चीजों पर पड़ेगा । गवर्नमेंट जो चलाते हैं उनका अनुभव है, इकोनोमिस्टों का अनुभव है, दुनिया में सब का अनुभव है कि इससे सभी चीजों की अनलिमिटेड प्राइसेज़ राइज होती हैं । जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्सेशन में सिगरेट पर दो पैसा बढ़ गया तो दो पैसा ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा । उतने में सिगरेट आपको मिल जावेगी । शक्कर है उस पर एक आना या दो पैसा बढ़ा तो एक आना या दो आना ही रहेगा । उतने में शक्कर आपको बाजार में मिल जायेगी, पर डेफीसिट फाइनेन्सिंग में उसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें असर पड़ता जाता है बराबर और कीमतें सभी चीजों की लगातार बढ़ती ही जाती हैं । डेफीसिट फाइनेन्सिंग में सिगरेट पर दो पैसा, एक आना दो आना, चार आना तक बढ़ सकता है शक्कर पर भी दो पैसा, एक आना, दो आना, चार आना तक बढ़ सकता है ।

ऐसी हालत में मैं तो समझता हूँ कि जो तरीका हमारे वित्तमन्त्रीजी ने अपनाया है और जिस तरीके पर प्लानिंग कमीशन ने भी जोर दिया है और देश के सभी इकोनोमिस्ट्स मानते हैं, It is a limited price risen to the exent of taxation.

Today the newspapers have started writing against the Chief Minister. उन्होंने हिम्मत की है; प्लानिंग कमीशन ने जो सीलिंग फिक्स किया है उस तक टैक्स लगाने का, पर फिर भी वे कम रहे हैं, पर हिम्मत तो की है, दूसरी स्टेटों में बहुतों ने वह हिम्मत भी नहीं की । टैक्स लगाने से वे इन्कार करते हैं । पर हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कह सकता; न प्लॉनिंग कमीशन कह सकता है, न और कोई कि हमारा फिक्सड सीलिंग लगाने से पीछे रहे, जो वादा तुमने किया उससे पीछे रहे । You have failed to keep your word. तो मैं कह सकता हूँ सदन को इसे स्वीकार करना चाहिये कि हमने अच्छा किया । मान लीजिये पब्लिक में बात हो तो हमें उनको समझाना चाहिये । हमारी यह एक तरह की मोरल ड्यूटी है । तो यह तो अच्छा किया है । मैं इसके लिए गवर्नमेंट की सराहना करता हूँ । फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की भी सराहना करता हूँ ।

दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का पर्फोर्मेन्स है । पिछली साल भी

(श्री पी० के० चौधरी)

एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स लगाया था। सिर्फ तीन स्टेट्स ने लगाने की हिम्मत की थी। प्लानिंग कमीशन के सामने वे जब गये तो कहा भी कि तुमने कमिटेड रिसोर्सेज़ रेज़ नहीं किये। जब कि हमने ओवर फुलफिल किये थे।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूँगा वित्त मन्त्रीजी के लिए और उनके भाषण से कहूँगा। मेरे विचार से प्लान के साइज़ को देखते हुए, बजट के साइज़ को देखते हुए, दोनों बातों को देखते हुए टैक्स कम हो रहा है। वे अपने भाषण में यूथफुल और विगरस की बात कहते हैं, पर इन बातों से मेरी धारणा बनी है कि यह उनका बजट लेजिमीडियो कर बजट रह गया है। जिस हद तक टैक्स स्ट्रक्चर ले जाना चाहिए था नहीं ले गये, तो यह मीडियोकर बजट है in this respect.

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले साल की रिसीट की शोर्ट फाल के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पिछले साल हमारा शोर्ट फाल हुआ। सेल्स टैक्स में १५ लाख का हुआ। उसमें खास करके पर्चेज़ टैक्स में बहुत ज्यादा शार्ट फाल हुआ और उसका कारण माननीय वित्त मंत्री जी ने इस मेमोरेन्डम में बताया है कि 'डिले इन इम्प्लीमेन्टेशन'। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे डेवलपमेंट का काम है इस बात को हम कहते हैं, we must work on war-footing और अलर्टनेस के साथ हमको काम करना चाहिये। पिछली साल हमने पर्चेज़ टैक्स लगाया, उसका पब्लिक में एजीटेशन हुआ और यहां पर सदस्यों ने भी उसका विरोध किया और फिर भी वह पर्चेज़ टैक्स लगाया और लगाने के बाद हमारे जो टार्गेट्स हैं उनको हम एचीव नहीं कर पाये for delay in implementing it. यह तो कम से कम नहीं होना चाहिये। यह जो स्लेकनेस है, it is a stricture on the tax collecting agency, चाहे वह डिपार्टमेंट फाइनेन्स मिनिस्टर के अन्डर में हो, चाहे और किसी के अन्डर में हो; लेकिन टैक्स कलेक्टिंग एजेन्सी के लिए या हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर या लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से अमल में लाने में देरी हुई, वह कंडीटेबल नहीं है। दूसरी बात हम अध्यक्ष महोदय, यह देखते हैं कि इर्रिगेशन में भी लगभग ५ लाख का शोर्ट फाल है और यह सारा का सारा शोर्ट फाल वाटर रेट्स से जो हम एक्सपेक्ट करते थे उसमें शोर्ट फाल है। इसका कारण यह नहीं है कि जमीन इर्रिगेशन में कम है लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी इर्रिगेशन में जमीन आई है उसमें भी वाटर टैक्स ठीक तरह से कलेक्ट नहीं किया गया है। इसलिए इसको भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ।

इनके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनेरी रिसीट में सवा करोड़ रुपये का शोर्ट फाल है। तो this does not speak well for the tax collecting agencies. अब उसके बाद में इकॉनोमी मेजर्स आते हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और गवर्नमेंट को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कमिश्नरी को एबोलिश किया है। I think the Chief Minister has taken a bold step, और मैं जानता हूँ कि आज ऑफिशियल मैन्टेलिटी किस प्रकार की होती

(श्री पी० के० चौधरी)

है और इसके लिए गवर्नमेंट को कितना रेज़िस्टेन्स फेस करना पड़ा होगा that I can myself realise. अब इकॉनोमी मेज़र्स में एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगली साल के बजट में कहा था कि लगभग २५ लाख रुपये हम इकॉनोमी मेजर्स से बचायेंगे। पिछली साल कहा है कि ५५॥ लाख इकॉनोमी मेजर्स से किया

(बिजली में व्यवधान)

लेकिन मैंने देखा है कि ६॥ लाख रुपये इकॉनोमी मेजर्स से बचत की इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के रीऑर्गेनाइज़ेशन से। तो मैंने इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का सेकन्ड वॉल्यूम जिसमें ऑफिसर्स के एस्टेब्लिशमेन्ट का जिक्र है उसको उठा कर देखा तो इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में यह नजर आता है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : वह आगे की बात है।

श्री पी. के. चौधरी : पहले की बात है। ६॥ लाख रुपये इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के रीऑर्गेनाइज़ेशन से हुआ। तो वह जो हुए और आइन्दा जाकर रीऑर्गेनाइज़शन करके बचत करेंगे वह भी बताया। तो मैं बता रहा हूँ कि पिछली साल और इस साल १९६१-६२ का जो इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का ढांचा है उसमें जो फर्क है वह बता रहा हूँ। १९६०-६१ में इस विभाग में जोइन्ट डाइरेक्टर २ थे ८००-१२०० की ग्रेड के और वह १९६१-६२ में ४ जोइन्ट डाइरेक्टर हो गये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं समझता हूँ कि इस प्रकार कार्यवाही नहीं चल सकती और सुनाई नहीं देता।

एक माननीय सदस्य : आवाज सब को सुनाई दे रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अन्धेरा हो रहा है और नोट्स भी अच्छी तरह नहीं लिख सकते। हम तो सोच रहे थे कि शायद दो मिनट में ही बिजली आ जायेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, न तो पढ़ सकते हैं और न लिख ही सकते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : तो मैं कह रहा था कि १९६०-६१ में जोइन्ट डाइरेक्टर की २ पोस्टें थी ८००-१२०० की ग्रेड में और १९६१-६२ में ४ ज्वाइन्ट डाइरेक्टर का प्रोविज़न रखा है इसमें से ३ जोइन्ट डाइरेक्टर तो ८०० से १२०० के और एक पोस्ट १३०० से १६०० की रखी है। पिछली साल १९६०-६१ में दो डिप्टी डाइरेक्टर थे ५००-९०० की ग्रेड के और अब १९६१-६२ में डिप्टी डाइरेक्टर ६ हो जायेंगे ५००-९०० के। फिर इस साल एक टेक्निकल असिस्टेंट था वह ५००-९०० का होगा। फिर स्टोर्स परचेज़ ऑफिसर और रखा है ५००-९०० की ग्रेड में। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ: कि a post for which the grade of 500-900 was felt necessary in the year 1960-61, how that post and that responsibility is carried on in the year 1961-

(श्री पी. के. चौधरी)

62 by a man in the grade of 100-200? इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का ढांचा है वह किस तरह से बनाया जाता है और जो इकॉनोमी मेजर्स लाने के लिए क्लास फोर्स वगैरह हटाये गये हैं और दूसरे हटाये गये हैं इकॉनोमी मेजर्स लाने के लिए वही किये गये हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ लेकिन जो टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ और सख्त खिलाफ, अध्यक्ष महोदय, मैं किसी सेन्टीमेंट की वजह से हूँ, ऐसी बात नहीं है; लेकिन एक वैज्ञानिक आधार पर मैं उसके खिलाफ हूँ। एक पार्किन्सन्स लॉ है जिसको सब लोग जानते हैं। उसमें यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें दो खास बातें हैं। There are two laws for bureaucracy. One is that if you create a post for any bureacrat, gazetted officer, then he will try to create more posts of subordinates.

वह कोई बराबरी की पोस्ट क्रियेट नहीं करेगा क्योंकि अगर क्रियेट करता है तो फिर उसके साथ कम्पीटीशन हो जाये और उसी को खतरा हो जाये। एक गजटेड ऑफिसर क्रियेट किया जाये तो एक साल के अन्दर अन्दर ही वह नये सबोर्डिनेट बढ़ा लेता है। जो डिप्टी डाइरेक्टर या जोइन्ट डाइरेक्टर बढ़ता है तो एक आदमी दूसरे का काम बढ़ाता है, they increase work for each other. एक के पास कागज आये तो वह कहेगा कि यह तो दूसरे के जुरिस्डिक्शन में आयेगा, तो they increase work for each other and they try to increase the number of subordinates. यह ब्यूरोक्रेसी की खास बात है और पार्किन्सन ने स्टडी करके बताया है कि जो रेट ऑफ एक्सटेन्शन है वह ५.७ परसेंट है पर एनम। ब्यूरोक्रेसी की जो फर्टीलिटी ट्रेन्ड है वह ५.७ परसेंट है और इसकी मिसाल अलग अलग देश के कोटेशन्स देकर उसने बताया है। चाहे वह सिविल सेक्रेटेरियट हो या डिफेन्स सेक्रेटेरियट हो one law applies everywhere. चाहे इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटेरियट हो या एग्रीकल्चर सेक्रेटेरियट हो; कहीं भी होगा, It is found that this rate of increase is found almost everywhere. तो इसलिए मेरा यह निवेदन था कि यह जो इन्डस्ट्रीज़ की मिसाल दी और बाकी डिपार्टमेंट की मिसाल भी मैं यहां पर देता लेकिन समय नहीं मिला उसकी जांच करने का। लेकिन हमें मालूम हो सकता है कि नीचे की पोस्ट्स क्लास थ्री और फोर हैं वह तो हटा दिये, लेकिन ऑफिसर्स क्रियेट कर दिये; वैसे सुपर फ्लुअस पोस्ट चाहे किसी की भी हो, चाहे वह क्लास फोर की हो या क्लास थ्री की हो या फिर गजटेड ऑफिसर की हो, किसी की भी हो उसको हटा दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नीचे की पोस्टों को हटाकर जो ऑफिसर की पोस्ट क्रियेट करते हैं तो that officer or his very post has got a dangerous tendency to expand. वह बढ़ती है तो इसलिए मैं इस पर यह बात करना चाहता हूँ कि यह जो इकॉनोमी मेजर्स हैं उनमें गवर्नमेन्ट को, खास करके मुख्य मंत्री महोदय से इस बात का निवेदन करूंगा कि हमें इस प्रकार की बात को रोकना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट वाच रखनी पड़ेगी। मैं कहूँगा कि एक रजिस्टर बना लिया जाये कि ३ साल में कितने गजटेड ऑफिसर्स की पोस्ट्स क्रियेट हुई, इसका एक स्टेटिस्टिक्स मुख्य मंत्री

Page No.51

(श्री पी. के. चौधरी)

महोदय कलेक्ट करें तो इस बात की सत्यता मालूम पड़ेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि आगे को साल में वित्त मंत्रीजी ने २८ लाख रु० के इकॉनोमिक मेजर्स करने का कहा है; मैं समझता हूँ, उस पर जो पर्किन्सन्स लॉ है उसको नहीं रख कर गजटेड पोस्ट्स को नहीं लेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। पिछले साल ५५ लाख का बताया है, वह कैसे हुआ ?

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं रोड ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में एक–दो बातें कहना चाहता हूँ। रोड ट्रान्सपोर्ट में इस साल प्रावधान रखा है, ६२ लाख रुपयों का वर्किंग एक्सपेन्डिचर रखा है खर्चे का। इसमें इस साल २३ लाख रुपयों की बसेज़ खरीदेंगे और ८–९ लाख की बिल्डिंग बनायेंगे और पिछले साल का केपिटल बजट इन्वेस्टमेन्ट था वह ६३ लाख का था वह ८६ लाख हो गया एसेट्स में और ६२ लाख इस साल का वर्किंग एक्सपेन्डिचर है। इस तरह से १॥ करोड़ रुपये इसके लिये खर्च होते हैं। ८६ लाख रुपये बसेज़ खरीदने में और मकान वगैरा में डाले गये और ६५ लाख रुपये ऑपरेशनल एक्सपेन्डिचर होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो खर्चा हुआ है उसका रिटर्न इससे आना चाहिये। क्योंकि जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आज टैक्सेशन से एडीशनल रिसोर्सेज़ इकट्ठे करने जा रहे हैं। किन्तु ये जो नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज़ हैं चाहे वे स्टेट ट्रान्सपोर्ट के रूप में; हो चाहे वे पॉवर हाउसेज के रूप में हो, चाहे इन्डस्ट्रीज़ हों, इस प्रकार की नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज़ वगैरह बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्कम होता है। तो उनको हमें मोर एफिशियेन्टली चलाना चाहिये। क्योंकि कई बातें देखते हैं। एक बात हमारे नोटिस में यह आई है कि यहां से अजमेर तक बसें जाती हैं, मैं उनमें नहीं गया हूँ लेकिन सुना है कि प्राइवेट बसेज़ वाले जो किराया लेते हैं उससे ज्यादा किराया नेशनलाइज्ड बसेज़ में लेते हैं, बल्कि रेल्वे से भी ज्यादा लेते हैं। इसी तरह से दूसरे रूट्स पर भी लेते हैं। तो जब तक हमारे रूट्स मोनोपोलाइज्ड नहीं हो जाते तब तक कम्पेरेटिव रेट्स रखनी चाहिये। प्राइवेट पार्टीज़ जिस रेट पर चलाती हैं उसी पर हमें चलाना चाहिये, जब तक मोनोपोलाइज्ड नहीं हो जाती। मैं नहीं समझ पाया कि इसके पीछे कौनसी इन्टेलिजेन्स है और कौनसा दांव पेच लग गया है जिससे कॉम्पीटीटिव रेट्स नहीं ले सकते ? तो इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिये। आज हमने सुना है कि अजमेर से जयपुर तक आने–जाने वाली बसेज़ खाली चलती हैं। और भी रूट्स के बारे में बताया गया है। कोटा से अजमेर रूट पर रेट तो एक ही सी है लेकिन नेशनलाइज्ड बसेज़ के स्टोपेज कम हैं, फिक्स्ड स्टोपेज हैं और बीच में सवारियां को लेने के लिये नहीं ठहरती और प्राइवेट पार्टीज़ की बसेज़ सब जगह रुक कर बीच में से भी सवारियां लेती हैं। इसलिये ऑपरेशन मोर कॉमर्शियल होता है। लेकिन नेशनलाइज्ड रूट की बसेज़ का स्टोपेज यदि दो माइल पर होता है तो दो माइल की दूरी पर ही खड़ी होंगी और बीच वाली सवारियों को नहीं लेती, प्राइवेट वाले ले लेते हैं; there should be a competition with private buses, कम्पेरेटिव रेट पर रन करनी चाहिये। It is a semi-commercial inst itution.

Page No.52

(श्री पी. के. चौधरी)

इसका जो मैनेजर है,जो मैनेजमेंट चलाता है उस आदमी में यदि कॉमर्शियल एक्युमन नहीं है या बिज़नेस एक्युमन नहीं है तो उसको नहीं रखना चाहिये । ऐसे आदमी को नहीं रखना चाहिये, ऐसे आदमी को रखना चाहिये जिसमें कॉमर्शियल एक्युमन हो ! Your first motto should be to give service to your clients. हम इसके जरिये लोगों को सर्विस भी देना चाहते हैं और ऐसा भी चाहते हैं कि स्टेट एक्सचेकर में पैसा भी आवे । हमने सारे प्रिन्सिपल्स को मेन्टेन नहीं किया है । यह अब तक पेइंग नहीं हुआ । इस ओर खास ध्यान देना चाहिये । यह अटेम्प्ट है नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्री को चलाने का । इस रोड ट्रान्सपोर्ट में अगर हम फैल हो जाते हैं तो it will be a very big blot on the Government. यदि गवर्नमेंट रोड ट्रान्सपोर्ट को लेकर एफिशियेन्टली नहीं चला सकती तो वह इस मामले में फैल हो जायगी । दूसरे लोगों को लाइसेन्स लेने का झगड़ा भी करना पड़ता है और इस प्रकार से लोग लाइसेन्स लेकर भी प्रोफिट से चलाते हैं तो हमको तो लाइसेन्स का भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, रूट भी आसानी से मिल जाता है; उसके बाद भी यदि प्रोफिट से नहीं चला सकते तो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है ।

इसके बाद मैं, अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें सर्वे के बारे में कहना चाहूँगा । आज हमारे यहां पर आप टैक्सेशन लगाते हैं तो इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन किस पर पड़ेगा, इसका पता नहीं रहता है । मैं इस बात को काफी जरूरी समझता हूँ और मैंने पहले भी इस बारे में कहा है । और नहीं तो कम से कम युनिवर्सिटी को ही सरकार ५-१० हजार रुपया ग्रान्ट के रूप में दे दें ताकि वे सेम्पल सर्वे करवा लें कि इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन किस पर ज्यादा पड़ता है, रूरल एरियाज़ पर क्या पड़ता है और अर्बन एरियाज़ पर क्या पड़ता है ? इन सारी बातों की डेफिनिट साइन्टिफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिये । आज जो भी हम टैक्स लगाते हैं वे इम्प्रेशन पर लगाते हैं जो हमारे दिमाग में बैठता है । लेकिन आगे जाकर इससे काम नहीं चलने वाला है । किस इन्कम ग्रुप पर इन्सीडेन्स पड़ता है, इसके बारे में हमें पता नहीं है । यह बात नहीं है कि इसके लिए २ लाख रुपये लगा कर डिपार्टमेंट खोल दिया जाय । मैं इस तरह के डिपार्टमेंट खोलने के सख्त खिलाफ हूँ । आप युनिवर्सिटी को को ५-१० हजार रुपये दे दीजिये और within an year- इन्सीडेन्स किस पर किस तरह से पड़ता है on various sections people, urban and rural, इसकी जानकारी हो जायगी । इस तरह का सैम्पल सर्वे कराना चाहिये ।

दूसरी बात मैं, अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । राजस्थान में इन्डस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं । लेकिन जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन सी इन्डस्ट्री राजस्थान में ज्यादा अच्छी तरह से चल सकती है । आपने कोई इन्डस्ट्री स्टार्ट की । उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ेगी, इसका पता नहीं रहता । आपने इन्डस्ट्री को लोन दिया या सरकार की तरफ से खड़ा किया, लेकिन पड़ौसी राज्य पंजाब या गुजरात में इस प्रकार की जो इन्डस्ट्रीज़ हैं, वे कॉम्पीटीटिव रेट से चल सकती हैं या नहीं, उनको सारी फेसिलिटीज़ हैं

(श्री पी. के. चौधरी)

या नहीं, इन सारी बातों की जानकारी करने की आप आवश्यकता नहीं समझते। आप केवल यह देखते हैं कि फलां जगह गन्ना मिलता है तो वहां शक्कर की मिल खोल देते हैं, फलां जगह रुई मिलती है तो वहां पर रुई की फैक्ट्री बना सकते हैं। इस प्रकार से रॉ-मैटीरियल को देख कर खोल देते हैं पर यह नहीं देखते कि आया बाकी पेसिलिटीज़ हैं या नहीं, वहां पर ट्रान्सपोर्ट की कोस्ट कितनी पड़ेगी। अगर वहां पर पॉवर नहीं मिल सकता है तो कोल से चलाते हैं; तो कोल ट्रान्सपोर्ट से कितना खर्चा पड़ता है, whether he will be able to produce at the competitive rates with U. P. or Punjab? इन सारी बातों की जानकारी के लिए उनको इन्क्वायरी करनी चाहिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ,....

(१.३० म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मान लीजिये, राजस्थान में यह भी कर सकते हैं कि बाहर से आने वाली जितनी भी चीजें हैं, उन पर आप ऑक्ट्राय वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, उसके साथ साथ what are those manufactured commodities, जिसके लिए राजस्थान में काफी डिमान्ड है? वैसे तो हम जानते हैं कि सब चीजों की डिमान्ड है, लेकिन कौन कौनसी मेन्युफेक्चर्ड कॉमोडिटीज़ हैं, जिनकी राजस्थान में काफी मात्रा में डिमान्ड है जिनके लिए आप यूनिट पैदा कर सकते हैं? इन चीजों के बारे में जानने के लिए इन्क्वायरी हो जाय, सर्वे हो जाय, जिसके द्वारा हम उसके स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करें, ताकि हम ज्यादा काम चला सकें। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट इसकी तरफ कुछ ध्यान दे।

एक बात और भी कहना चाहूँगा। मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था। उसमें एक बात और जानने को मिली है। फूड प्रोडक्शन का पर्सेन्टेज है, इकॉनोमिक डेवलपमेंट के अन्दर एक बात है, वह मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया के फिगर्स देखे, उनसे मालूम हुआ कि राजस्थान का पर्सेन्टेज ऑफ रेट ऑफ इन्क्रीज़ इन फूड ११४ पर्सेन्ट है, जब कि पंजाब का ५४ पर्सेन्ट है और मद्रास का ४४ पर्सेन्ट है। मैं इसे अचीवमेंट मानता हूँ। In the sphere of food production we [t]op in the rate of increase of food production all over India. इसे हमारा अचीवमेंट मानता हूँ।

एक बात और कहना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, दो नेशनल लेबोरेटरीज़ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया स्थापित कर रही है हिन्दुस्तान में; एक पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट और दूसरी बायोलोजिकल लेबोरेटरी। पहली वाली के लिए पेट्रोलियम के लिए देहरादून में स्थान तय कर लिया है, लेकिन अभी तक बायोलोजिकल लेबोरेटरी के लिए प्लेस तय नहीं की है। मैंने पहले सेशन में भी इस सदन में कहा था और बराबर दो-तीन सेशन्स से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। मैंने सुना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को एप्रोच किया है, लेकिन केवल एप्रोच करने से ही नहीं होता है,

(श्री पी. के. चौधरी)

बल्कि इसके लिए प्रेशर भी लगाना चाहिए कि नेशनल बायोलोजिकल लेबोरेटरी के लिए दूसरी प्लेस तय हो जाय, उससे पहले राजस्थान के लिए तय हो जाय। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यह जान कर हमको खुशी है कि एक रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेजेज़ अगली साल तक खुल जायेगा। सेन्ट्रल प्लान के अन्दर तीन रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज बनने जा रहे हैं, उनमें से एक राजस्थान में होगा। मैं चाहता हूँ कि जैसा इसके लिए माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि उसको स्टार्ट करने का सिलसिला जारी करेंगे इस साल में, उसके बजाय इस साल में उसकी फाउन्डेशन डाल दीजिये, उसका कन्स्ट्रक्शन इस साल में कम्प्लीट कर दीजिये। इन दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

एक बात और है कि एक माननीय सदस्य ने लोन गारन्टी की काफी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से लोन गारन्टी नहीं दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है; उसमें केवल शेयर केपिटल से ही इन्डस्ट्री नहीं चलती आज की दुनिया में, जिसकी शेअर केपिटल ऑथराइज्ड एक करोड़ होती है उसकी सब्सक्राइब्ड केपिटल उससे आधी होती है यानी ५० लाख और जो बिज़नेस होता है उसके जो असेट्स यह पर्चेज़ करती है, वह चार करोड़, पांच करोड़ के असेट्स पर्चेज़ करती है, मशीनरीज़ पर्चेज़ करती है और उसका वर्क केपिटल और होता है, यानी जिसकी शेयर केपिटल ऑथोराइज्ड एक करोड़ की है, उसकी सब्सक्राइब्ड केपिटल ५० लाख की होती है और पेड-अप केपिटल २५ लाख की होती है और उसको जो असेट्स लेने पड़ते हैं वे कम से कम चार करोड़, पांच करोड़ के होते हैं। इस तरह सारी दुनियां में होता है; केवल हिन्दुस्तान में हो, ऐसी बात नहीं है। वे लोग लोंग टर्म लोन लेकर खोलते हैं, बैंक के जरिये, फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन के जरिये, unless the Government gives guarantee. उसके लिए कहते हैं वह देनी नहीं चाहिए।

मैं निवेदन करूं कि आज परदेश से लोन लेते हैं, फॉरिन बैंक से लोन लेते हैं, तो जो गारन्टी प्राइवेट पार्टी को दी जाती है वह हिन्दुस्तान की गवर्नमेन्ट के द्वारा दी जाती है, यह एक्सेप्टेड परम्परा है, विदाउट दिस प्राइवेट केपिटल इन्ड्यूस नहीं कर सकते, टू इन्वेस्ट फॉर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट वर्क। उसके लिए सरकार को कह दें कि गारन्टी देना बन्द कर देना चाहिए। यह कहें कि लोन की गारन्टी देना बन्द कर दिया तो डेवलपमेंट ऑफ इन्डस्ट्रीज़ नहीं हो पायगा। या तो फिर सारी इन्डस्ट्रीज़ सरकार खोले या कम से कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट केपिटल को टेप करके....

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य सो रहे हैं, कृपया मुझे मदद कीजिये....

श्री पी० के० चौधरी : Should I...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, continue.

श्री पी० के० चौधरी : तो गारन्टी की

Scanned by CamScanner

(श्री पी. के. चौधरी)

बात जहां तक है, मैं तो गारन्टी देने का हामी हूँ। इतना जरूर होना चाहिए कि गारन्टी देने से पहले जो पार्टी गारन्टी चाहती है उसकी बोनाफाइड, केपेसिटी, अवेलेबिलिटी और फंड इन्डस्ट्री में क्या हैं, इसकी जानकारी करके सरकार गारन्टी दे सकती है। अगर गारन्टी देना बन्द कर देगी सरकार, तो मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर द्वारा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पायगा आज की परिस्थिति में।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ; लेकिन एक बात अन्त में और कह देना चाहता हूँ कि जैसा हम इस बात को मानते हैं कि एडीशनल टैक्सेशन के अलावा हमारा विकास का काम नहीं चल सकता it is indispensable and inevitable और हमको एडीशनल टैक्सेशन लगाने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यह बात जरूरी है कि जो टैक्स पेअर्स हैं वे एश्योरेन्स चाहते हैं, he also wants to be assured कि जो पैसा देते हैं, जो टैक्स पे करते हैं it is used efficiently and economically. तो टैक्स देने में टैक्स पेअर एतराज नहीं करेगा, हम एतराज नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह एडीशनल टैक्सेज लेते हैं, इसके साथ ही सरकार की मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो जाती है, it is their first and foremost responsibility कि जो टैक्स पेअर से मनी आप ले रहे हैं, जो टैक्स पेअर अपना स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग गिरा कर कन्ट्रीब्यूट करता है, उसका इस्तेमाल हो, यूज हो, वह एफीशियेन्टली, इकॉनोमिकली होगी, इसकी गारन्टी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने ६ मार्च को बजट पेश करते हुए जो अपनी स्पीच दी, यद्यपि उस स्पीच में भाषा की दृष्टि से बड़ा सौन्दर्य है और इतना भी जरूर है कि वह स्पीच राजस्थान की आने वाले वर्ष की नई दिशा को दिखाती भी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जिनका इस स्पीच में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। स्पीच के अन्दर उन्होंने यद्यपि विश्लेषण करते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितना भी आय–व्यय हुआ उसका काफी विश्लेषण किया है और इस वर्ष की भी जो हमारी योजना है, उस योजना के अन्तर्गत हमारी जितनी भी राशि है उसका आय और व्यय का सम्पूर्ण हिसाब इसमें दिया है और उसके आधार पर हमारा जो बजट है वह २५.० लाख का एक तरह से घाटे का बजट है, उसमें से १३५ लाख के करीब नये टैक्स लगा कर पूरा करने की कोशिश की है। उसके बावजूद इसमें इतनी कमी रह जाती है वह १३५ लाख के नये टैक्सेज से किस प्रकार पूरी होगी, इस बात का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर अन्त ही अन्त में राजस्थान के अन्दर रहने वाले निवासियों की उस खूबी का जिक्र किया है जिसको हम लोग बखूबी जानते हैं और वह यह है कि हमारे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

राजस्थान के नौजवान और राजस्थान के निवासियों ने हमेशा बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं और उन कुर्बानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने चाहा है कि जिस प्रकार के टैक्सेशन लगे हैं और जो हम पंचवर्षीय योजना को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं उसके लिए जनता से कुर्बानी करने की मांग की है। लेकिन मैं इस बजट भाषण या पेश हुए बजट के सम्बन्ध में निवेदन करूं, उससे पहले उन्हीं के शब्दों को लेकर मैं मांग करना चाहता हूँ हमारे वित्त मन्त्रीजी से, जो कि हमारे मंत्रिमंडल के सबसे वयोवृद्ध सदस्य हैं, और जिन्होंने, मैं समझता हूँ, आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा भाग लिया है....

एक माननीय सदस्य : लिया होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : लिया होगा, कह दीजिये। मैं समझता हूं कि आज के शासन का एक वर्ष बाकी रह गया है, इसलिए वे अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ, जिनकी तारीफ उन्होंने की है, राजस्थान के निवासियों की कुर्बानी की तारीफ की है, उनके साथ ही थोड़ी बहुत वे कुर्बानी करके दिखायें। मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने जो साल भर में भत्ता लिया है उसका उल्लेख था। मैंने भी गये सेशन में इस प्रकार का प्रश्न दिया था, उसका जवाब नहीं मिला है, फिर भी मैं अनुमान लगाता हूं कि हमारे मंत्रियों के भत्ते की रकम है वह अगर सामान्यत: देखी जाये तो हजार और पांच सौ की राशि के बीच आनी चाहिए प्रत्येक मास की। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तनख्वाह हमारे मंत्रिगण लेते हैं वह और प्रदेशों से कम नहीं है। यदि आज के अवसर पर, जब कि हम राजस्थान के विकास की ओर बढ़ रहे हैं और राजस्थान की जनता की कुर्बानी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उनसे और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से कुर्बानी की मांग करता हूँ कि वे अपने वेतन में कटौती करें, अपने भत्तों की राशि निश्चित करें, ताकि हमारी जनता की खून और पसीने की कमाई और पैसा एक जगह जाकर इकट्ठा न होता रहे। इसलिये मैं सबसे पहले यह मांग उनके सामने करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वे सबसे ज्यादा गांधीवादी अपने आपको बताते हैं तो इस प्रकार की कटौती करके बतायेंगे।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में यद्यपि इन्होंने इस बजट स्पीच में कितनी ही ऐसी जगह बताई हैं कि इस प्रकार कटौती की है, मैं संक्षेप में उनका उल्लेख कर देता हूँ। हमारे रेवेन्यू डिविज़न्स को मिटा दिया है, दूकान निरीक्षकों को कम कर दिया है, बाग-बगीचों को बेचने का निश्चय किया है, पंचायत प्रसार अधिकारी घटाये हैं, बन्दोबस्त और लैंड रेकॉर्ड का एकीकरण कर लिया है। इन योजनाओं के बावजूद भी देखते हैं कि राजस्थान में इतना बेशुमार खर्चा कई मदों पर हो जाता है कि हम ख्याल तक नहीं करसकते। कोटा में हमारे प्रधान मन्त्री आये, कोटा बेराज का उद्घाटन हुआ और हमारे प्रधान मन्त्रीजी पधारे, पर जिस तरह उन राजाओं की शान-शौकत थी, बड़े रईसों की शान-शौकत, फिजूल-खर्ची की बात करते हैं तो हम अपने पैरों की ओर नहीं देखते कि आने वाले का स्वागत, गांधी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के देश का सा स्वागत नहीं करते बल्कि उसी तरह राजा—महाराजाओं के समय की तरह का स्वागत करते हैं। लाखों रुपया बहाया गया, जब कि हमारा देश गरीब है, हमारा देश विदेशी ऋण पर अपनी योजनाएं चला रहा है, जिसके पास इतना पैसा नहीं कि अपनी योजनाओं को अपने पैसों से चला सके, उस देश के प्रधान मन्त्री का हमारे देश में, राजस्थान में इस प्रकार स्वागत करते समय जरा विचार करना चाहिये। इसी प्रकार के स्वागत का प्रसंग अभी अभी गुजर चुका है; जयपुर में, राजधानी में खैर, मैं उन प्रसंगों में अभी नहीं जाना चाहता।

मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि और कई मदें हैं जिनमें हम कटौतियां कर सकते हैं। अभी हमारे एक माननीय मित्र ने कहा कि हमारे वित्त मन्त्री ने उतने टैक्स नहीं लगाये हैं जितने कि लगाने चाहिये। हमारी दूसरी स्टेट्स ने काफी टैक्सेज़ लगाये हैं। मैं कहता हूँ, टैक्स लगाने की आवश्यकताएं और स्थितियां स्टेट्स में अलग अलग हो सकती हैं, पर टैक्स लगाने से पहले हमें इस चीज को देखना होगा कि क्या हमने जन-साधारण को उनके जीवन यापन करने की साधारण स्थिति में ला दिया है, हमने उनके जीवन यापन की सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया है, हम उनको अपना जीवन अच्छी तरह से यापन करने में सक्षम बना चुके हैं, उनको उतना सक्षम बना चुके हैं कि वे टैक्स दे सकते हैं, तो उनसे हम टैक्स ले सकते हैं; पर जब तक हम राजस्थान की जनता के जीवन स्तर को ठीक नहीं कर देते, उसको इतना सक्षम नहीं बना देते कि अपनी जीवन-यापन की कुल आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद वह टैक्स देने में सक्षम हो, तब तक हम उससे टैक्स नहीं ले सकते। तो मैं मेरे पूर्व वक्ता ने टैक्स लगाने के सम्बन्ध में जो बात कही उसका विरोध करता हूँ। बहुत सारे टैक्सेज़ ऐसे हैं जिनका हमें विरोध करना पड़ेगा। जैसे मोटर यात्रा का टैक्स है। पहले ही से हम मोटर यात्रा का टैक्स देते आये हैं। हर आदमी, चाहे वह छोटा हो या मोटा हो, थोड़ी दूर जाना चाहता है तो मोटर में यात्रा करता है। पहले पैदल ही यात्राएं कर लेते थे, पर आज के उलझे हुए जीवन में हर आदमी चाहता है कि समय की बचत हो। समय की बचत के लिये मोटर में यात्रा करता है तो मोटर यात्रा पर सरकार टैक्स बढ़ा देती है, सैंट्रल गवर्नमेंट ने रेल यात्रा पर टैक्स बढ़ा रखा है और दूसरे परिवहनों पर टैक्स बढ़ा देती है। राजस्थान में इस प्रकार की कर-वृद्धि की गई है वह ठीक नहीं है। बेशक टैक्स लगायें, पर इस प्रकार नीति को अपना में कि छोटी छोटी यात्रा करने वाले लोगों को टैक्स न देना पड़े। लम्बी यात्रा करने वालों पर टैक्स लगे क्योंकि लम्बी दूर जाकर बड़ा काम करना चाहते हैं, पर छोटी छोटी यात्रा करने वालों पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये।

इसी प्रकार मनोरंजन कर बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ, मनोरंजन पर भी टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये। हमारे यहां मजदूरों की संख्या बढ़ रही है जो दिन भर परिश्रम करने के बाद दिन भर की थकान को मिटाने के लिये आमोद-प्रमोद आवश्यक है और यदि वह चार आने खर्च करके मनोरंजन के लिये कहीं बैठता है तो उस पर भी टैक्स लगाया जाना,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यह उचित नहीं है। मनोरंजक गृहों में बड़े लोग जाते हैं तो उन पर टैक्स लगे तो बुरा नहीं। तो इस प्रकार के टैक्सेज़ लगाने में ग्रेडेशन का अनुपात रखना चाहिये। जिनके पास ज्यादा पैसा है उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाय और उनके पैसे से योजनाएं आगे बढ़ाई जायं तो अच्छा रहेगा।

बिक्री कर में वृद्धि की गई है, कुछ सूची भी दी है कि इन इन को बिक्री कर से छोड़ दिया है। पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह बिक्री कर है इन्डाइरेक्टली हम पर कितना असर डाल रहा है। यह इस प्रकार का विष है कि जिसके ऊपर शक्कर लगा रखी है, खाने वाले को पता ही नहीं चलता और विष अपना असर कर जाता है। तो यह इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन बहुत नीचे दर्जे तक जाकर लोगों पर असर करने वाला है। पर हमारी सरकार देखती है कि आज के युग में बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिये डाइरेक्ट टैक्सेज़ लगायेंगे तो विद्रोह फैलेगा, जनमानस भड़क उठेगा, इसलिये इन्डाइरेक्ट टैक्स लगाते हैं। पर जो चीजें रोजमर्रा हमारे काम में आने वाली हैं उनको बिक्री कर से मुक्त रखा जाना चाहिये।

कितने ही टैक्सेज़ लगा चुके हैं, उनसे रकम वसूल कर रहे हैं और कटौती करने के बाद भी जिस तरह की हालत दफ्तरों में नजर आती है, उस प्रशासन की बिगड़ी हुई हालत की ओर देखेंगे तो भविष्य में और टैक्सेज़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हमारा पैसा किस तरह से उधर जा रहा है, आबकारी कर के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने कहा। राजस्थान में शराब खरीदते हैं उसके ५ केन्द्र हैं। अटरू सेंटर है जहां से शराब खरीदी जाती है, बराबर तीन साल से टेन्डर नहीं मांगे हैं। अजमेर के एक सेठ नेमीचन्द को बराबर दिया जा रहा है जबकि जनता और व्यापारी वर्ग भी इसमें इन्ट्रेस्टेड है और इसमें इन्ट्रेस्ट रखनेवाले व्यापारियों ने कहा है कि इसमे आधी कीमत पर हम देने को तैयार हैं; पर हमारी सरकार, कुछ और कारण हो सकते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देती। इस ओर सरकार ध्यान देती तो काफी बचत होती। यह काफी बड़ा अहम मसला है जिससे काफी बचत हो सकती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक और उदाहरण बताया चेअरमैन सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। वे कोटा से १९ पीपे रेक्टिफाइड स्पिरिट के लेकर चले। उनके पास दो जीपें थीं। एक जीप में आगे आगे आप चले और पीछे वाली जीप में रेक्टिफाइड स्पिरिट। रास्ते में जहां चैकिंग की पोस्ट आती है वहां रात को दो बजे पहुंचते हैं, नाकेदार को जगाते हैं और कहते हैं तुम्हारा हिसाब किताब बताओ। दूसरी जीप में १९ पीपे थे रेक्टिफाइड स्पिरिट के। उस जीप को उन्होंने आगे निकालना चाहा, पर नाकेदार उसको रोकता है और कहता है कि इसकी चुंगी चुकाओ। चेअरमैन साहब कहते हैं कि कुछ एडवान्स ले लो, बाद में पेमेंट होता रहेगा। कांग्रेस के जिले का प्रेसीडेन्ट रेक्टिफाइड स्पिरिट को इस प्रकार ले जाता है और उसको ६ गुना करके पानी मिला कर ११४ पीपे बना लेता है, ताकि पीने के काम में आ सके। उस पर कितना टैक्स होता है, वह मसला अभी तक उलझा हुआ है; केवल ३०) रु०

(श्री दयाकृष्ण विजय)

एडवान्स में जमा है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि हमारे यहां पर वाजिब रकम की वसूली करने की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसी तरह से १८ हजार रुपयों में म्युनिसिपैलिटी ने एक ट्रैक्टर खरीदा और २,३००)रु. में ट्रोली खरीदी। मगर जिस प्रकार का ट्रैक्टर होना चाहिये था वैसा ट्रैक्टर नहीं निकला। ट्रैक्टर जल्दी खराब हो जाता है और खराब हो जाने के बाद उसकी जांच नहीं होती है और कहा जाता है कि इसमें खर्चा होता है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और न पुलिस ने उसका चालान किया। इससे जनता को कितना नुकसान हुआ और पब्लिक पर कितना बोझ पड़ा ?

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार हमारे अंग अंग का विधान है उसी प्रकार का यहां भी विधान है। मगर मैं यह कहूँगा कि बंगाल के शरणार्थियों के लिये खेती की जमीन को ठीक करने के लिये बहुत मांग करने के बाद एक बुल डोजर तो दंडकारण्य से खरीदा गया जो वहां से बाहर निकाला हुआ था और सेकिन्ड हैंड था। वह वहां से खरीद कर मध्य प्रदेश के जरिये आया। उसके आने के बाद ही वह खराब हो गया और जिस जमीन पर शरणार्थी और दूसरे लोग बसते थे, उनको बसाने के लिये, समतल करने की बात थी वह जमीन समतल नहीं हो सकी। पांच-छः हजार रुपये खर्च हो गये, मगर उसके बाद भी वह जमीन समतल नहीं हो सकी और वह बुलडोजर जो खरीदा गया था अब किसी काम में नहीं आ रहा है। इसकी एस० डी० ओ० के पास रिपोर्ट की गई कि खेती का समय बीत रहा है और अभी तक बंगाली शरणार्थियों की जमीन साफ नहीं होती है और उस बुलडोजर को जो खराब हुआ पड़ा है कोई देखने वाला नहीं। हमने एक सेकिन्ड हैंड बुल डोजर खरीदा। यहां की जमीन पथरीली है। इसकी जांच करने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक इंजीनियर को भेजा। वह अमेरिकन इन्जीनियर था।। उसने इस जमीन का सर्वे किया और बताया कि जिस जमीन में बंगाली शरणार्थियों को बसाया जा रहा है वह जमीन पथरीली है और उसके लिये बुलडोजर क्या करे जमीन ही ऐसी है।

आज यह गोरधनपुरी की कॉलोनी जहां पर १५० मकान पड़े हुए हैं वहां पर आज कोई रहने वाला नहीं है। शरणार्थी जो वहां पर थे वे चले गये। अब वहां पर ३० या ३५ परिवार रहते हैं वे भी संतुष्ट नहीं हैं। इस प्रकार की हालत चल रही है।

अब मैं सरकारी विभाग की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वहां पर ग्रुप सेक्रेट्री के फन्ड पड़े थे उसमें हजारों रुपये इक्ट्ठे हुए थे और उस फन्ड में से एक जीप भी खरीदी गई थी और यह व्यवस्था थी कि कोई सामान खरीदा जावे। आज ग्रुप सेक्रेट्री की पोस्ट ही हट गई तो उस फन्ड का क्या हुआ ? आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। पोस्ट हटा दी गई है। फन्ड का क्या हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं है।

इसी तरह से सेन्ट्रल बैंक द्वारा जो लोगों को लोन दिया जाता है और जो लोन देने की रीति है और जो सीमाएं हैं उनके लिये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो समितियें रजिस्टर्ड होती हैं उनको समय पर लोन नहीं मिलता है और जो सभाएं लोन की मांग करती हैं उनको लोन नहीं मिलता है और इस कारण से जितनी सभाएं लोन के लिये एप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है कि पैसा नहीं हैं और उनको किसी को जो वह वे लोन मांगते है उससे आधा और किसी को चौथाई रुपया देते हैं। इससे वे लोग अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और सहकारी समितियें जो बनेंगी वे सब खत्म हो जावेंगी।

आगे जो हमारा पी. डब्ल्यू. डी. का डिपार्टमेंट है वह ऐसा है कि वहां जिस तरह की ४२० होती है वह वहां चलती है। उसका नमूना मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप सभी जानते हैं। मगर यह हमारे कोटा की बात है। हमारे यहां कोटा में एक इन्जीनियर हैं। उनका मशीनों को देखने और टेन्डर लेने का काम है। उनका काम उनको दुरुस्त करना है और उनके लिये टेन्डर भी मांगे जाते हैं। उसमें यह आवश्यकता है कि दो-तीन फर्मों से कोटेशन्स आने चाहिये। वहां पर एक ही व्यक्ति दो-तीन बोगस फर्म्स के नाम से टेन्डर देता है। वे सरदारजी हैं और उनकी इन्जीनियर से सांठगांठ है। मैं उनका नाम बताना उचित नहीं समझता। अगर सरकार चाहेगी तो बाद में मैं उनको सब बता सकता हूँ। उन सरदारजी ने बोगस नाम से तीन फर्म्स बना रखी हैं, उन तीनों बोगस फर्मों के नाम से टेन्डर दे दिये जाते हैं। तीन बोगस फर्म के टेन्डर आते हैं, जिसमें दो तो बोगस होती हैं, उनके बहुत हाइ टेन्डर दे दिये जाते हैं और जो एक्चुअल फर्म होती है उसके कुछ लो टेन्डर दे दिये जाते हैं और जो लोएस्ट टेन्डर होते हैं उनको वे मन्जूर कर लेते हैं। इसमें केवल इन्जीनियर और इन फर्म के सरदारजी की सांठगांठ चलती है। इसी तरह से और भी कई हैं।

अब मैं आपके सामने की बारां नगरपालिका की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। वहां सेक्रेट्री २,५०० रुपये की रकम का गबन कर गये। रोकड़ में दर्ज नहीं। वे भाग चुके हैं। उनके दस्तखत भी नहीं। उसकी कोई जांच तक नहीं हो रही है। जो आदमी रकम का गबन करके भाग जावे उसकी जांच तो होनी चाहिये। इससे पब्लिक के पैसों का नुकसान होता है। मगर कोई देखने वाला नहीं है।

अब मैं काश्तकारों की हालत के बारे में कहूँगा कि काश्तकारों की हालत भी खराब है। क्रय-विक्रय संघ की तरफ से जो धान और बीज काश्तकारों को दिया गया उस बीज को जितने काश्तकारों ने अपने खेतों में डाला उसमें से ९० प्रतिशत में तो वह गेहूँ नहीं उगा। १० प्रतिशत में गेहूँ उगा, मगर वह सूख गया और उससे काश्तकारों को नुकसान हुआ। पंचायत समितियों ने उनको दूसरे गेहूँ दिलाने की व्यवस्था की। इसलिये ९० प्रतिशत जिनके गेहूँ पहले उगा ही नहीं उनको तो नुकसान नहीं हो पाया, मगर जहां पर वह उग चुका था वहां सूख जाने के कारण दुबारा नहीं डाला जा सका और वहां पर काश्तकारों को नुकसान हुआ। इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस क्रय-विक्रय संघ से बीज लेने का, धान का ठेका दिया था उससे पहले इसकी जांच

Page No.61

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्यों नहीं कराई गई कि वह बीज अच्छा है या नहीं ? हालांकि कहने को यह कहते हैं कि सारी बातें ठीक थीं, मगर आपने क्या इसकी जांच कराई और अगर देखा तो किसने देखा कि धान ठीक था ? अटरू पंचायत समिति के, शाहबाद के व किशनगढ़ के पास वहां की सारी पंचायतों ने पंचायत समितियों को रिज़ोल्युशन पास करके भेजा है कि जो बीज दिया गया वह उगा नहीं और इससे किसानों को नुकसान हुआ है। मैं कहूँगा कि आखिर क्या सरकार काश्तकारों को यह बीज जो नहीं उगा उसके लिये कोई छूट देगी या पंचायत समितियें उनसे पैसा वसूल नहीं करेगी ? वह तो करेगी और किसान को नुकसान हुआ वह किसकी वजह से हुआ ? मैं यह कहूँगा कि वह सरकार द्वारा धान को पहले नहीं देखने और जांच नहीं कराने से हुआ और वह सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण हुआ है। आपने एक क्रय-विक्रय पार्टी को बहुत बड़ा ठेका निकटता होने से दे दिया और बिना देखे किसानों को बीज के रूप में उस धान को बिकवाते हैं और उससे नुकसान किसानों को होता है। उसकी आपको कोई परवाह नहीं। इसलिये मैं समझता हूँ कि पंचायत समितियों को अधिकार दे देना चाहिये कि वे बीज के वितरण का इन्तजाम अपने अपने क्षेत्र में खुद करें।

इसी तरह से भंवरगढ़, तहसील किशनगंज में एक पाइलोट सोसाइटी है उसने ५.०० मन बीज लिया अपने यहां काश्तकारों को देने के लिये। मगर वहां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे उन्होंने वह बीज काश्तकारों को नहीं दिया और काश्तकार बीज के लिये तरसते रह गये और वह बेच दिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : किसने ? किसने ?

श्री दयाकृष्ण विजय : पाइलोट सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भंवरगढ़।

आज हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई हिसाब-किताब नहीं। इसी प्रकार का सभी जगह हो रहा है। इसको देख कर ऐसा लगता है कि आज हमारी रकम का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारे पैसों का सबसे बड़ा दुरुपयोग जो हो रहा है वह खादी भंडारों और खादी विलेज इन्डस्ट्रीज़ में हो रहा है। खादी भंडार में सब्सिडी और दूसरे लोन वगैरह हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ही मंजूर करते हैं। मैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि खादी विलेज इन्डस्ट्रीज़ है उनके क्या कारनामें हैं। आपको मालूम होगा कि इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब में एक-आध को छोड़ कर जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने कोई न कोई ऋण ले रखा है और जिन्होंने लोन ले रखा है वे बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते।

(२ म. प.)

लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति हैं ? हो सकता है कि माननीय मन्त्रीजी भी उनमें से एक हों ; उन अजमेर की संस्थाओं और बोर्डों के अन्दर काम करने वाले, जो कि उनके अधिकारी हैं और बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इस प्रकार से कानून की यह अवहेलना है और उसके अनुसार इस प्रकार से संस्थाओं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

में काम करने वाले और पदाधिकारी बन कर यहां इस प्रकार से नहीं रह सकते हैं। वे इस प्रकार के पदाधिकारी कानून के अनुसार नहीं रह सकते हैं लेकिन उनको पदाधिकारी बना रखा गया है और उनको बैठाये रखा है। वहां पर वे किसी न किसी प्रकार लोन ले लेते हैं और उन्होंने लोन ले रखा है। आज हमारे पैसे का सबसे बड़ा दुरुपयोग क्यों होता है? उसका कारण यह है कि कभी तो वह रकम जयपुर में प्लॉट खरीद और बेचने के लिये काम में ली जाती है। शाहबाद में रकम उधार दी गई है। पैसे का एम्बेज़लमेन्ट हो जाता है और उसकी कोई जांच तक नहीं की गई है। कोटा में ऐसा हुआ है। उसकी कोई जांच नहीं की। कोटा इन्डस्ट्रियल खादी बोर्ड पर पुलिस ने छापा मारा और उस केस को आज मन्त्रीजी खुद दबाये बैठे हैं और किसी प्रकार की कार्यवाही होने नहीं दे रहे हैं। सचिवालय में कागज़ात पड़े हुये हैं। इस प्रकार से लाखों रुपयों का खादी बोर्ड में घोटाला है। क्यों होता है और किस पार्टी का प्रभुत्व है? यह मैं आपको नहीं बताना चाहता लेकिन यह सही है कि एक पार्टी का प्रभुत्व है और उसके द्वारा सरकार ने ऐसे खादी बोर्डों को खोल कर उनमें ऐसे लोगों को लगा रखा है, जहां कि उन लोगों का पालन-पोषण होता है। खादी बोर्ड, जैसे एक अनाथालय होता है, उस प्रकार से अनाथालयों की तरह काम करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यहां सुबूत के साथ बात करनी चाहिये, यदि सबूत हो तो बतावें।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं सुबूत के साथ ही बात कर रहा हूँ और आप चाहेंगे तो मैं आपको सुना भी दूंगा।

सवाई माधोपुर में, मैं आपसे निवेदन करूं कि एक केन्द्रीय सर्वोदय संघ है, उसकी साबुन फैक्टरी है। २६ हजार रुपया उसको दिया गया है और वह फैक्टरी आज तक बन्द पड़ी है। कारण की कोई जांच नहीं की गई कि क्यों बन्द पड़ी है। बारां में इसी प्रकार से हाडोती खादी ग्रामोद्योग संघ है। यदि उसके हिसाब-किताब को देखा जाय तो उसमें ७० हजार रुपयों का घोटाला है। और दस हजार रुपया कन्ज्युमर्स सोसाइटी के नाम से बी. बी. ठकराल, जो सेंटर के चेयरमैन हैं, उसके भी जो कर्त्ताधर्त्ता हैं, उन्होंने कन्ज्युमर्स स्टोरेज के लिए ले लिया। लिया था उन्होंने साबुन उद्योग के नाम से और वह आज कन्ज्युमर्स स्टोर डेफिसिट में जा रहा है। इन सब बातों के मैं आपको उदाहरण के लिए निवेदन करूं कि हमारे पैसे की आज क्या स्थिति है, किस प्रकार से उसका दुरुपयोग हो रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : साबुन का काम भी घाटे में जा रहा है, आपकी जानकारी के मुताबिक?

श्री दयाकृष्ण विजय : जी हां। कन्ज्युमर्स स्टोर है, वह घाटे में जा रहा है। आप जांच कराइये, वह घाटे में है। इस तरह से आपको कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। या तो जयपुर में प्लॉट्स खरीदने और बेचने और शाहबाद में मकान बनाये जाने में इस प्रकार

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से खर्च किये जाते हैं, ऐसा मालूम हुआ है। ऊन उत्पादन खादी बोर्ड, बीकानेर को २॥ करोड़ रुपयों की सहायता दी गई और उसका क्या उपयोग हुआ ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): अभी दी नहीं है

श्री दयाकृष्ण विजय : इस तरह से देखें कि जो रकम आप सरकारी कोष से देते हैं उसका जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका क्या उपयोग होता है, किस प्रकार से उपयोग लोगों के द्वारा किया जाता है। वास्तव में उस रकम का सही उपयोग हो, इस ओर ध्यान नहीं है।

और कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पांच लाख रुपया अनाथ महिलाओं की उन्नति के लिए रखा है। एक उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। कोटा छावनी में रेस्क्यु हाउस महिलाओं के लिए खोला है। एक महिला को उसमें नियुक्त किया है, कि वह मैनेजर रहेगी। अधिक उस ओर कुछ नहीं कह कर इतना ही बताऊंगा उस रेस्क्यू हाउस में दीगर कोई महिला ऐसी नहीं है और आज तक वह बैठी बैठी तनख्वाह ले रही हैं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : यह तो उस क्षेत्र की शाबाशी है कि ऐसी मोरेलिटी कोटा क्षेत्र की नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यदि नहीं है तो सर्वे कराके, जांच कराके, फिर रेस्क्यु हाउस बनाइये। कुछ महिलाओं को काम पर लगाया है तो आवश्यकता थी और नहीं थी, तो फिर खोलने की क्या आवश्यकता थी ? यदि आवश्यकता महसूस करने के बाद उसको खोला जाता है तो फिर उसको अच्छी तरह से देखिये। यदि अयोग्य आदमियों को रखा जाता है तो वे खुद नहीं कर सकते अपना संचालन तो दूसरों का क्या करेंगे ? अपना तो उद्धार पहले कर लें।

कुछ कॉलोनीज़ बनाने के लिये प्रावधान कर रखा है और उनमें भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है। छबड़ा के चांचूड़ा ग्राम में कंजर जाति के लोगों को बसाने के लिये मकान बना रखे हैं। वित्त मंत्रीजी वहां पधारे थे और उन्होंने वहां की स्थिति को देखा था। मकान वगैरह जो बना रखे हैं उनमें रकम अधिक लग गई। पहली बरसात में ही वे मकान गिर गये। शिकायत हुई। सारे के सारे मकान-जितनी संख्या में बनने चाहिये थे उतने नहीं बने और रकम खर्च हो गई। मकानों पर शेड्स नहीं पड़े, दीवारें खड़ी हैं, रहने की व्यवस्था नहीं, बरसात आई और वे दीवारें खिसक गई। इसी तरह से भीलों की बस्ती बसाने की बात थी। बरसात आती है और वहां मकान ढह जाते हैं। रामनगर में भी बस्ती बना रखी है, लेकिन वहां पर रहने वाला कोई नहीं है; कोई नहीं पहुँचा है रहने के लिए। फिर इस प्रकार से मकान खड़े करने से क्या लाभ है ? हमारे पैसे का दुरुपयोग ही है।

अब मैं उन बातों के लिए निवेदन करना चाहता हूँ जो राजस्थान की शासन नीति है उससे सम्बन्ध रखती हैं। हमने बड़े बड़े फार्म्स बनाये हैं, बीज उत्पादन केन्द्र खोले हैं, बड़े बड़े फार्म्स खोले हैं कोटा,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

में भी इसी प्रकार से उम्मेद बाड़ी खोलने को व्यवस्था थी। वहां जिन काश्तकारों का कब्जा है उनको हटाने की व्यवस्था है। मान लीजिये कि यदि उनको हटा कर उनको कहीं न बसाया गया तो यह चिन्ता हो सकती है, लेकिन यदि कोआॅपरेटिव फार्म बना कर उन लोगों को भी उसमें शामिल करते हैं तो कोई समझौता हो सकता है। पहले पहले तो यह था कि कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनावेंगे और इसको आबाद करेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातें यहां बोल लेंगे तो फिर कटौती प्रस्ताव पर क्या बोलेंगे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : वह आप पर छोड़े देता हूँ।

श्री भैरवलाल 'काला बादल': फिर हम लोग रह जावेंगे, हमको समय नहीं मिलेगा बोलने के लिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं थोड़ी देर में ही खत्म कर रहा हूँ।

इस प्रकार से फार्म्स बनाने से बहुत देरी में उनका लाभ मिलेगा और आम लोगों की हालत है आज उसको नहीं उठा सकेंगे। कितना पैसा चम्बल में लग रहा है ? कितना खर्चा हुआ है इस पर ? नहरें खुदीं, जितनी माना में खुदनी चाहिये थीं नहीं खुदीं। उनको खोदने में बड़ी बड़ी मशीनों से काम लिया गया। सब्सिडियरी नहरों को खोदने का काम ठेकेदारों को दिया। उन्होंने उन नहरों की पालों को ठीक नहीं किया, मिट्टी भी उनकी ठीक नहीं जमाई, पानी बहने से, पहले पानी के बहने से ही वे टूट गईं और जिन काश्तकारों के खेतों को पानी नहीं मिलना चाहिये था उनको वह पानी मिल गया। तहसील बागोद और लाडपुरा के किसानों के खेतों में वह पानी फिर गया जिससे उन काश्तकारों को नुकसान हुआ, जबर्दस्ती उनके खेतों में पानी पहुंचा दिया गया जब कि वे पानी लेना ही नहीं चाहते थे। और अब ऐसा मालूम हुआ है कि उनसे इर्रिगेशन के चार्जेज़ लिये जावेंगे। अव्वल में तो गलती उनकी नहीं। वे पानी लेना ही नहीं चाहते थे। नहरों की पालें टूट गईं और उनके खेतों में पानी चला गया, उल्टा उनको नुकसान हुआ और उनसे यदि इर्रिगेशन चार्जेज़ लिये जाते हैं तो यह उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा। ठेकेदारों की गलती थी, उसके लिए जांच होनी चाहिये थी। नहरों की मिट्टी को उनको अच्छी तरह से जमाना चाहिये, जमाया नहीं, उसको समतल नहीं बनाया जो कि बनाना चाहिये था। कई जगह तो पानी ही नहीं चढ़ा। उन सारी बातों के बावजूद भी अनावश्यक रूप से लोगों को उस पानी से नुकसान हुआ, उनको राहत मिलनी चाहिये। इस तरह से चम्बल का बांध बन चुका। लोग कहते हैं कि मिट्टी का बांध है इसलिए दो चार सीढ़ी तो बैठेगा और बैठना चाहिये। कोटा में रहने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे कि बांध से तीन-चार महीने से लगातार पानी बह रहा है। तीस-चालीस हजार सीमेन्ट की बोरियां गढ़ के नीचे डाल चुके और पानी फिर भी रुका नहीं। पानी बह रहा है और वेस्ट जा रहा है। उसका

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कारण यह है कि जब तक गढ़ के पास उस बांध की दीवार को पक्का नहीं बनाया जायगा पानी रुकेगा नहीं। मिट्टी की दीवारें हैं। तीन-चार सीढ़ियां बैठ गई पानी में। मैंने इन्जीनियर से पूछा कि पानी तो निकल रहा है तो कहा गया कि टकराती हैं लहरें इसलिए यह हो जाता है। इसलिए यह ध्यान देने की बात है और उस ओर देखने की बात है। आखिर इतना पैसा लगाया है। जो योजना फलवती होने वाली है वह जरासी असावधानी से कहीं बड़ा नुकसान न पहुंचा दे।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ जैसा कि पहले भी एक दफा मैंने निवेदन किया कि जो कुछ योजनायें चलती हैं उनमें जो काम ठेकेदारों के सुपुर्द किया जाता है उनके कामों की जांच नहीं होती, इस कारण हमारा नुकसान हो जाता है और जितना काम होना चाहिये उतना होता नहीं है; इससे काश्तकारों को भी नुकसान हुआ है।

कोटा के विकास के लिये तीन चार तरह की संस्थायें बना रखी हैं। हरेक संस्थान अपने अपने ढंग से उसका विकास कर रहे हैं। एक तो चंबल कमेटी स्टेट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, कोटा कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट है, नगरपालिका है, अर्बन डेवलपमेंट कमेटी है, इस तरह से चार-पांच तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं। इन सब का एकीकरण करके एक योजना बनायें तो अलग अलग संस्थाओं में जो सुपरिन्टेन्डेन्टस हैं, क्लर्कस इत्यादि हैं उनके लिये जो खर्चा होता है उसमें कमी की जा सकती है। यदि इन संस्थाओं का एकीकरण हो जाता है तो सबसे बड़ी बात होगी। लोगों को विकास करने वाली सही संस्था का पता चल जायेगा और उनको यह भी मालूम पड़ सकेगा कि कौन प्लॉटस का अलोटमेंट करता है। अलग अलग माध्यम से जो काम होते हैं उनमें एक-रूपता नहीं हो सकती। इन सब बातों के लिये कोटा शहर हमेशा निग्लेक्टैड रहा है, उस पर किसी ने ध्यान देने की चेष्टा नहीं की है और न उसका प्रतिनिधित्व ही हुआ है।

एक माननीय सदस्य : दो-दो मंत्रीजी कोटा डिविजन के हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : कृषि कॉलेज के खोलने की सरकार के सामने योजना है तो वह खुलेगी उदयपुर में। मेडिकल कॉलेज तीसरी योजना में खुलने वाला है। एक विश्व विद्यालय हम खोलने जा रहे हैं। क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू इनमें से एक संस्था तो आप कोटा में खोलें। पी० सी० सी० की वहां मीटिंग हुई थी। उसमें कहा गया था कि हम कोटा को कानपुर बना देंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, केवल उद्योग बढ़ा देने से ही किसी शहर का विकास नहीं हो जाता। उसके लिये शिक्षा की भी अत्यन्त आवश्यकता है। बिना शिक्षा के उद्योग से लाभ नहीं हो सकता। उद्योगों का लाभ कुछ लोगों को मिल सकता है लेकिन जहां शिक्षा से प्राप्त होने वाले लाभ का सवाल है उसका लाभ हर एक आदमी को मिल सकता है। इसलिये यह जो मेडिकल कॉलेज, क्षेत्रीय इन्जीनीयरिंग कॉलेज आदि की योजना है उसमें से कोटा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को भी हिस्सा मिलना चाहिये और इस तरह से सही मायने में कोटा के साथ न्याय किया जाना चाहिये। आज हमारे इस कोटा शहर में दुर्व्यवस्था फैली हुई है। उस दुर्व्यवस्था का कारण एक ही है वहां के मोटर स्टेन्ड को देखिये वह भी एक खुली जगह में है, वह भी पक्का नहीं बना पाये हैं बरसात के दिनों में आप सोच सकते हैं मुसाफिरों को कितना नुकसान होता होगा। बरसात में तो यहां तक हालत हो जाती है कि यात्री लोग बसों में बैठ तक नहीं सकते। इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है वह है लकड़ियों का। इस ओर मैं सब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज कोटा शहर में लकड़ियां नहीं मिलती हैं। ठेकेदार उन लकड़ियों को जला जला कर कोयले बना कर बाहर भेजते रहते हैं। गान्धी सागर से बिजली प्राप्त होने की बात है। लेकिन अभी तक उससे उतना ही पैसा देना पड़ रहा है जितना कि स्थानीय बिजली घर की बिजली के लिये देना पड़ता है। गान्धी सागर से बिजली सस्ती मिलने की बातें कही जाती हैं, लेकिन वह सस्ती नहीं मिल पा रही है। जब नहीं मिलेगी सस्ती बिजली तो वहां की तरक्की होनी मुश्किल है। जहां तक लकड़ी का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने पहले कहा था इस लकड़ी की दुर्व्यवस्था का कारण वहां के जंगलात अधिकारी हैं। मैं इस सम्बन्ध में दो-चार उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि लकड़ियों का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है।

शाहबाद तहसील के अन्दर जो जंगल हैं वहां के फोरेस्ट अधिकारियों ने वहां से डांडे कटवा कर, बल्लियां कटवा कर चुपचाप पार कर बाहर भिजवा दीं। उस प्रकार तहसील किशनगंज में एक सबसे बड़ा जंगल है जिस जंगल के करीब २५ हजार डांडे काटे गये, वहां के डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर ने बाहर भिजवा दिये। काश्तकारों को लकड़ी निजी उपयोग के लिये नहीं मिलती, बैलगाड़ियां में वे भर कर ला नहीं सकते। इस तरह से वहां के जंगलों का नाश हो रहा है और बाहर लकड़ियां भेजी जा रही हैं। जो आप चाहे तो किसी भी समय पकड़वाई जा सकती हैं। हम लोगों के पास अधिकार नहीं, हमको इस प्रकार की दुर्व्यवस्थायें नकेर आती हैं।

नमक वितरण की जो व्यवस्था है वह भी बहुत खराब है। छबड़ा में जाकर वह नमक रुपये का साढ़े सात सेर के हिसाब से मिलता है, जब कि मिलना चाहिये रुपये का सोलह, सत्रह सेर के हिसाब से। इसमें जो लॉटरी का सिस्टम है उससे इस प्रकार की गड़बड़ी होती है। जिस व्यापारी को कोटा मिलता है वह मन चाहे भाव से बेचता है। समय पर व्यापारियों को नहीं मिलता, इससे भाव भी बढ़ जाते हैं। नमक तक की चीज़ के लिये परेशान होना पड़ता है। ये ऐसी दुर्व्यवस्थायें हैं कोटा जिले में कि जिस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं इन सारी बातों की ओर ध्यान इसलिये खींच रहा हूं कि बजट में जहां कर लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिये जो महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण हम कर रहे हैं उसके लिये हम टैक्सेज़ लगा रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि टैक्सेज के लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दफ्तरों में एम्बेज़लमेन्ट्स हैं उन पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाये, प्रशासन को थोड़ा भी सुधारा जाये तो टैक्सेज़ लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और हम जिस प्रकार से तरक्की करना चाहते हैं उसी प्रकार से तरक्की कर सकेंगे।

इसके साथ साथ मैं यह भी कह सकता हूँ कि भूमि सुधारों में तरक्की हुई है, शिक्षा क्षेत्र में भी हम उन्नति कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने कमिश्नर्स की जगहों को कम किया है उसी प्रकार मैं समझता हूं तहसीलदारों की जगहों को भी कम किया जा सकता है। लैन्ड रेवेन्यु कलेक्शन का भार पंचायत समितियों को दे दिया जाय, उसके लिये नायब तहसीलदार को नियुक्त किया जा सकता है। हम स्कूलों में प्राइमरी कक्षा के छात्रों के लिये दोपहर के भोज का और पाठ्य पुस्तकों का प्रबन्ध कर रहे हैं। ये सब पंचायत समितियां के अधीन कर रहे हैं। उसके साथ हमने इसमें जन-सहयोग की भी कल्पना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कह सकता हूं कि सभी पंचायत समितियां इस हालत में हो नहीं सकतीं कि वे इस प्रकार का दायित्व अपने ऊपर ले सकें। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां की पंचायतें और पंचायत समितियां इस प्रकार का दायित्व लेने में समर्थ न हों वहां सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिये और उनको पुस्तकें भी मिलनी चाहिये। पुस्तकों का खर्चा मामूली खर्चा नहीं है। इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। इसके लिये और खर्चे में कटौती करने की संभावना हो तो वह की जानी चाहिये। तहसीलदार का काम भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। पंचायत समितियों के अन्तर्गत रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिये नायब तहसीलदारों को रखा जा सकता है। रेवेन्यु कलेक्शन का काम पंचायत समितियों के सुपुर्द करने के बाद मैं समझता हूं तहसीलदारों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह से बहुत बड़ी बचत हम प्रशासन व्यय में कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और उनसे आशा करता हूँ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में खराबियां पैदा हो गई हैं उनको भी दूर करने को कोशिश करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमन्त्री महोदय ने सन् ६१-६२ की आय-व्यय का बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। यह इस विधान सभा की दृष्टि से अन्तिम बजट है और तीसरी योजना की दृष्टि से प्रथम वर्ष का बजट है जिससे हमको रोशनी मिलती है कि अगले साल और बाद के चार सालों में राजस्थान में क्या प्रगति के कार्य होंगे।

जब इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो निश्चय ही यह राय बनती है कि यह एक प्रगतिशील, सन्तोषजनक और प्रेरणादायक है और साथ ही साथ जनता में यह विश्वास पैदा करता है कि जो उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है और जिसे सरकार वसूल करती है उसका सदुपयोग होता है।

आप जानते हैं कि जब राजस्थान बना तो उस वक्त इस स्टेट का बजट बारह-तेरह करोड़ के लगभग था और वह आज बढ़ कर ७४ करोड़ तक आ गया है, जिसमें से ३४ करोड़-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का प्रथम वर्ष का है और इस रफ्तार से तीसरी योजना के आते आते एक अरब रुपये का हो जावेगा, जिससे हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान में कितनी उन्नति होगी, कितना विकास होगा। योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले कार्य के विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा पर साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा।

सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात वित्त-मन्त्रीजी ने बताई वह यह है कि सब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क दोपहर का खाना दिया जावेगा और साथ ही साथ पुस्तकें भी मुफ्त में दी जावेंगी। यह ऐसा कदम है जो सारे हिन्दुस्तान में एक दो स्टेट्स को छोड़ कर और कहीं नहीं है। इसका महत्व हमारे यहां और भी अधिक है। हमारे यहां गरीबी अधिक है और गरीबी के कारण लोग शिक्षा में रूचि नहीं रखते और अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, पुस्तकें भी उनको नहीं मिल पातीं। इसलिए इस जिम्मेदारी को सरकार ने लिया है; इसके जरिये गरीबों के बच्चों की शिक्षा में रूचि बढ़ेगी और असमानता की भावना भी दूर होगी, छोटे-बड़े का भेदभाव कम होगा। साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। भाईचारा और प्रेमभाव बढ़ेगा। यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी सराहना किये बगैर हम नहीं रह सकते।

इसी प्रकार दूसरी घोषणा सैनिक स्कूल के बारे में है। राजस्थान हमेशा से वीरों की भूमि रही है और इसने आर्मी और मिलिट्री में हर रेंक के सिपाही और अफसर समय समय पर दिये हैं। पर प्रकृति की ऐसी देन होते हुए भी यहां पर कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर सैनिक लोग शिक्षण प्राप्त कर सकें और अब अच्छे अच्छे ओहदों पर यहां के वीर युवक पहुँचने में समर्थ हो सकेंगे; इस बात को कभी महसूस नहीं किया गया और पहली बार इसकी आवश्यकता को महसूस कर सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण घोषणा है। हम माननीय वित्त मन्त्रीजी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि इस घोषणा के बाद जहां भी यह खोला जावे उस जगह का पूर्व इतिहास ध्यान में रखते हुए ही खोला जावे जिससे वह सफलतापूर्वक चल सके।

तीसरी बात जो अच्छी लगी वह है राजस्थान में महिलाओं को और ऐसी महिलाओं को जो निस्सहाय है, जिनके पास स्वयं का और अपनी सन्तान का पालन-पोषण का कोई जरिया नहीं है, जो हजारों की संख्या में हैं और जिसके कारण सामाजिक कुरीतियों की वे शिकार होती हैं उनको सहायता देना और रोजगार और धन्धा सिखाया जाना। मैं निवेदन करता हूँ कि उनकी सहायता तो की ही जावे, पर उनको ऐसे रोजगार या धन्धे सिखाये जावें जिससे वे स्वावलम्बी हो सकें। पहली बार इस ओर ध्यान दिया गया है और यह व्यवस्था की गई है कि उनको मन्थली अलाउन्स दिया जावेगा और साथ ही काम सिखाने की व्यवस्था भी की जावेगी। इस कदम से ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार जो अपने बजट का रुपया न केवल विकास के कार्यों पर खर्च करती है पर मानव

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कार्य पर भी खर्च करने की इच्छा रखती है। पर इस बजट की रकम को देखते हैं तो वह केवल पांच लाख है। इतनी छोटी धन-राशि से जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं वह पूरी नहीं हो सकेगी। अच्छा हो, वित्त मन्त्री और रकम रखें ताकि यह कार्य सफलतापूर्वक चल सके।

इनके बाद कुछ उन तथ्यों का वर्णन करना चाहता हूँ जो इस सत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें सबसे पहला है टैक्स। अब तक राज्य में घाटे के बजट को पूरा करने के लिए टैक्स लगाया जाता रहा है, पर इस साल इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कदम और उठाया गया है; वह है पब्लिक सर्वेन्ट्स के खर्चे में कटौती। लगभग ८५ लाख की कटौती इससे करने का प्राव-धान रखा है। यह महत्वपूर्ण इसलिये भी है कि राजस्थान में पब्लिक सर्विस पर सब स्टेट्स से अधिक खर्चा होता है। यहां रेवेन्यु का ५० से ६७ पर्सेन्ट तक पब्लिक सर्विस पर खर्च हो जाता है जब कि आन्ध्र के अन्दर २५ पर्सेन्ट, मद्रास में २५.६ पर्सेन्ट होता है। इसका कारण यह है कि यहां का एड-मिनिस्ट्रेशन टॉप हैवी हो गया है। एक अफसर मुकर्रर हो जाता है तो धीरे धीरे वह साल, डेढ़ साल में नीचे से ऊपर तक अपना सेट-अप बना लेता है। गये साल हमने फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स में कमी की। पर इससे जनता को अहसास नहीं हुआ कि सरकार कोई इस बारे में सक्रिय कदम उठाना भी चाहती है या नहीं। इसका मनोवैज्ञानिक असर गलत पड़ा। जिनके गुजर-बसर का इन्तजाम नहीं, उन छोटों की कटौती तो सरकार करना चाहती है, पर बड़ों का पालन-पोषण करने में संकोच करना नहीं चाहती है। पर इस साल जो आपने काम किया है उससे ऐसा लगता है कि आप वास्तव में इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहते हैं। कमिश्नरियां और डिप्टी कमिश्नरियां समाप्त करने से इसमें आठ लाख की बचत होगी। दो लाख फिर भी थोड़े समय के लिए खर्च किया जावेगा। पर आइन्दा इसकी भी बचत मुस्तकिल तौर पर होने लगेगी। ब्रिटिश रिजीम के वक्त, दूर से शासन करने की दृष्टि से सी० आई० डी० के तौर पर इनकी नियुक्ति जरूरी समझी गई थी। पर धीरे धीरे बाद में भी इन पोस्टों की जड़ें मजबूत हो गईं। पर आज जब मन्त्रीगण स्वयं सीधा सम्पर्क बनाये रखते हैं जनता से तो इनकी आवश्यकता नहीं रहती है। ये पोस्टें केवल लाएबिलिटी की पोस्टें थीं। इसलिये इनको समाप्त करके उचित ही कदम उठाया गया है। इससे हमें सन्तोष है और इस पर सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से और भी जगहें कम की जा सकती हैं जो इनसे ही मिलती-जुलती हैं, जिस प्रकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर की पोस्टें खत्म हुईं। तो रेवेन्यू डिविज़न्स के आधार पर इस तरह के कई और महकमे भी हैं कि जिनको धीरे धीरे एबोलिश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, पी० डब्ल्यु० डी० एण्ड इर्रिगेशन, मिसाल के तौर पर डी० आई० जी०, मिसाल के तौर पर डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ वेरियस डिपार्ट मेंट्स। इस तरह की कई पोस्टें हैं कि जो रेवेन्यु डिविज़न्स के कायम रहने की वजह से उनके साथ साथ चल रही हैं और रेवेन्यु

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

डिविज़न्स समाप्त होते हैं तो उन पोस्टों के भी समाप्त होने की सम्भावनायें हो सकती हैं और ये कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर की पोस्टें समाप्त करने से रास्ता खुल गया है। इसलिए इस मौके पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इन पोस्टों को समाप्त करके एक बहादुरी का परिचय राजस्थान सरकार ने दिया है उसी प्रकार सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर पी.डब्ल्यू.डी. एण्ड इर्रिगेशन और डी० आई० जी० और दूसरे जो डिविज़नल लेवल पर पोस्टें हैं डिप्टी डाइरेक्टर्स आदि की उनको भी समाप्त करने की दिशा में सक्रिय कदम जल्दी से जल्दी हो सकें, उठाये जायें। यही नहीं; जब रेवेन्यु डिविज़न्स को हमने समाप्त कर दिया है तो एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। बहुत अर्से से इस बात के संबंध में चर्चा चल रही थी कि रेवेन्यु डिस्ट्रिक्ट्स और रेवेन्यु तहसीलें भी रीऑर्गनाइज़ हों और उनकी संख्या में कमी की जाये जिससे कि खर्चे में कमी हो, ताकि खर्चे में कमी होने से हमें टैक्स लगाने की जरूरत कम पड़े। इसके लिए कमेटियों का निर्माण हुआ और भिन्न भिन्न कमेटियों ने अपनी राय भी इस संबंध में दी और शायद वह मसला सरकार के कुछ वर्षों से विचाराधीन है। अब यह रास्ता खुल गया है तो अब इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि हमारे रेवेन्यु डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को रीऑर्गेनाइज करनेवाली कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके उसमें कमी कर खर्चे में कमी करें जिससे कि हमें आगे टैक्स नहीं लगाने पड़ें। तो इसके सम्बन्ध में एक बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

अब इस बजट के अन्दर कुछ टैक्स प्रपोज़ किये हैं और उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाये तो मालूम होता है कि वे टैक्स ऐसे टैक्स नहीं हैं कि जिनका भार असहनीय हो या जो बहुत ज्यादा गरीबों पर वजन डालने वाले हों। लेकिन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वह टैक्स से होने वाली आय खर्च की जायेगी इस ओर देखते हैं तो हमें सन्तोष होता है कि ये जो टैक्स लगाये हैं वे ठीक हैं। सरचार्ज ऑन स्टैम्प ड्यूटी कर लगाया है यह कोई नया टैक्स बजट में रखा गया हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमने सर्चार्ज ऑन स्टाम्प्स ड्यूटी लगाने का अधिकार पंचायत समितियों को दिया था और ऐसा कर पंचायत समिति लगा सकती थी और कुछ पंचायत समितियों ने लगाया भी है। लेकिन सरकार ने यह अनुभव किया कि पंचायत समितियां इस टैक्स को लगाने में ज्यादा सफल नहीं हुई हैं या लगा नहीं पा रही हैं या वसूल करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इसलिए सरकार ने सोचा कि सरचार्ज ऑन स्टाम्प्स ड्यूटी खुद ही लगाये और उससे वसूल हुआ, पैसा पंचायत समितियों को उनके विकास कार्यों में खर्च करने के लिए दे दे। तो यह तो एजेन्सी के रूप में सरकार ने करने का बीड़ा अपने ऊपर उठाया है। इसलिए इसको हम नया टैक्स नहीं कह सकते। लेकिन यह ऐसा टैक्स नहीं है कि जिसका भार सहन नहीं किया जा सकता हो। लेकिन इसके सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि यह टैक्स ३० पर्सेंट लगाया है और यह सभी ट्रान्ज़ेक्शन और ट्रान्सफर पर लगाया है। क्या ही अच्छा होता कि इसमें थोड़ा सा एग्जेम्पशन दे दिया जाता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कि १,००० रुपये से नीचे वाली प्रोपर्टी के ट्रान्सफर पर ड्यूटी जो अब तक लगती है उस पर नहीं लगेगी। जैसे हमने लैण्ड रेवेन्यु का सरचार्ज लगाया है मिनिमम को छोड़ कर उसी तरह इसके अन्दर भी किया जाना चाहिए था। यह हमने इसलिए करने के लिए कहा है कि आम तौर पर १,००० से नीचे के ट्रान्ज़ेक्शन गरीब लोगों के होते हैं और उनके ऊपर इसका भार नहीं पड़े, इसलिए १,००० से नीचे के ट्रान्सफर्स को एग्जेम्प्ट कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। इसके अलावा ३० पर्सेंट जो सरचार्ज कि रेट है यह भी कुछ हद तक अधिक है, लेकिन हम यह एग्जेम्पशन दे देते हैं तो उसका जस्टीफिकेशन हो जाता।

अब मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ कि जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहीं। एक बात तो यह कही कि अर्बन कॉमुनिटी डेवलपमेंट की स्कीम को चालू करने के लिए इनीशियल स्टेप्स इस साल लिये जायेंगे। हमें याद है कि राज्यपाल महोदय ने गई बार १९६०-६१ में जब भाषण दिया वह यह दिया था कि अर्बन कॉम्युनिटी डेवलपमेंट की स्कीम इसी साल चालू कर दी जायेगी। उसके बाद एक साल हो गया है किन्तु कुछ भी इस दिशा में नहीं हुआ और अब आप यह फरमाते हैं कि initial steps for introducing urban community development schemes will be taken up this year. अब वह इनीशियल स्टेप इस साल ली जायेगी। तो इसका मतलब यह है कि उस पूर्व घोषणा के मुताबिक उस निश्चित उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाये और इस साल भी पूरा कर सकने की सम्भावना नहीं है, केवल इनीशियल स्टेज को ही सम्भावना है। मेरे ख्याल से यह एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी और घोषणा के विपरीत पड़ता है। शायद इस पर वित्त मंत्रीजी पुनः विचार करेंगे और कोई न कोई इसे जल्दी करने का रास्ता निकालेंगे।

दूसरी बात जो इस भाषण में कही गई है वह यह कही गई कि ceilings on agricultural lands in Rajasthan have been imposed. मैं इस "इम्पोज़" शब्द पर ही कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यह ठीक है कि राजस्थान ने सीलिंग का कानून बनाया है। यह भी ठीक है कि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो गई; लेकिन अभी तक कानून को लागू नहीं किया गया है और इससे एक दिक्कत आती है कि वह कानून ८ दिसम्बर, १९६१ में पास हुआ था और उसमें यह प्रावधान रखा था कि ८ दिसम्बर, १९५९ के बाद के जितने भी ट्रान्ज़ेक्शन्स हैं ट्रांसफर्स हैं वे प्रोहीबिट किये गये हैं। अब इसके एक दम लागू नहीं होने से क्या हो रहा है कि ट्रान्ज़ेक्शन्स बराबर होते जा रहे हैं, लोगबाग भोले हैं कम कीमत लिखी जा रही है और अधिक कीमत वसूल हो रही है। ये ट्रान्ज़ेक्शन्स रिकग्नाइज़ होंगे और कम्पेन्सेशन देने का सवाल आयेगा, इन्वेस्टमेंट हो जायेगा। उसके बारे में क्या किया जायेगा, किस तरह मुआवजा दिया जायेगा, इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो जायेंगे। उनसे बचने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाये।

इसके बाद मैं नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। नेश-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट के बारे में एक अजीब सा किस्सा रोज़मर्रा देखने को मिलता है। जब राजस्थान में नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट की स्कीम लागू की गई तो उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया और किया जाने वाला है। उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि सस्तापन हो और एफीशियेन्सी बढ़े। ऑपरेशन में और मैनेजमेंट में greater efficiency and economy is necessary. इस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। इसका मतलब यह है कि लोगों को प्राइवेट बसों के मुकाबले में सस्ती दरें और मोटरों में आने-जाने की और सामान लाने-ले जाने की सुविधा हो और इस स्कीम से बेनीफिट दो को होता; एक तो स्टेट ट्रेज़री को और दूसरे पैसेंजर्स को या कन्ज्यूमर्स को और इस स्कीम को बनाते समय यह सोचा गया था कि राजस्थान के स्टेट एक्सचेकर की आमदनी का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया होगा। जब हम इसे टेक्निकल दृष्टि से देखते हैं तो दूसरी जगह का तो मालूम नहीं, लेकिन रोजाना आम तौर पर जयपुर से भीलवाड़ा जायें तो रास्ते में जयपुर से अजमेर तक की बस मिलती है। अजमेर की बसें जो कि प्राइवेट ओनर्स चलाते हैं वे २ रु० ५ आने लेती हैं....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : कल से २ रु० ६ आने।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २ रु० ५ आने।

श्री अर्जुनदास : २ रु० ६ आने।

श्री उपाध्यक्ष : ६ आने मान लो। एक आने में क्या फर्क पड़ता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक स्टेट बस ३ रु० ११ आने लेती है; जहां दूसरी ओर मेल ट्रेन का किराया ३ रु० ६ आने है और पैसेंजर का किराया २ रु० ११ आना है। इसका मतलब यह है कि स्टेट बस वाले प्राइवेट बसों से किराया १ रु० ६ आना ज्यादा लेते हैं और हर बस के ऊपर, पर-ट्रिप ५० रुपये का खर्च आता है जिसमें ड्राइवर, कन्डक्टर, डीज़ल और वीयर-टीयर आदि सब शामिल हैं। अब इस स्कीम का नतीजा निकल रहा है ३ रु० ११ आने रखने से कि या तो उन बसों में एक ड्राइवर और एक कन्डेक्टर बैठ जाता है या फिर एक या दो पैसेंजर्स मौका आने पर भूले-भटके बैठ जाते हैं तो दो मुसाफिरों का किराया आ जाता है, ३ रु० ११ आने और ३ रु० ११ आने; बाकी सारी बस खाली आती-जाती हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट बसेज़ ओवरक्राउडेड जाती हैं। तो इससे यह कल्पना कर सकते हैं कि जिस उद्देश्य से यह स्कीम लागू की थी for greater efficiency and economy in operation and management and welfare activities for the passengers, वह इससे पूरी नहीं होती। इससे तो एक ही बात हो सकती है और वह यह है कि सरकारी खजाने में धन कैसे हाथ लगे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ३ रु० ११ आ० की २ सवारियों लेने के बजाय ३ रु० ६ आ० में ५० सवारियों को लेने का प्रिन्सिपल क्यों नहीं लागू करते हैं, जिससे नुकसान तो न हो, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं सोचा जायगा। हाई कोर्ट में जा रहे हैं। वहां से फैसला हो सकता है, कानून में

Page No.73

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आपको किराया कम करने का अधिकार है, और जितना कम करना चाहें उतना कम कर सकते हैं तो फिर आपको ट्रेन के बराबर या ऑर्डिनरी बसेज़ जितना किराया लेती हैं उतना लेने में क्या ऐतराज है ? आप यह सोचते हों कि बाद में बढ़ाना पड़े । हो सकता है बाद में बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दीजिये, लेकिन इस वक्त तो you should deal in a business like manner. इस तरह से डील नहीं करने से रोजाना हजारों रुपयों का घाटा रहता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र ऐसा कदम उठाया जाये जिससे नुकसान न होने दिया जाय, वर्ना जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा राष्ट्रीयकरण के नाम पर खर्च करना उचित नहीं होगा । इसलिये इस पर गहराई से विचार करना चाहिये ।

हमारे विधान की धारा ५० में इन्डिपेन्डेन्स ऑफ जुडिशियरी की गारन्टी की गई है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रोम दी एग्जीक्युटिव की गारन्टी दी है । इस विधान को लागू हुए बहुत वर्ष बीत गये, लेकिन कोई कदम इस ओर नहीं उठाया गया । राजस्थान में सन् ५२ से यह मसला चल रहा है । सन् ५२ में इस हाउस में यह एश्योरेन्स दिया गया था कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू करेंगे । उसके बाद में बापना समिति बनी और उसने रिपोर्ट भी दे दी, उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है । इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है । सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रोम एग्ज़ीक्युटिव डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है । डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में एक और महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि जनता का विश्वास एग्ज़ीक्युटिव में और जुडिशियरी में होना चाहिये । वह तभी हो सकता है जब कि एग्ज़ीक्युटिव के इन्फ्लुएन्स से जुडिशियरी मुक्त रहे । यदि एग्ज़ीक्युटिव का जुडिशियरी पर असर पड़ता है तो जनता को उस पर विश्वास नहीं होता है और जनता समझती है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा । न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिये, यह अहम सिद्धान्त की बात है । इसके अलावा तीन बातें और हैं जिनका इस पर असर पड़ता है । इसलिये इस योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाना चाहिये । आजकल जिन लोगों के हाथ में न्याय देना है, मजिस्ट्रेसी से मेरा मतलब है, उनके पास मल्टीफेरियस रेस्पोन्सिबिलिटीज़ हैं, वे चाहे डेवलपमेंट से संबंधित हों, चाहे दूसरे किस्म की हों, जिसमें वे हर समय लगे रहते हैं । जुडिशियरी के लिये जिस दिमाग की जरूरत होती है, पॉवर ऑफ अन्डरस्टेंडिंग की जरूरत होती है उसका धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है । उनके जजमेन्ट अप टू दी मार्क नहीं मिलते हैं । न्याय मंहगा मिलता है और इम्पार्शियल जस्टिस नहीं मिलता । इसलिये क्विक जस्टिस दिलाने के लिये । और सस्ता न्याय दिलाने के लिये और सिद्धान्तों का पालन करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस स्कीम को लागू जल्दी कर दिया जाय । फॉर्मर राजस्थान में इसे लागू किया था, लेकिन नया राजस्थान बजाय आगे बढ़ने के पीछे हटा ।

अब सवाल यह है कि क्या यह स्कीम सफल नहीं होगी ? लेकिन मैं निवेदन करूंगा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कि मद्रास और बम्बई में इसे लागू किया गया है और वहां यह सफल हो रही है, और हमारे यहां भी पहले सफल हुई है और अब भी जहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यह पूरी तरह से सफल होगी। हमारे यहां जिन पंचायतों की स्थापना की गई है उनसे न्याय पंचायतों को अलग रखा गया है और इस वजह से अलग रखा है कि एग्ज़ीक्युटिव से न्याय के काम को अलग रखना चाहिये, तो फिर क्या वजह है कि मजिस्ट्रेसी को अलग क्यों नहीं किया जाय जब कि हाई कोर्ट इन्डिपेन्डेन्ट है, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ और सिविल जजेज़ इन्डिपेन्डेन्ट हैं, न्याय पंचायतें इन्डिपेन्डेन्ट हैं; तो फिर बीच का जो लिन्क है मजिस्ट्रेसी, वह क्यों नहीं इन्डिपेन्डेन्ट किया जाता ? इसके लिये कोई दलील नहीं दी जा सकती। इसलिये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बारे में कदम उठाया जाय। यदि एक बार में सारे राजस्थान में मजिस्ट्रेट्स को इन्डिपेन्डेन्ट नहीं कर सकें तो पीसमील में करना चाहिये; लेकिन इसकी शुरूआत जल्दी से जल्दी की जाय ताकि दो-तीन वर्षों में सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।

अंतिम बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह है प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में। माननीय वित्त मंत्री अपने बजट का बहुत बड़ा आधार नशीली चीजों के ठेकों से और ड्यूटी से मानते चले आये हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस साल टैक्स नहीं लगाया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसे एक बहुत बड़ा आधार बजट का उन्होंने माना है। यदि इससे आय नहीं हुई तो हम विकास के कार्य कैसे करेंगे, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस दृष्टि से सोच नहीं पा रहे हैं कि इस आय को आय माना जाये या नहीं। शराब पीना और नशीली चीजों का इस्तेमाल करना सोशियल ईविल है और इससे होने वाली आमदनी को हमारे विकास के कार्यों में लगाना, चाहे उससे विकास होगा जरूर, लेकिन इस पाप की कमाई को धर्म में लगाना जब तक चलता रहेगा तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रोहिबीशन के बारे में कॉन्स्टीट्यूशन में भी कहा गया है, इस पर विचार करना चाहिये।

बार बार वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि शराबखानों में कमी हुई है लेकिन इन्कम के आंकड़ों की तरफ जाते हैं तो वह बढ़ती जा रही है। इसका मूल कारण यह नहीं है कि पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिनका मैं यहां विवेचन नहीं करके एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यदि पार्शियल प्रोहिबीशन करना चाहते हैं तो उसके लिये कुछ ढंग इस्तेमाल करिये, ऐसा करिये जिससे सोशियल ईविल खत्म हो जाय और आपकी आमदनी में फर्क न आवे। हो सकता है थोड़ा बहुत आवे, लेकिन जब तक कम्प्लीट प्रोहिबीशन नहीं करना चाहते हैं तब तक पार्शियल करिये....

श्री अर्जुनदास : आपने यह तो नहीं

(श्री अर्जुनदास)

बताया कि पार्शियल प्रोहिबीशन पोसिबल भी है या नहीं ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : प्रोहिबीशन की नीति असफल हो गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम यह जानते हैं कि इसे सब तबकों के लोग पीते हैं, ऑफिशियल्स भी पीते हैं, एम० पीज़० और एम० एल० एज़० पीते भी हैं, गरीब और अमीर भी पीते हैं, प्रधान और प्रमुख भी पीते हैं। किसी के लिये रुकावट नहीं है, इसलिये कोई भी पी सकता है। मैं यह नहीं कहता कि हर आदमी पीता है। लेकिन किसी के भी लिये रुकावट नहीं है इसलिये पी सकते हैं। इसलिये हमें सबसे पहला कदम यह उठाना चाहिये कि यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर शराब पीता है या शराब पीता पाया जावे तो गवर्नमेंट सर्विस से उसको टर्मिनेट कर दिया जायगा। यदि ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट सर्विस ऑनेस्ट हो जायगी और जितनी गड़बड़ियें चलती हैं इल्लिसिट को लेकर वे सब समाप्त हो जायेंगी। इसलिये पहला कदम तो यह उठाना चाहिये।

दूसरा कदम यह उठाना चाहिये कि एम० एल० एज़० या एम० पीज़० शराब पीते हैं या पीते हुए पाये जाते हैं तो उनको चुनाव में खड़े होने से डिस्क्वालिफाई कर दिया जायगा और यदि कोई चुनाव में जीतने के बाद पीता हुआ पाया जायगा तो उसको अपनी सीट वेकेन्ट करनी होगी। यह मैं मानता हूँ कि राजस्थान सरकार के वश की यह बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उनकी तरफ से यह सिफारिश की जा सकती है सम्बन्धित विभाग को कि जो रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसके अन्दर इस तरह का संशोधन किया जाय....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य अभी से चिन्तित हैं।

श्री अर्जुनदास : मैं सोच रहा हूँ, आप और मैं, दोनों कहां जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीसरी चीज़ मैं अर्ज करना चाहता हूँ वह राजस्थान सरकार द्वारा होने वाली बात है कि हमने पंचायत समिति और ज़िला परिषद् एक्ट पास किया। जब मैं बात करता हूँ एम. एल. ए., एम. पी. के सम्बन्ध में, तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, उनके लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों का शराब पीना या चुने जाने के पश्चात् शराब का पीना एक डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिये....

श्री चन्दनमल वैद : सिगरेट पीना भी होना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लोकल बॉडीज़ के मेम्बर्स के साथ साथ एम. एल. ए., एम. पी. और गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर यह स्थिति लागू हो जायगी तो मेरी निश्चित मान्यता है कि इसमें सुधार होगा।

इसके साथ मैं दो-तीन सजेशन्स देकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ। आज शराब पीने की आदत जिनको पड़ी हुई है उनको प्योर शराब मिले। आज जो कन्ट्री-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लिकर की दूकानें हैं वहां वे लोग बैठ कर पीते हैं और पीने के बाद उनको नशा आने पर भी वे लोग पीते हैं तो वहां का मालिक पानी मिला कर शराब उनको दे देता है। सरकार को चाहिये कि ऐसी व्यवस्था करे कि किसी दूकान पर जो कन्ट्री लिकर की दूकान हैं उस पर कोई आदमी शराब नहीं पी सकता। जो शराब पीने वाला है वह शराब खरीद कर ले जाय और घर पर जाकर पी ले। इससे दो फायदे होंगे। एक तो खरीद कर घर ले जाकर आदमी कम पीयेगा दूसरा पानी मिली हुई नहीं पीयेगा। इससे शराब का पार्शियल प्रोहिबीशन होगा....

श्री चन्दनमल वैद : उससे रेवन्यु कम हो जायगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसको मोट करने के लिए जिस तरह बम्बई स्टेट और दूसरी स्टेट्स ने साधन निकाले हैं उस तरह राजस्थान सरकार भी निकाल सकती है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जितनी भी शराब की दूकानें हैं वे गजटेड होली डेज़ को बन्द होनी चाहिये क्योंकि जितनी शराब छुट्टियों के दिनों में बिकती है....

श्री अर्जुनदास : उससे कुछ नहीं होने वाला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उतनी आम दिनों में नहीं बिकती है। उसके साथ ही साथ यह भी सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है यह उन शॉप्स पर भी लागू होना चाहिये, रात्रि को शराब की बिक्री बन्द होनी चाहिए और जिस प्रकार ऑफिस अवर्स १० से ५ होते हैं........

श्री अर्जुनदास : इससे भी कुछ नहीं होने का है।

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपको चिन्ता बहुत हो रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार जो गजटेड होली डेज़ हों उनके अन्दर इन शॉप्स को बन्द कर दिया जाय। दूसरे उन शॉप्स के आवर्स डे में फिक्स कर दें; जिस तरह ऑफिस आवर्स होते हैं और दूकान पर पीने की मुमानियत हो। इसके अलावा जो व्यवस्था मैंने अर्ज की है उस तरह करेंगे तो जरूर पार्शियल प्रोहीबिशन हो सकेगा, पार्शियल प्रोहीबिशन में इस प्रकार का वातावरण पैदा कर देंगे कि कि जब कम्प्लीट प्रोहीबिशन करना चाहेंगे तब दिक्कत नहीं होगी और योजना का स्वागत होगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : राव श्री नारायणसिंह।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने ६१-६२ का वित्तीय अभिलेखा उपस्थित हुआ है और वित्त मंत्री जी ने दो पुरानी योजनाओं के सारे अनुभवों और सारी वित्तीय समस्याओं का युक्तिसंगत विश्लेषण उसमें किया है। उसके साथ साथ कुछ किफायत के बारे में भी घोषणा की है और कुछ दूसरे जो सुधार प्रशासन इत्यादि में किये जाने वाले हैं उनकी चर्चा की है बजट भाषण में। इस सब के लिए वे बधाई के पात्र

(राव श्री नारायणसिंह)

हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में शुरू शुरू में कहा है:

"सच पूछिये तो हमारा योजनाबद्ध अर्थ प्रबन्ध अभी कुल १० साल का ही नन्हा बच्चा है। इस थोड़े से समय में इसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मगर इसमें काफी जीवनी-शक्ति है जिससे जो भी और जब जब इसका इलाज किया गया, इसे फायदा पहुँचा है। इसी का यह नतीजा है कि यह, आम तौर पर तो जैसी की हमने अभिलाषा रखी थी, आगे बढ़ता चला गया, किन्तु जाहिर है कि और तमाम बच्चों की तरह, अपने माता-पिता की सारी बड़ी बड़ी इच्छाओं और आशाओं को पूरा न कर पाया।" यह बजट भाषण में एक तथ्य है और इस विषय में हमें आशा बंधती है कि प्रशासन और फाइनेन्स रूल्स इत्यादि में जो जरूरी सुधार होने चाहिये जिससे कि प्रशासन को तत्परता इस प्रकार बन सके कि हमारा राजस्थान प्रगति से पिछड़े नहीं और उसके कारण यहां उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो यह बात अगर हम करते हैं तो वह वास्तव में बड़ा भारी ठोस कदम होगा और आज जो दो योजनाओं के बाद तीसरी योजना की तरफ मुड़ रहे हैं और कई आर्थिक समस्यायें हमारी गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत हैं उनमें हमारी जो थोड़ी मौलिक बुनियादी ढिलाई है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस विषय में, राजस्थान की तृतीय पंच वर्षीय योजना के बारे में, जो प्लान प्राविजन कमेटी बनी थी उसकी राय का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे यहां स्टेटिस्टिक्स के विषय में काफी कमजोरी है और इकॉनोमिक सर्वे, पॉवर सर्वे - इनके न होने के कारण जो योजना की प्रगति चलती है वह ब्लॉक सी बन जाती है और जो उद्योग इत्यादि का सारा फैलाव होता है वह युक्तिसंगत नहीं हो पाता। इस दृष्टि से मैं इसमें से कुछ वाक्य आपके सामने उद्धृत करूंगा:—

"To realise the fourth all-India objective in concrete terms, the Committee recommends that our socio-economic planning should be so orientated as to give high priority to providing the minimum amenities of life such as food, housing, education........."

और आगे है।

"In addition to these we would also point out that we should aim a fifth objective as well, i. e. the need for bringing about an adequate and equitable regional econmic development." और उसके विषय में उसमें आगे कई सुझाव दिये हैं और उन्हें इस सदन में पढ़ना मैं बिल्कुल उपयुक्त समझता हूँ। वे कहते हैं: "This provision is a sum total..." प्लानिंग के बारे में जिक्र किया है कि हमारा प्लानिंग किस प्रकार से चलता है और उसमें बुनियादी कौनसी ढिलाई रह जाती है: "This provision is a sum total of the various provisions required for implementing the scheme and does not represent the investment outlays needed to fulfil the objectives as indicated in terms of per capita income or to provide employment opportunities as

(राव श्री नारायणसिंह)

required or even to estimate the investment required to bring about the required industrial growth. We are aware that such an approach in planning although basically needed for keeping a long range view is at present lacking at the State level largely due to the paucity of data which such a process of calculation requires. It is unfortunate that the Economic and Industrial Survey which was supposed to provide such information would not be able to make its results available in time for formulation of the Third Five Year Plan. By the time the data collected by them becomes available, the size and its distribution to various sectors would have been determined and the results of the survey may be of mere academic interest. Even the Techno-Economic Survey results which in the case of other States have projected the investment required are not available. However, we are also aware that in view of our past experience, the size of the Plan at the State level is less a matter of calulation than the political decision." इत्यादि ।

इन विषयों पर उन्होंने पुरजोर सिफारिश की है और हमें यह आवश्यक है कि हम हमारी आउट लेज़ को पूरी तरह से वर्कआउट करें और न केवल सारी स्कीम्स का ही एक समष्टीकरण करके हमारे प्लान के आंकड़े फैला लें, इस प्रकार आंकड़े फैलाने से केवल हमारी लक्ष्य(टैक्स)प्राप्ति की तरफ सही रुचि जानी चाहिये, उसके बजाय काम की तरफ, जहां कहीं अलॉटमेंट हुआ उसमें खर्चा हुआ नहीं और शोर्ट फाल भी उस तरह आंकते हैं, शार्ट फाल आंकना फिजिकल टार्जेट से पहले सही हो सकता है, तो इन दो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव के बाद यह आवश्यक तथ्य हमारे सामने हो जाता है जिनको हमें देखना पड़ेगा । इस विषय में मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि आज आप पंचवर्षीय योजना के काल में जो कुछ भी दिलाइयां देखते रहे उनके विषय में राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में इंगित किया है कि पुनर्गठन प्रशासनिक आदि की समस्याएं थीं पर इन दो योजना-काल में हमने काफी आगे कदम बढ़ाया है और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ, ये सब प्राथमिक बातें होने के बाद प्रशासन में वही दृढ़ता ला सकेंगे जिससे योजना की प्रगति में बाधा न हो ।

इसके बाद में उन सबसे बड़ी परेशानियों पर कहना चाहूँगा जो बजट के समय आती हैं। वे हैं टैक्सेशन और पर-केपिटा इन्कम की। टैक्सेशन के लिए खिलाफत की मनोवृत्ति भी रहती है पर आज हमें देखना पड़ेगा कि आज की आर्थिक भूमिका में टैक्सेशन नहीं लगाते, एडीशनल रिसोर्सेज़ की तरफ ध्यान नहीं लगाते तो हम योजनाओं को पूरा करने के काम में पीछे रह जाते हैं। यहां पर-केपिटा इन्कम की चर्चा करते हैं तो राज्यपाल महोदय ने पर-केपिटा इन्कम की बात कही है वह यह है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय २५६.०० से बढ़ कर २७८.०० रु० हो जायगी। इसका अर्थ यह होगा कि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय में १.४ प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही यह कहा कि इस बढ़ोतरी के होने पर भी राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति

(राव श्री नारायणसिंह)

आय, जो कि अनुमानतः ३०५ रु० है, से २७ रु० कम रहेगी ।

इसके साथ मैं इसका विशद् उल्लेख करना चाहता हूँ कि एक तरफ टैक्सेशन की तरफ कदम उठाना चाहते हैं और तृतीय पंच वर्षीय योजना में तीन करोड़ वसूल करना चाहते हैं पर इन्डाइरेक्ट । टैक्सेशन के मुतल्लिक जिस प्रकार एक माननीय पूर्व वक्ता ने निवेदन किया था हमें पूरी सर्वे करनी चाहिये कि सेल्स टैक्स में, कई मदों में, दूसरे इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ हैं उनसे किस किस प्रकार के कन्ज्यूमर्स पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है । इसकी सर्वे करने की, स्टडी करने की आवश्यकता है । यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट देकर या और तरीकों से वह सर्वे कराई जाय यह स्टडी बहुत आवश्यक है और उस स्टडी के आधार पर टैक्सेशन को आगे बढ़ायें । क्योंकि वास्तव में टैक्सेशन खजाने का रुपया बढ़ाने के लिए नहीं, खजाने में रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं, वास्तव में टैक्सेशन के पीछे हमारा मूल लक्ष्य योजना को आगे बढ़ाना है । इस टैक्सेशन से खास तौर पर ऐसी अच्छी आर्थिक धाराएं, आमदनी के रिसोर्सेज स्थापित कर देना चाहते हैं कि जिससे हमारा इकॉनोमिक प्रोसेस ऐसा बन जाय कि हमारी आर्थिक समृद्धि हमेशा के लिए सुचारू रूप से बढ़ जाये ।

हमारे यहां के आंकड़ों से पहली पंच वर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया है वह ७ प्रतिशत आगे बढ़ा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ११ प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान ५४-५५ की कॉन्स्टेन्ट प्राइसेज से लगाया गया । अब हम २५ प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें एक तो २० करोड़ के टैक्सेज़ लगेंगे, १३ प्रतिशत अनुमानिक करना चाहिये । एक ईस्टर्न इकॉनोमिक मैगजीन ने एक फलावट लगाई है कि १९५६ से १९६० तक प्राइसेज ५ प्रतिशत बढ़ी हैं । उसके आधार पर अनुमानित कर लें तो साधारण स्थिति में आगे भी ५ प्रतिशत कीमतों का बढ़ना अस्वाभाविक नहीं होगा । तो इस दृष्टि से ११ प्रतिशत आय में बढ़ोतरी हमारी दृष्टि में रखते हैं तो १८ प्रतिशत २० करोड़ के टैक्सेज का और साथ ही बढ़ती हुई प्राइसेज़ का डिस्काउन्ट निकालना होगा इससे वास्तविक स्थिति हमारे सामने आ जाती है, वह बड़ी चिन्ताजनक हो जाती है । इससे हमारे यहां की प्रति व्यक्ति आय ७ पर्सेन्ट कम हो जायगी ।

अभी एक माननीय पूर्व वक्ता ने जिक्र किया था और ऑल इन्डिया के फीगर्स देकर उनके आधार पर बताया कि अभी हमारे यहां २ करोड़ के टैक्सेज़ लगाने की गुंजाइश है, दो करोड़ के टैक्सेज़ लगाने चाहिये, हमने १.५० (डेढ़) करोड़ के टैक्सेज़ लगाये हैं । पर मैं उचित समझता हूँ कि यह कह कर टैक्स लगाया जाय कि यह हमारी निर्धारित मान्यता है कि इतने टैक्स लगाने चाहिये तो यह अन्धा न्याय हो जायेगा । हमें पहले इस बात की सर्वे करनी चाहिये कि किस टैक्स से किसका प्रोडक्शन बढ़ता है और उसका किस प्रकार के कन्ज्यूमर्स पर असर पड़ता है । हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, फॉरिन एक्सचेन्ज, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मद्दे नजर रखना है, इसके साथ ही सोचना है कि आज जो टैक्स

(राव श्री नारायणसिंह)

लगायेंगे उससे अन्ततोगत्वा सारी इकॉनोमी की धारा बनेगी, वह कैसी बनेगी। इस भूमिका से टैक्स लगाते हैं तो ठीक करते हैं। पर केवल परम्परा से प्रोफिट के लिए इस ओर प्रवृत्त हो जाय कि इतने टैक्स लगाने चाहिये तो वह अन्ध प्रवृत्ति हो जाती है। इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ का छोटी इन्कम वाले लोग हैं उन पर ज्यादा भयंकर असर पड़ता है।

जो रिसोर्सेज़ की बात कही उस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में आज हमारे सामने आर्थिक साधन पूरी तरह स्पष्ट करने का एक बड़ा मसला है। इस विषय में इस वित्तीय भाषण में कहा गया था कि कुछ तो किफायत की और फिर २३.९२ लाख तक की किफायत कर ली जायगी और कहा गया कुछ स्टेट अन्डरटेकिंग्ज हैं उनसे भी आमदनी होगी, स्टेट ट्रान्सपोर्ट से आमदनी होगी और कुछ स्टेट एन्टरप्राइजेज की तरह से चल रहे हैं उनकी चर्चा की गई। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनमें काम करने वालों में आम तौर से यह भावना है कि यह राज्य का माल है, यों ही चलता है, चाहे जिस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। यह पर्सनल टच की कमी आती है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी अन्डरटेकिंग्स लाभप्रद हों, इसके बारे में हमें सोचना होगा। हमारे स्पेशल अन्डरटेकिंग्स हैं उनको अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। इनकी जांच के लिये एक आयोग मुकर्रर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

२३.९२ लाख की किफायत बताई है, और कमीशनरों के ओहदों को तोड़ा है, पंचायत प्रसार अधिकारी हटाये गये हैं और डिपार्टमेंट्स में पदों की कमी करके किफायत बताई गई है। इसका मैं स्वागत करता हूँ, पर इसके साथ ही साथ हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सरल प्रशासन की धारा आज चल रही है, कहीं उसकी कार्यक्षमता में कमी नहीं आ जाय।

बजट के आंकड़ों को नीचा लाने की दृष्टि से तोड़–मरोड़ कर दें, इससे हमें बचने की आवश्यकता है। कमिश्नर्स की बात आई तो वह ठीक है, पर इसके साथ ही साथ इसका ऑल्टर्नेटिव होगा, उसको सोचना पड़ेगा। और कई दूसरी दिशाओं में जहां हम प्रगति का कदम उठाते हैं वहां यह भी मसला खड़ा हो सकता है कि जो आज तक सर्विसेज में लोग लगे थे, किसी प्रकार से थे चाहे पर्मानेन्ट थे या नहीं थे जो कुछ थे उन पर आघात पड़ा तो उनको रीहेबिलिटेशन के लिये क्या करने वाले हैं। आज हम कल्याणकारी राज्य कायम करने की परिस्थिति में हैं। तो इस प्रकार के कई छोटे धन्धे छोटे होंगे जिन पर आघात पहुँच सकता है।

अभी माननीय पी० के० चौधरी ने एक सिद्धान्त बताया था कि हम जब एक डिपार्टमेंट को खड़ा करते हैं और अधिकारी को बैठाते हैं तो वह अधिकारी ऐसा प्रभारी बन जाता है कि उसका ध्येय और भी बड़े लोगों को बढ़ाने का होता है और वह उसका इतना बड़ा प्रसार करता है कि जिससे न केवल वही बढ़ता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन दूसरों के लिये भी वह आगे से आगे सिफारिशें करता जाता है जिससे चैन की कड़ी एक दूसरे से लगी रहनी चाहिये। उस विभाग को बढ़ाने की तरफ उसकी प्रवृत्ति अधिक रहती है।

(श्री नारायणसिंह)

इसलिये इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा कि जिस समय हम किसी नये विभाग को खड़ा करें तो उसके लिये यह देखना जरूरी होगा कि आया उस नये विभाग को खड़ा करने की वाकई कोई आवश्यकता है या नहीं।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योगों की प्रगति की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। उद्योगों में हमने जो कुछ प्रगति की है उसमें लोगों का यह कहना है कि अभी तक यह बच्चा है, यह १० साल का बच्चा है। इस विषय में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ मगर फिर भी कहूँगा कि हमारे पास इकोनोमिक सर्वे नहीं इसलिये हमारे उद्योगों की तरफ हमारी प्रवृत्ति जाती है वह उसी प्रकार की होती है जो एक साधारण ले मैन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से होती है कि फलां जगह पर फलां प्रकार की इन्डस्ट्री हो जावे और फलां स्थान पर फलां प्रकार की इन्डस्ट्री का प्रसार हो जाना चाहिये। मगर यह नहीं सोचते कि जहां पर इन्डस्ट्री खोली जावेगी उसके लिये रा मैटीरियल की क्या पोजिशन है, उसको रॉ मैटीरियल कहां से उपलब्ध होगा, इसके अलावा उसके लिये मार्केट की क्या पोजिशन है? इस प्रकार की भूमिका नहीं होने से जो भी लघु उद्योग शुरू होते हैं वे चाहे कोऑपरेटिव सोसोइटीज़ के मारफत हों, चाहे कोई भी व्यक्ति लोन या सब्सिडी लेकर करे, मगर वे थोड़े से आगे बढ़ कर कुछ ही समय में घाटे की स्थिति में चल कर समाप्त हो जाते हैं। इसलिये मैं इन बातों का उल्लेख करूं, इससे पहले मुझे वित्तीय उल्लेख में सब से बड़ी कमी मालूम पड़ी, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और वह यह है कि बजट को देखने से यह मालूम नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर के लिये सरकार ने क्या रखा है और उसका उपयोग किस तरह से होगा, इसका कोई स्पष्टीकरण हमारे सामने नहीं आता है। जिस प्रकार सेन्टर ने इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट विचार हमारे सामने रखा है कि प्राइवेट सेक्टर के लिये क्या होगा, लेकिन हमारे यहां साफ तौर से उद्घरित नहीं किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर से कितना सहयोग लेंगे और प्राइवेट सेक्टर का किस प्रकार से विस्तार होगा।

राज्य के प्रशासन के बारे में भी काफी चर्चा हो चुकी है। दूसरे मंत्रियों के साथ साथ हम वित्त मन्त्रीजी को भी इसमें जोड़ते हैं क्योंकि वे भी शासन सम्बन्धी कानूनों के लिए पैसा वसूल करते हैं, इसलिये उनका सम्बन्ध भी प्रशासन से है। उनको इसके बारे में उल्लेख करना चाहिये था, मगर कोई उल्लेख नहीं। यह एक बहुत महत्व का प्रश्न है। इससे कुछ सदन को अधिक जानकारी होती कि वास्तव में स्टेट अन्डर्टेकिंग्ज़ का क्या स्वरूप बन रहा है और चल रहा है।

अब मैं छोटे उद्योगों की बात करूं तो यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आज छोटे २ उद्योगों को स्थापित करना बहुत जरूरी है और इसकी जरूरत को योजना आयोग ने भी मान लिया है। इससे गांवों में काफी कार्य हो सकेगा और गांवों में फैली हुई बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है, लेकिन इसमें विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि हमें छोटे २ उद्योगों का फैलाव करना चाहिये, उनका विकेन्द्रीकरण करना चाहिये और वह भी करें तो इकोनोमिक स्टडी के आधार पर उनको ऐसे स्थानों पर रखा जावे, उनका

Page No.82

(श्री नारायणसिंह)

कार्य क्षेत्र ऐसा हो कि जहां उनका संघर्ष किसी बड़े उद्योग से न हो जिससे उनको उस बड़े उद्योग के संघर्ष में न आना पड़े और खत्म होना पड़े। कई बड़े बड़े देशों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है और खास कर जापान में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनका क्षेत्र ऐसे स्थानों पर हो जहां बड़े उद्योग न हों। बड़े उत्पादन के लिये अलग क्षेत्र रखे जाते हैं और छोटे उद्योगों के लिए दूसरा क्षेत्र बनाया जाता है। इस प्रकार दोनों के लिये अलग अलग क्षेत्र होते हैं और छोटे छोटे उद्योगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। इस ओर हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं सोचा मालूम पड़ता है।

(३.१५ म० प०)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

इसके साथ ही साथ छोटे २ उद्योग जहां भी हों उनके लिये हमारी यही प्रवृत्ति हो और होनी भी चाहिये कि सहकारिता के आधार पर बढ़ें। वे सब वहां की स्थानीय सहकारिता के हाथ में होने चाहिये। जहां तक हो सके सहकारिता के द्वारा ही बढ़ाया जावे, किसी इनडिविजुअल को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पंचायतें हों वहां पर पंचों की सहायता से उनको साथ में लेकर और कुछ ऐसे उद्योगों में सहकारिता के रूप में सहायता दे कर कार्य कराना चाहिये ताकि वे भी साधन सम्पन्न हो सकें।

उद्योग के बारे में अभी जो एक बात हमारे सामने आई वह विशेष प्रकार से चुभती है। मैं निवेदन करूंगा कि उद्योग के लिये कुछ बुनियादी चीजों पर कन्ट्रोल की व्यवस्था है वहां हमने देखा कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जिससे उन उद्योगों को जो बुनियादी चीजें मिलनी चाहिये वे समय पर नहीं मिलती हैं। अभी अभी कोल कन्ट्रोल की बात सारे देश में खड़ी है और कोल कन्ट्रोल के बारे में व्यवस्था में ऐसी ढिलाई ध्यान में आती है कि जिसके कारण कोल के व्यापारियों को समय पर परमिट नहीं मिलते और चूंकि समय पर परमिट नहीं मिलते इसलिये वेगन्स की दिक्कत आती है और कोयले के अभाव के कारण काम को रोकना पड़ता है। इन्डस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में भी कोयले की कमी के कारण काम रोकना पड़ता है और इससे सारे देश के उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिये आज ऐसी बुनियादी चीजों में यदि प्रशासनिक ढिलाई नजर में आवे तो उसको तुरन्त से तुरन्त हल करने की जरूरत है। कोयलों को प्राप्त करने के लिये किस प्रकार की ऐजेन्सी हो, किस प्रकार से दूसरे एजेन्ट को वह सप्लाई करता है; इन सभी बातों का विश्लेषण करना चाहिये।

कोयले के साथ साथ बारदाना, सीमेन्ट आदि ये बुनियादी ऐसी चीजे हैं जिनके आधार पर इन्डस्ट्रीज़ के चलने और उत्पादन का सारा काम स्थित है। तो अगर उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई आती है तो अनजाने में ही जो एसेन्शियल प्रोडक्शन है, या प्रोडक्शन का मूल बिन्दु है उस पर ही एक प्रकार से आघात कर जाते हैं।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट हमारे यहां कई जगह

(राव श्री नारायणसिंह)

हुए हैं और इस विषय में भी काफी प्रगति चल रही है। सदन में भी काफी उनकी चर्चा चलती है और यह मानी हुई बात है कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट की जिस प्रकार की धारा चलनी चाहिये और संतोषप्रद होनी चाहिये उतनी नहीं हो पायी। ए. आई. सी. सी के इकोनोमिक रिव्यू में श्री एस. बी. सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है और हमारे यहां भी माननीय सदस्य इसका उल्लेख करते आये हैं :

"(a) Delay in allotment of Funds,

(b) Procedural dealy in acquiring land,

(c) Lack of any ready made plans which could be copied,

(d) Over-worked P. W. Ds.,

Which could not undertake the work speedily even after the land was acquired and plans and estimates were settled, and

Over-all shortage of contractors to undertake the building work."

इसके साथ साथ जो पॉवर अवेलेबिलिटी की समस्या है वह तो है ही। मैं इस विषय में चर्चा पहले ही कर चुका हूँ कि पूरे पॉवर की सप्लाई होने की मूल आवश्यकता है। हम छोटे उद्योगों की उन्नति करना चाहते हैं, बड़े उद्योगों को भी उन्नत करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में भी यदि उन्नति लाना चाहते हैं तो इन तीनों क्षेत्रों में, छोटे उद्योगों में, बड़े उद्योगों में और कृषि में, बिजली की जो आज बुनियादी व्यवस्था है वह संतोषप्रद नहीं है और हमारे पास वे आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं कि सारे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जनता के ग्रामीण उद्योगों के लिए, अथवा नगर की आवश्यकता के लिए, नगर के उद्योगों की आवश्यकता के लिए, बड़े छोटे उद्योगों के लिए या कृषि-साधनों के लिए मोटर पम्प इत्यादि के लिए, इतनी सारी बिजली की आवश्यकता की व्यवस्था राज्य में हो सकती है। इसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। चम्बल योजना और भाखरा योजना से साढ़े सात सौ हजार किलोवाट से अधिक बिजली का उत्पादन करेंगे और दूसरे दूसरे साधनों से भी बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति की जावेगी। फिर भी क्षति कितनी रही है, इसका तो अनुमान करना जरूरी है और यदि इसके लिए बेसिक सर्वे न हो तो इसका बराबर तरीके से नियोजन नहीं कर सकते और हमारी प्राथमिकता की ओर दृष्टि भी नहीं जा सकती। पहली आवश्यकता कहां है और दूसरी आवश्यकता कहां है ? इनसे शायद हम कुछ इन्डस्ट्रीज़ को पॉवर दे देंगे और कुछ जगहों पर पॉवर की कमी दूर कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्थान रह जावेंगे जहां पॉवर की उपलब्धी न होने के कारण उद्योग और उत्पादन में कमी आ सकती है।

मैंने अभी इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में जिक्र किया और इसके बाद अन्ततोगत्वा मिलें हैं, कोटन टैक्स्टाइल मिल्स इत्यादि हैं, राजस्थान में कई स्थानों में जो बन्द हैं उनका भी उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता।

आज हमें सबसे प्रथम खाना और कपड़े की पूर्ति करना है। टैक्स्टाइल इन्डस्ट्रीज़ के

(राव श्री नारायणसिंह)

जरिये से हम कपड़े की पूर्ति करेंगे, और भी कई आवश्यक इन्डस्ट्रीज़ हैं। यदि इन इन्डस्ट्रीज़ की स्थिति को देखें तो किन्हीं कारणों से, चाहे लेबर लॉज़ की उलझनों से या इन्डस्ट्रियल पोलिसी की उलझनों से कई स्थानों पर मिलें बन्द हो जाती हैं तो हम एक बुनियादी वस्तु के लिए जो उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिये अथवा जितना उत्पादन बढ़ना चाहिये उसकी कमी के जिम्मेदार होते हैं। फुल केपेसिटी वर्किंग नहीं होता है और जितने गज कपड़े का अधिक उत्पादन करना चाहिये उस आवश्यकता से भी कमी रह सकती है। इन विषयों में कई प्रकार के स्टेटिस्टिक्स की कमी है और कई प्रकार से कानून की भी कमी है। लेकिन अभी अभी राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग बिल सदन में आया था, मैं उसकी ताईद और तारीफ करूंगा। लेकिन यद्यपि कुछ भावुक माननीय सदस्यों ने इस बिल पर काफी एतराज़ उठाया कि इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉयमैन्ट स्टेन्डिंग ऑर्डर्स एक्ट, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, राजस्थान शोप्स एन्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमैन्ट एक्ट, इस अर्से के लिए किसी इन्डस्ट्री को स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो लागू नहीं होंगे। उन्होंने यह भावुकता तो जाहिर की। लेकिन यदि चिकनी रोटी मजदूरों को नहीं दे सकते तो कम से कम रूखी रोटी तो दे सकते हैं। बिल्कुल ही न मिले और मजदूर बेकार हों और उलझनें बढ़ें उससे कुछ सरकार देकर उस मिल की इन्डस्ट्री को खड़ा तो करे। विजयनगर मिल का ज्वलन्त प्रमाण है कि बावजूद सरकार के, लेबर लीडर्स की हर कोशिश होने पर भी जो पूंजीपति उस विजयनगर मिल को चलाने वाला है, उसने उस मिल को ठप्प करके, बन्द करके छोड़ दिया और सरकार के पास कोई कानूनी यंत्र नहीं था कि उस मिल को चालू रख पाती। उस मिल मालिक ने काफी कर्जा कर लिया था। मिनिमम वेजेज़ और कई प्रकार के झगड़े थे और कई क्रेडिटर्स का उस पर भार भी था और मशीनरी तो वास्तव में बिल्कुल ही ऐसी पुरानी मशीनरी थी कि कोई यदि उस मिल को लेकर चलाये, न तो लेबर के लिए वर्किंग कन्डीशन्स की व्यवस्था हो सकती थी और न उत्पादन ही बढ़ सकता था। ऐसी स्थिति में कौन कर्ज का जिम्मेदार होगा, कौन लाइबिलिटी साफ करने का जिम्मेदार होगा और किस यन्त्र से सरकार उनके बीच में आये, यह एक बड़ी समस्या थी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए यदि राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्स बिल आता है तो उससे कुछ सुधार अवश्य होगा और मैं कहूँगा कि इससे मिनिमम वेजेज़ पर जरूर विचार किया जाना चाहिये कि यदि हम मिनिमम वेजेज़ की शर्तें प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स पर रखते हैं तो उस सिद्धान्त को स्वयं को लेना चहिये। कहीं ऐसी स्थिति हो कि उस मिल का सारा ढांचा सरकार को उठाना पड़े तथा और भी कई दिक्कतों को उठाना पड़े। इस बिल में इस बात का उल्लेख आया है कि चार-पांच साल के लिए किसी इन्डस्ट्री को सरकार ले ले तो उस दौरान में किसी का कर्जा हुआ तो उसको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुर्कियां इत्यादि नहीं आवेंगी, उस समय तक वे ठहर सकेंगे, जब तक कि मिल अथवा इन्डस्ट्री चालू होकर उत्पादन की स्थिति में न आ जाय। इसके उत्पादन को बढ़ाने के

(राव श्री नारायणसिंह)

लिए सरकार कोशिश करेगी । यद्यपि कुछ त्रुटियां इस बिल में रह जाती हैं लेकिन फिर भी यह बिल सामयिक है और इन्डस्ट्री के प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए यह बिल आया है, यह मैं अवश्य कहूँगा ।

इसके बाद में कुछ सोश्यल सर्विसेज़ के बारे में अर्ज करूंगा और वह है खास तौर से शिक्षा के बारे में । हमारे यहां शिक्षा का प्रसार जिस तरह से हो रहा है उसमें दो उलझनें सामने आती हैं । एक तो हम यह चाहते हैं कि ११ से १४ साल एज ग्रुप के लिये अनिवार्य शिक्षा सारे राज्य में कर दें । यह एक प्रकार का तकाजा है और संवैधानिक तकाजा है । दूसरी तरफ यह भी चाहते हैं कि टैकनिकल पर्सोनल्स ज्यादा हों । इन दोनों उलझनों में हम किसको प्राथमिकता दें इस प्रकार से यह उलझन सबसे बड़ी उलझन बन जाती है । हमने जो शुरु में तृतीय योजना का स्वरूप सोचा था उससे कुल ३२५ करोड़ का कुल योजना का स्वरूप बनता था और उसके बाद में अब २०५ करोड़ की सारी राशि निर्धारित हुई ऐसा बनता जा रहा है, उस भूमिका में ३२५ करोड़ रुपये की जो योजना थी, ४७.५ करोड़ का कुल अलॉटमेंट था उसमें से २५.० करोड़ से नयी स्कूलें खोलने की बात रखी गई थी । लेकिन आज जब सारी योजना जो कि २०५ करोड़ पर आ रही है उसमें से ४७.५ करोड़ इस भूमिका में कहा जायगा अनिवार्य शिक्षा पर अगर हम इसी अनिवार्य शिक्षा की योजना में उलझे रह जायेंगे तो हम तकनीकी शिक्षा की तरफ किस प्रकार कदम उठा सकते हैं । मैं समझता हूँ, अनिवार्य शिक्षा की तरफ प्रवृत्त हो जाना अन्ध न्याय और एक प्रकार से लकीर की फकीरी है । जो अनिवार्य शिक्षा पर पहले ४७.५ करोड़ रुपये की राशि रखी गई उसमें से २० करोड़ से भी अधिक रकम बुनियादी शिक्षा के लिये रखी जायगी । अब इसके उपरान्त बहुत सी विभागीय सूचनायें इस प्रकार की हैं कि शत प्रतिशत लड़के लड़कियां स्कूलों में नहीं आ सकेंगे और न उतनी स्कूलें ही बन सकेंगी और दूसरे कारण तो अलग रहने दीजिये । फिज़िकल दृष्टिकोण से ही हम देखें जब कि उतनी स्कूलें नहीं होंगी जिससे ६ से ११ साल तक के लड़के लड़कियां उसमें आ जायें तो वैसी हालत में हमें इस तरफ के कदम की तेजी को हल्का कर देते हैं वस्तुस्थिति को देखते हुए और तकनीको शिक्षा की तरफ उतनी ही रुचि बढ़ायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अब मैं अन्ततोगत्वा अजमेर के प्लान के विषय में निवेदन करना चाहूँगा....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : You will not leave more time for others.

श्री सभापति : Yes. Already taken sufficient time.

राव श्रीनारायणसिंह (जारी) : मैं अब थोड़ा सा अजमेर योजना के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ । अजमेर योजना की प्रगति को हम देखें तो जहां छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये ५५. ३० लाख की जो राशि रखी गई थी उसमें से केवल तीस परसेन्ट ही खर्च कर पाये हैं । एग्रीकल्चर में काफी हो गया है । कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज

(राव श्री नारायणसिंह)

की ओर हमारा नगण्य कदम रहा है, एनिमल हस्बेन्ड्री में पचास प्रतिशत फोरेस्ट एन्ड सोइल कन्ज़र्वेशन में ठीक खर्च हुआ है, सिटी ब्लॉक्स में आवश्यकता से अधिक मिल गया है, २८ की जगह ५८ लाख की राशि खर्च हो चुकी है। मेजर और माइनर वर्क्स में १६ पर्सेन्ट का खर्च हुआ है। पॉवर में ६६.५१ रखा गया था वहां केवल ४.४१ लाख ही खर्च हुए हैं, यह केवल पांच पर्सेन्ट आता है। इसमें दिक्कत यह आती है कि अजमेर के बिजली घर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी तक वह मामला वहां चल रहा है, हमें इसको त्वरित गति से तय करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिये। अजमेर की योजना पर जहां दूसरी योजना ७८७ लाख रखी गई थी उसमें से ४५.२ लाख से ऊपर खर्च हुआ है यानी ६२ प्रतिशत आंकड़े आते हैं। इस दृष्टि से अजमेर की प्रगति में एक प्रकार से बाधा सी नजर आती है। इस विषय में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी का जो प्रस्ताव है वह अन्ततोगत्वा पढ़ देता हूँ।

"जिले की तृतीय पंच वर्षीय योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि व्यय प्रतिशत आबादी के अनुपात से निश्चित हो। इस जिले के अन्दर वह नहीं रहा।"

यह प्रस्ताव किया गया है। मैं समझता हूँ, जिस प्रकार का टेम्पो डेवलपमेन्ट कार्य के अन्दर वहां बना है उसको यदि कम कर देते हैं तो वास्तविक टेम्पो वहां रह नहीं सकता, इसका असर इस क्षेत्र पर ज्यादा पड़ सकता है। अजमेर क्षेत्र के लिये दूसरी योजना में काफी अधिक मिला है और उससे जो कुछ टेम्पो बना है, अजमेर को अधिक मिल गया हो, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिये; लेकिन जिससे जो एक प्रकार का टेम्पो यहां का बन गया हमारा लक्ष्य तो यह नहीं होना चाहिये कि जो टेम्पो एक स्थान पर बन गया है उसको पिछड़ायें, दूसरे स्थानों को भी उसके बराबर दिया जा सकता है; हमारा यह लक्ष्य जरूर होना चाहिये। लेकिन एक विशेष स्थान पर जो एक प्रकार का टेम्पो बन गया है उस पर किसी प्रकार का आघात न पहुंचावें। इससे मानसिक असर हो सकता है जनता पर, जिससे वहां के विकास कार्यों के प्रति जो उत्साह होना चाहिये वह फीका पड़ जायगा। इन शब्दों के साथ मैं यह मानता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय ने इस बार काफी विश्लेषणात्मक बजट प्रस्तुत किया है वह केवल विश्लेषणात्मक ही रहेगा जब तक आर्थिक प्रगति के जो भीतरी तत्व हैं उनकी तरफ पूरा पूरा ध्यान नहीं दिया गया, इससे केवल आंकड़ों में ही प्रगति हो जायेगी; दूसरे फिज़िकल टार्गेट्स की तरफ हम प्रगति नहीं कर पायेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया है वह ट्रान्ज़ीशनल पीरियड के अन्दर प्रस्तुत करने का मौका मिला है। ट्रान्ज़ीशनल पीरियड इसलिये कि यह दो मौकों के बीच का समय है। इस पर मुझे यह अर्ज करना है इस वक्त दूसरी पंच वर्षीय योजना व इधर तो तीसरी के बीच का समय है और इसके साथ साथ दूसरा सवाल यह भी आ रहा है कि असेम्बली के समय के पांच वर्ष भी समाप्त होने आ रहे हैं। नये चुनाव हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे मौके पर जो यह बजट पेश

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

हो रहा है यह इसकी थोड़ी महत्वता है । इस बजट भाषण को जिस सुन्दर व साहित्यिक भाषा में प्रस्तुत किया है उसके लिये वित्त मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं । इसके साथ साथ जो कमिश्नर्स आदि की पोस्ट्स कम करके और भी प्रशासन व्यय में कमी करने का जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह भी स्तुत्य है । लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इस समय जब देश की जनता बड़ी विकट परिस्थिति के अन्दर से गुजर रही है व बड़े मंहगाई के काल में से गुजर रही है, वैसी हालत में जहां नये नये टैक्स लगाये जा रहे हैं यह एक विचारणीय प्रश्न जरूर है । मैं यह निवेदन करूंगा कि आज पहले से ही इतने ज्यादा टैक्स बढ़ गये जिसके मुकाबले में जनता क्रन्दन कर रही है और यदि इसी प्रकार से टैक्सेज़ बढ़ते गये तो ताज्जुब नहीं कि जिस प्रकार ऊंट पर जो आखिरी स्ट्रॉ घास का होता है वह उसकी कमर तोड़ने के लिये काफी होता है, कहीं इस प्रकार का प्रश्न यहां न बन जाय ।

यह कोई बात नहीं है नई । राजस्थान में ही नहीं, भारत में भी ऐसे मौके आ गये हैं जैसे नेशनल कैलेमिटी आदि के, तो औरतों तक ने अपने जेवर और अन्य चीजें और सौभाग्य के जेवर तक देकर ऐसी कैलेमिटी का मुकाबला करने की तैयारी की है । यह कोई नवीन बात नहीं है । जनता ऐसे मौकों पर तत्पर रही है । पर आज जनता की गाढ़ी कमाई से जितना वसूल किया जाता है उसका पचास प्रतिशत भी सदुपयोग में नहीं आता है । इसका दुःख है । यह भुलाये जाने की चीज नहीं है। ऐसी स्थिति में दो बार विचार करने की जरूरत है कि हम कैसे टैक्स पेयर्स पर बराबर टैक्स लादते जावें और इसके साथ जैसे बहुत सी आम चीजें हैं जैसे सॉल्ट वगैरह है जिन पर हमारे वन्दनीय बापू ने भी जिस समय गुजरात में मौका पड़ा तो उन्होंने एक बड़ी जबर्दस्त शक्ति का मुकाबला किया था । इन्हीं बातों के लिये अमेरिका में यही सॉल्ट टैक्स का मौका पड़ा था उसके दूसरे साल बैंकर्स हिल के युद्ध के ऊपर उनको खत्म होना पड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर समुद्र पार जाना पड़ा । तो ऐसी चीजों के लिये सरकार को सोच कर चलना चाहिये और ज्यादा गुमान भी नहीं करना चाहिये ।

मैं एक बात अवश्य निवेदन करूंगा । और विषयों में तो हमारे दूसरे माननीय सदस्य काफी कह चुके हैं ।

शिक्षा के ऊपर भी काफी सरकार खर्च कर रही है यह अलबत्ता स्तुत्य है । पर इसके कितने अंश का सदुपयोग होता है निर्धारित समय में, उसके तारतम्य में मैं नहीं जाना चाहता । मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, जैसे एक यूनीवर्सिटी यहां मौजूद है और हमारे यहां इन कन्टेम्प्लेशन का सवाल पैदा हो रहा है कि दूसरी यूनीवर्सिटी शीघ्रातिशीघ्र स्थापित की जावे । इसका सवाल आगे आ रहा है । पहले मेरे ख्याल में माननीय सदस्य भीमसेनजी के प्रश्न पर यह सवाल आया था कि उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी स्थापित हो रही है । मुझे इस बारे में खास तौर पर कुछ कहना नहीं है । मैं एक बात के वास्ते राजस्थान गवर्नमेंट का थोड़ा सा इन्डेटेड

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

भी हो सकता हूँ । शकटार महापद्म नन्द के मन्त्री ने बराबर एक मुट्ठी भर सत्तू कैद में खाकर अपने आपको जिलाये रक्खा और वर्षों तक जीया व भयंकर बदला लिया, तो इसी प्रकार जीओ और जीने दो, लिव एण्ड लेट लिव की पॉलिसी अख्तियार करके हमारे जोबनेर कॉलेज को भी किसी तरह चलाये रक्खा; लेकिन अब प्रश्न यह आता है और मैं पूछूं तो भी किससे पूछूं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : हरिभाऊजी से पूछिये न ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उनसे तो क्या पूछूं ? या तो कृषि मन्त्री महोदय से पूछता या माननीय चीफ मन्त्री महोदय से पूछता । ये दोनों ही यहां उपस्थित नहीं हैं । ये दोनों ही मेरे इस छोटे से विषय की जो पहेली सी है, शायद इसका जवाब दे सकें ।

श्री चन्दनमल वैद : आपका छोटा विषय कैसे ? आप तो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह : नहीं, ऐसी बात नहीं हैं । जब युनीवर्सिटी हो जावेगी तो मैं जानना चाहूँगा कि जोबनेर की क्या पोज़ीशन होगी ? एक समय वह था जिस समय कहा गया था कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज के सिवाय दूसरे की आवश्यकता नहीं है इस समय । पर एक अजमेर में तीसरा स्थापित हुआ हैं, इसके अतिरिक्त स्वामी केशवानन्द जी ने सांगरिया के अन्दर भी एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित कर लिया है, तो आज ४ स्थापित हो गये हैं। तो यह तो हो गया कि अब मेरा जोबनेर का कृषि कॉलेज मरेगा नहीं और मरेगा तो तीन को साथ लेकर खत्म होगा । यह हमारे विचारों में नहीं उठता है, अगर एक-दो इसमें और भी हो जावें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं ।

ऐसी परिस्थिति में जब यह निवेदन करूंगा कि वह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी तो उसके तत्वावधान में जोबनेर का एग्रीकल्चर कॉलेज विचारा किस स्थिति में होगा ? तो वह पुराना एग्रीकल्चर कॉलेज १२ वर्ष की उम्र का मेरा और यह ६ वर्ष का एग्रीकल्चर कॉलेज उदयपुर का शायद जैसा....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : ६ वर्ष वाले की ज्यादा सम्भाल की जरूरत है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वित्त मन्त्री ने जैसी सुन्दर सिमिलेरिटी व सिमिली दी थी कि जो बच्चा गवर्नमेंट को दस–ग्यारह वर्ष की उम्र का है उसके वास्ते सभी प्रकार की खाने–पीने की व्यवस्था होनी चाहिये । पर उससे दुगुनी उम्र का बड़ा मेरा जोबनेर का एग्रीकल्चर कॉलेज का बच्चा है । पर यह बात सोचने की अवश्य है कि वह बच्चा दूसरी मां का है, जिसकी मां मर चुकी है, विमाता का है, सो थोड़ा सा इसमें यह फर्क है । जो कॉलेज अभी स्थापित हुए हैं वे तो ज्यादा पावेंगे क्योंकि वे तो यूनीवर्सिटी से सम्बन्धित रहेंगे, राजस्थान यूनीवर्सिटी से और मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज है वह अगर सरकार की चालाकियों में लाना पड़ा तो मुझको डर है कि वह इन्स्टीट्यूशन है, व मुझे डर है कि उदयपुर यूनीवर्सिटी के तत्वावधान

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

में रह कर कहीं सूख न जावे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको महरबानी करके जैसे और इन्स्टीट्यूशन्स हैं उसी प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में इसको रक्खा जावे। मुझे डर है समय कम है, दूसरे माननीय सदस्य उतावले हो रहे हैं । मैं इतना ही कहकर....

श्री चन्दनमल वैद : नहीं साहब, बिल्कुल उतावले नहीं हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह : उनका समय लेना नहीं चाहता। हां, तो इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरे ख्याल में वित्त मन्त्री महोदय, इसको थोड़ा गौर से सुनेंगे ।.. तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अब आखिर में तुलसीदासजी का एक कथन कह कर मैं मेरे इस वक्तव्य को खत्म करता हूँ । उन्होंने यह कहा था :

"जासु भरोसे सोइये
राख गोद में शीश
तुलसी वाहि कुचाल सों
रखवारो जगदीश ।"

श्री चन्दनमल वैद : मतलब क्या है इसका ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मतलब वे समझ लेंगे। बड़े साहित्यिक है वित्त मन्त्री महोदय ।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु०) : सभापति महोदय, हमारे सामने ३ करोड़ के घाटे का बजट पेश हुआ है। इस घाटे को पूरा करने के लिए काफी टैक्स लगाने की भी सरकार की योजना है। आज सारे भारत में ८० फी सदी लोग खेतिहर मजदूर हैं और २० फी सदी ऐसे लोग हैं कि जिनके पास न तो कोई धंधा है और न किसी प्रकार का कमाने-खाने के साधन ही हैं। केवल २० फी सदी लोग ऐसे हैं जो कि हर जगह कहीं न कहीं अच्छी सरकार चले तो उस सरकार में घुस जायें, कहीं अच्छी फैक्टरी चले तो उसमें घुस जायें और पूंजी भी न लगायें। पूंजी भी किसी और से लगवायें और टैक्स भी लगवा देते हैं और बिना कुछ करे-धरे अपना फायदा ले लेते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। ऐसे आदमी सब जगह पहुंच जाते हैं, जो बड़े चालाक लोग हैं। जिनको कुछ दर्द महसूस नहीं होता कि हम जो टैक्स लगा रहे हैं इसका सीधा असर किसके ऊपर जाकर पड़ेगा। चाहे सेल्स टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो या आबकारी टैक्स हो, इसका असर ८० फी सदी लोगों पर जाकर पड़ता है। यदि सरकार इन टैक्सों के लगाने से पहिले यह सोचती कि हमारा घाटा किस प्रकार पूरा होगा तब तो मैं समझता हूँ कि आज हमको यह घाटे का बजट पेश करने की नौबत नहीं आती। उद्योगों के नाम पर अगर ८० फी सदी लोगों को उत्पादन में साधन मिलते तब तो वह उत्पादन करते और हमारे प्रान्त की आमदनी को बढ़ाते, लेकिन चूंकि उद्योगों के नाम पर ऐसे लोगों को ऋण मिले जिन्होंने न तो उद्योग किया और न उत्पादन बढ़ाया और लोन को खा-पीकर पूरा किया और जब लोन जमा कराने की किश्त आती है तो मियाद पर मयाद बढ़ाते जाते हैं और गवर्नमेंट को

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

पैसा देने का नाम नहीं लेते। इस कारण उत्पादन भी नहीं बढ़ा। आंकड़ों में जरूर दिखा दिया जाता है कि इतना उत्पादन बढ़ा। कृषि में कोई उत्पादन नहीं बढ़ा। कृषि उत्पादन के नाम पर कितने बड़े बड़े कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं? और वह कृषि फार्म भी जो चलाये जा रहे हैं अगर उसकी लिस्ट को देखा जाये तो उसमें उनकी वाइफ मेम्बर है, छोरा मेम्बर है लेकिन कृषक कोई भी मेम्बर नहीं है। एक आदमी बड़ी बड़ी जमीन को अपने कब्जे में रखने के लिए अपनी बीबी को मेम्बर बना लेता है, अपने छोटे बच्चों को बना लेता है अपने भानजे को मेम्बर बना लेता है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : छोटे बच्चे को नहीं, होने वाले बच्चे को भी इस प्रकार सीलिंग से बचने के लिये धोखा दे रहे हैं....

श्री भैरवलाल कालाबादल : उत्पादन के नाम पर बड़े बड़े धोखे दिये जाते हैं और हमारी सरकार उनके षडयंत्र को देखती नहीं। जो मीठी मीठी बातें करते हैं सरकार उन्हीं के फेवर में निर्णय कर देती हैं, इसका असर गरीबों पर पड़ता है। उधर बड़े बड़े विभागों में काफी रुपयों का बजट रखते हैं, शिक्षा में काफी बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। लेकिन हर साल सैकड़ों लड़के फेल हो जाते हैं। तारीफ यह है कि टैक्स देने वालों के बच्चे फेल होते हैं। एक तरफ तो टैक्स देते हैं और पढ़ाई पर खर्चा करते हैं, घर में हालत भी खराब होती है और दूसरी साल लड़के फिर परेशान होते हैं, पैसा खर्च होता है, हर साल किताबें बदल जाती हैं और कभी समय पर किताबें नहीं मिलतीं और उधर लोन के रूप में दूसरे लोगों को काफी पैसा देते हैं। यदि सरकार यह देखे कि हमारे पैसे सही जगह लगें तो मैं समझता हूँ कि आज घाटे का बजट पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कृषक को साधन मिलते तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में इतना उत्पादन बढ़ता जिससे इतना टैक्स लगाने की नौबत ही नहीं आती। इसके अलावा गांव में जिन बोहरे लोगों के पास बीज हैं वे उस बीज को दुगुनी बाड़ी पर देते हैं और खुद कम बाडी पर बीज सरकार से ले लेते हैं और किसानों को सरकार से बीज नहीं मिलता। बीज के नाम पर यह भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान मारे-मारे फिरते हैं। जिसके ऊपर टैक्स लगता है वह टैक्स देने को तैयार है, लेकिन उसको सरकार के द्वारा सही लाभ नहीं मिलता है वह परेशान हैं। इधर किसान उत्पादन करता है, लेकिन किसानों को इतनी परेशानी पैदा हो गई कि जब हम आजाद नहीं हुए थे तो काफी आन्दोलन चलते थे। बेगार आन्दोलन चला था, जंगल की मुसीबतों को लेकर आन्दोलन चलते थे, लेकिन आज जंगल से इतनी परेशानी हो गई है कि गांवों के लोग कहते हैं कि जिस मंत्री ने फोरेस्ट का महकमा लिया है भगवान करे वह ५ साल तो मिनिस्टर रह जायें, लेकिन इसके बाद वह जीवन में कभी मिनिस्टर न रहें, यह बद्दुआ गांव वाले दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तो पंडितजी अभिन्न-हरिजी फोरेस्ट मिनिस्टर रहे, वे आज कहीं भी नहीं हैं, हमने उनसे जंगलों के बारे में काफी कहा लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की। उनके बाद में पं० बृजसुन्दर शर्मा जी आये

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जो बूंदी से हारे। हमारे पंडितजी सिरोंज गये और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत गया तो सोने का डांडा लगवा दिया जायेगा, पर फिर कभी बूंदी से सिरोंज नहीं गये। सिरोंज भी हमारे हाथ से निकल गया। वह मध्यप्रदेश में चले गये और अब कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में रहते तो सोने का डांडा लगता। बृजसुन्दर जी हट गए। अब उनके बाद में हमारे यादव साहब पधारे। यादव साहब की भी हालत देख लीजिए। किसानों की बद्दुआ लगी और वे भी चले गये। अब उनके बाद में सम्पतरामजी आ गये, उनको भी बद्दुआ लग जायेगी, वे भी आगे मिनिस्टर रहने वाले नहीं हैं।

तो सभापति महोदय, मैं काश्तकारों में घूमता हूँ, उनकी भावना ही कहता हूँ। मैं सम्पतरामजी को कई बार कहता हूँ तो कहते हैं मैंने नोट कर लिया है, लेकिन करते कभी भी नहीं हैं।

तो माननीय सभापति महोदय, जिस समय झालावाड़ महाराज यहां मिनिस्ट्री में आये और सुना कि वे फोरेस्ट मिनिस्टर होने वाले हैं तो मैंने एक चिट्ठी लिखी कि फोरेस्ट मत लेना, नहीं तो ५ साल में आपका भी चान्स खत्म हो जायेगा। फिर बाद में सुना कि दूसरे महकमे मिल रहे हैं तो इजाजत दे दी कि पधारो। मैं कहता हूँ कि समय रहते संभलो, अगर आगे आना है तो। क्योंकि अलवर में भी जंगल हैं, मगर उनके दिल से पूछो जो कि गांवों में जाते हैं। हमारे डिवीज़न में अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि हारे तो मैं समझूंगा कि जंगल की समस्या को लेकर ही हारेंगे और कोई कारण नहीं है। सरकार ने जो बजट बनाया, ठीक बनाया, कोई बात नहीं, क्योंकि इन दिनों में चुनाव भी लड़ना है, बहुत कुछ काम करना है। यदि हाड़ोती में कांग्रेस हारेगी तो केवल जंगल की समस्या को लेकर हारेगी। यह बात मैंने बताई, जो सही है।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि गांधीजी की योजना थी कि जिस समय हमारा राज्य होगा उस समय हम लोगों के चरित्र का निर्माण करेंगे। वैसे गांधीजी के जमाने में चरित्र अच्छा था लेकिन वे कहते थे कि चरित्र का निर्माण करेंगे, यह लम्बी योजना थी चरित्र निर्माण सम्बन्धी। मैं समझता हूँ यदि हिन्दुस्तान के बच्चे से,कर तो क्या यदि खून भी मांगते तो उसका विरोध नहीं होता और लोग खून देने को तैयार हो जाते। लेकिन हमने चरित्र का तो निर्माण नहीं किया, पर निर्माण किया भ्रष्टाचार का, निर्माण किया कुटुम्बवाद का, निर्माण किया जातिवाद का। उस समय एक सामन्तवाद के विरूद्ध नारा लगाते थे। लेकिन हमारे समय में चार प्रकार के वाद बन गये हैं। एक तो जागीरवाद या राजावाद था ही, दूसरा जातिवाद और तीसरे के बारे में मैं कहूँगा तो लोग नाराज हो जायेंगे लेकिन तीसरा है जाटवाद और कुछ दूसरी तरह के वाद हैं। इन कई गलत तरीकों से हमारी सरकार गिरती जा रही है और असफल होती जा रही है इन वादों की मंशा यह है कि किसी तरह से कांग्रेस की सरकार फैल हो। इसको ओर हमारे मंत्रीजी ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। जब कभी हारते नजर आते हैं तो जागीरदारों को अपने अन्दर मिला लेते हैं।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जब बुरे दिन आने लगते हैं तो कालाबादल बुरा बन जाता है और जागीरदार अच्छे बन जाते हैं। बुरे दिनों में दुश्मन भी उनके लिये अच्छे हो जाते हैं।

हमारी कांग्रेसी सरकार बड़ी मुश्किल से बनी है, हजारों लोगों ने बलिदान किया था उनके बल बूते पर बनी है। आपने और हमने कुछ भी त्याग नहीं किया है। लेकिन त्याग कर गये कोई और फायदा उठा रहे हैं हम लोग आज कस्तूरबा फंड के नाम पर, विनोबाजी के नाम पर कितने ही पंडे-पुजारी सर्वोदय के नाम पर भोग रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यह सर्वोदय नहीं है बल्कि यह सर्प उदय है, सांपो का उदय हो रहा है। सर्वोदय के नाम पर दूध पी रहे हैं।

एक जगह दा साहब भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि स्वर्ग में बैठे हुए गांधीजी कह रहे हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दा साहब क्या आप भूल गये कि शराब की बढ़ोतरी आपके जमाने में हो रही है ? गांधीजी ने शराब बंदी के लिये आन्दोलन किया था, दुकानों पर जाकर पिकेटिंग किया था, आन्दोलन चलाये थे और आज आप मिनिस्ट्री के पीछे दौड़ते हुए कह रहे हैं कि गांधीजी स्वर्ग में बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। उनसे पूछा जाय कि दासाहब सरकार में बैठने के कारण आपकी आत्मा क्या मुर्दा हो गई जो गांधीजी को आपके बीच में घसीट कर कहते हैं कि गांधीजी आशीर्वाद दे रहे हैं। आज ही मैंने सुना, अखबारों में पढ़ा है, मुरारजी भाई ने कहा कि शराब के नाम पर यदि आमदनी हो रही है तो वह आमदनी हमको नहीं चाहिये। ऐसी आमदनी जिसके लिये गांधीजी ने आन्दोलन किया था और पूज्य नेताओं ने उनका अनुसरण किया था और यह कहा था कि यदि राज्य हाथ में आ गया तो इन चीजों को हटा देंगे और हमारे दा साहब टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। पहले बढ़ाया तो शराबखोरी बढ़ी और अब टैक्स बढ़ाते हैं तो और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा पुराने जमाने में शराब की दुकानें गांव के बाहर होती थीं और आज आम बाजार में होती हैं। कोटा में तो गांधीजी की मंदिर के सामने है। आप इन दुकानों को भले ही दूसरी जगह लगालें, आपके दरवाजे पर लगा लें लेकिन गांधीजी के मंदिर के पास से तो हटा द। दा साहब ने कोटा में भाषण दिया था कि गांधीजी की आत्मा प्रसन्न हो रही है। अपनी सरकार है इसलिये मैंने ये बातें हाउस में कह दी हैं। दासाहब के आदर्शों पर मैं शुरू से चलने वाला हूँ, आज से नहीं। दा साहब और वर्मा साहब इनसे मेरा बरसों पहले से सम्बन्ध हैं, आज से नहीं सन् ३५-३६ से, जब ये निमाना जाया करते थे तब मैं भी इनके पास जाया करता था, इतना पुराना इनसे मेरा सम्बन्ध है। २४ साल पहले कालाबादल बुरा नजर नहीं आता था। मैं ये बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन १० महीनों का समय रह गया है, यदि समय रहते नहीं चेते और भेदभाव से काम किया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। मुझे मालूम है कि जब हमारा राज्य नहीं था तब यदि यह सुन लेते कि फलां राज्य में कार्य-कर्त्ता पर अत्याचार हो रहा है तो सारे कांग्रेसी एक हो जाते थे और यह सोचते थे कि हमें उसकी

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

मदद करनी चाहिये । लेकिन आज एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी पर अत्याचार करता है तो भी कोई नही बोलता । कहते हैं यदि खेत में फूट हो जाय तो खेत की फूट को सभी खाते हैं लेकिन यदि घर में फूट हो जाय तो सारा घर ही मिट जायगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि १० महीने चुनाव के हैं, उसके बाद फिर सरकार बनानी है । समय रहते नतीजे पर पहुँच सकते हैं ।

मैं समझता हूँ, आज हम बहुत पैसा खर्च करते हैं विभागों पर, बड़े बड़े बोर्ड बनाते हैं लेकिन वहां पर रोजाना फोन खटखटाये जाते हैं, न्याय नहीं करने दिया जाता । मिनिस्टर साहब का फोन आ गया तो सारी बातें रह गई मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि एक फोन तो कर दो। मैंने कहा कि फोन से क्या होगा? उसने कहा कि मेरी तरक्की नहीं हो रही है क्योंकि इन्दुबालाजी ने फोन कर दिया है । मैंने कहा वह तो फोन करनेवाली नहीं है ....

(४. ०५ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

फिर भी मैं सुखाड़ियाजी से फोन करा दूंगा । हम पैसा भी खर्च करें, बोर्ड बनावें और फिर भी फोन करना पड़े तो यह बहुत ज्यादा महंगा हो गया ।

आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले पुलिस ने चोरियां मिटाने का अभियान चलाया था और ६ जगह कैम्प लगाये थे । उन्होंने हजारों मीणों को लूटा, उनकी जायदादें लूटीं, उनकी महिलाओं पर अत्याचार किये, उनकी जायदाद लूटी; सब कुछ किया और आखिर में २९ आदमियों का चालान किया । पर अदालत में एक पर भी चोरी का जुर्म साबित नहीं हुआ और पुलिस को रकम को वापिस लौटानी पड़ी....

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल १४२ की ओर, सदन की परम्पराओं की ओर, सदन में किये जाने वाले वादविवाद के सम्बन्ध में दिलाना उचित समझूंगा "The House shall be at liberty to discuss the budget as a whole or any question of principle involved therein" इसलिए हमको कोई न कोई सीमा वाद-विवाद के सम्बन्ध में निर्धारित करना उचित होगा । जब बजट के सम्बन्ध में वाद-विवाद कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ इन्कम, रेवेन्यू के साधन, टैक्सेशन के उसूल आदि के सम्बन्ध में बात करें तो उचित होगा और जो प्रश्न कटमोशन में ला सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये बातें इस समय न कह कर सदन के समय का सदुपयोग किया जाय । यदि इनको सदन के सम्मुख लाया जायगा तो परम्परा कायम करेंगे ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : हमको कभी कभी टाइम मिलता है, इसलिये सोचा कि आगे टाइम मिले न मिले, इसलिए बोल दूं....

श्री उपाध्यक्ष ; आपको धन्यवाद है कि आपने इस निर्णय को समझ लिया । भाषण शुरू करें ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण का एक विभाग है राजस्थान में और हमें गर्व है इस बात का कि समाज कल्याण विभाग हमारे माननीय धारीवालजी को मिला है। यह दासाहब को मिलता तो और भी अच्छा रहता। तो माननीय उपाध्यक्ष, हमारे राजस्थान की योजना बड़ी सुन्दर बनती है और मंशा सरकार की बहुत सुन्दर है कि हम हमारे प्रान्त को इस तरह से तरक्की करेंगे। लेकिन या तो हमारे मन्त्रीजी इस विभाग के अधिकारियों से डरते हैं या काम कम जानते हैं इसलिए उनकी सलाह के बिना काम नहीं करते हैं और वे इनको गलत सलाह दे देते हैं इसलिए काम अच्छी तरह से नहीं होता। •

शिक्षा की प्रगति के लिए सैकड़ों और हज़ारों स्कूलें खोली गई; महिलाओं में प्रगति की, बच्चों में प्रगति की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें क्या होता है कि जब परीक्षा होती है तो मैं समझता हूँ कि पच्चीस पर्सेन्ट लड़के भी पास नहीं होते। अब हमारी सरकार यह नहीं देखती कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, या तो मास्टर ने समय पर पढ़ाया नहीं, या शिक्षा विभाग ने जांच नहीं की, कोई कन्ट्रोल नहीं रखा। इससे क्या हुआ कि जिन पर टैक्स लगाया, वे बर्बाद भी हुए। वे लड़कों को पढ़ायें और टैक्स भी चुकायें, डबल काम हुआ और फिर मास्टर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। इधर किसान संतुष्ट होता तो उधर किसान उत्पादन करता। उसको समय मिलता तो वह समय का लाभ उठाता, समय का लाभ उठाता तो उत्पादन अधिक होता। लेकिन वह मुकदमेंबाजी में लग जाता है, वह अदालत में जाता है तो कल की तारीख पड़ जाती है; कल जाता है, तो फिर कल की तारीख पड़ जाती है। इस तरह चार दिन तक अदालत में पड़ा रहता है। अगर अदालत में एक दिन में तारीख खत्म हो जाती तो तीन दिन वह उत्पादन में लग जाता, जिससे प्रान्त का उत्पादन बढ़ता और उत्पादन बढ़ता तो घाटे का बजट नहीं होता। इसलिए आपको अदालत पर कन्ट्रोल करना चाहिये कि वह टाइम पर काम करे। मैं समझता हूँ, यह नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मुझे दुःख है कि हमारी सरकार को यह मशीनरी फेल कर देगी और प्रतिक्रियावादी तत्व हमारी सरकार को एक तरफ गिराने की ओर ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए कई अधिकारी, मैं सब के लिये नहीं कह रहा हूँ, कई अधिकारी कुछ भी न मांग कर सेवा में लगे हुए हैं, सेवा करने वाले हैं, मगर अधिकतर आज पैसा भी लेते हैं, रिश्वत भी खाते हैं और फिर भी काम नहीं करते, चकमा देते हैं। इसलिये सब तरह के भ्रष्टाचार को रोक दें। कई बांधों की योजना होती है, बांध टूट जाता है लेकिन हमारे मन्त्री लोग कर्मचारियों से डरते हैं, डरते हुए कहते हैं, वैसे ही टूट गया था, इन्जीनियर का दोष नहीं है, यह बात है। मैं कहता हूँ कि सच्चाई को देखने के लिए, माननीय मन्त्री महोदय, सरकार को चलाने वाले मंत्रीगण बिना परवाह किया, ऑफिसर नाराज हों तो हों, हमें राजस्थान की प्रगति करनी है, तो परवाह न करें क्योंकि हमारा घाटे का बजट है, जब गांव वालों को विश्वास हो जाये कि हमारी सरकार सच्चे मायने में प्रगति की ओर कदम उठा रही है, तो मैं समझता हूँ कि पैसा तो क्या, सिर तक

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

दे देवें, खून तक दे देवें लेकिन कांग्रेस सरकार को फेल नहीं होने दें । इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक बार फोरेस्ट मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, यह माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी जानते हैं, जगह जगह वे जाते हैं, गांव के लोग दुखी हो रहे हैं, जंगल सूं दुःखी होकर कह रहे हैं कि अगले पांच साल में मिनिस्टर ई हाउस में कोई भी काम नहीं कर रह्या छै। इसलिये वह मन्त्री नहीं रहेगा क्योंकि किसान की बद-दुआ लागे है । जंगल री समस्या सुलझाई तो वाकई मन्त्री रहेला क्योंकि जिसने भी फारेस्ट लियो वे खतम हो गये । (सम्पतरामजी भी नहीं रहेंगे की आवाज) मिर्धा साहब से भी जंगल की समस्या सुलझाने को कहा जो, उन्होंने भी यह कहा कि लकड़ी की जगह झाड़ी काट लो और जला लो....

एक माननीय सदस्य : इन्होंने झाड़ तोड़ा क्या ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित मन्त्रीजी की नम्रता की सहारना करना चाहता हूँ । जिस नम्रता से उन्होंने हमारी जो प्लान्ड इकॉनोमी है, उसको दस साल का बच्चा बताया है । मेरा आशय इतना है कि उनको इतना नम्र नहीं होना चाहिये । कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बराबर आलोचना सहते सहते आदमी थोड़ा डरने लगता है और समझने लगता है कि मैं ऊंची बात कहूँ तो न जाने क्या होगा ? मुझे मालूम होता है, वित्त मन्त्री के साथ यही घटना घटी है, हर साल आलोचना सहते सहते वे घबरा गये हैं । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जिसको आप दस साल का बच्चा कह रहे हैं, वह दस साल का बच्चा नहीं है, २० साल का युवक है । हमें उसके लालन-पालन की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें यह चिन्ता करने की जरूरत है कि यह दुराचार में न लग जाय, फिजूल-खर्ची में न लग जाय । हम जो उसके लालन पालन की चिन्ता कर रहे हैं, उसकी जगह उसकी फिजूलखर्ची और दुराचारिता की चिन्ता करनी चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की सराहना जरूर करूंगा कि वित्त मन्त्रीजी ने इस बात की घोषणा की है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम एक सैनिक स्कूल खोलेंगे । सचमुच इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी और मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे प्रान्त में बहुत बड़ी संख्या में मार्शल जातियां रहती हैं। उनको अब तक दूसरे धन्धों में लगाने की सोच रहे थे; इन्डस्ट्री की तरफ, खेती की तरफ । हम इस बात में चूक जाते थे कि हमारे यहां मार्शल जातियां हैं, उनको, हमारे देश की सेना है, उसमें स्थान नहीं मिल रहा है । मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम एक सामाजिक कदम है, सरकार इस बात की तरफ सोच रही है और राजस्थान में सैनिक स्कूल की स्थापना कर रही है और हमारे प्रान्त में जो मार्शल जातियां हैं उनको देश की सेना में जाने का

(श्री चन्दनमल वैद)

ज्यादा मौका मिलेगा ।

इसके साथ साथ मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मैडिकल कॉलेज तृतीय पंचवर्षीय योजना मेंखोलने की घोषणा की है। लेकिन मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज जो सबसे ज्यादा कमी हमारे राजस्थान में है वह लेडी डॉक्टर्स की है। मैं समझता हूँ कि हम इस तीसरे मैडिकल कॉलेज को केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ५० प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए रिज़र्व कर देनी चाहिये जिससे जो लेडी डॉक्टर्स की कमी महसूस कर रहे हैं वह पूरी हो जाय। मैं ऐसे जिले के जिले जानता हूँ जहां दस अस्पताल हैं, लेकिन एक भी अस्पताल में लेडी डॉक्टर नहीं है । हम माननीय मन्त्री, जो इस विषय को डील करते हैं, से कहते हैं लेकिन कहने के साथ साथ उनकी विवशता भी महसूस करते हैं क्योंकि लेडी डॉक्टर प्रान्त में हैं नहीं, वे उन अस्पतालों में भेजें कहां से। मैं समझता हूँ कि यह उपयुक्त मौका है जब हम इस बात की तरफ ध्यान दें और तृतीय पंच-वर्षीय योजना में जो मैडिकल कॉलेज खोल रहे हैं वह महिलाओं के लिए एक्सक्लुजिवली कर दें । अगर यह न कर सकें तो कम से कम, ५० प्रतिशत, ६० प्रतिशत, ४० प्रतिशत; जितनी भी सरकार जरूरत समझे, उतनी सीट महिलाओं के लिए रख दें, जिससे जो कमी प्रान्त में है वह उसके द्वारा पूरी कर सकें।

तीसरी बात, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिये वह यह है कि क्षेत्रीय इन्जीनियर कॉलेज खोलने की घोषणा की है। क्षेत्रीय कॉलेज से आपका क्या मतलब है? क्या क्षेत्रीय कॉलेज़ से क्षेत्रीय भावना उभारने वाला कॉलेज है? कुछ भी हो, इस क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कॉलेज को खोलने की घोषणा की है, उसकी मैं सराहना करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री ने अपने भाषण के अन्त में प्रान्त की जनता का इस सदन के माननीय सदस्यों के मार्फत आह्वाहन किया है कि देश की उन्नति तथा खुशी के लिए बलिदान करें, कुछ त्याग करें। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रान्त की जनता ने हमेशा उनका साथ दिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां केवल शुरू शुरू में, मुझे जैसा याद है, वे समझते थे कि हमें ९ करोड़ रुपया टैक्सेशन से वसूल करना है, उसके बाद उन्होंने १२ करोड़ रुपया वसूल किया । तो जो १२ करोड़ का टार्गेट था, उसकी जगह प्रान्त की जनता ने साढ़े तेरह करोड़ दूसरी पंचवर्षीय योजना में टैक्सेज़ के रूप में दिया है। कर्जे के रूप में जनता से केवल १२ करोड़ चाहते थे, उसकी जगह जनता ने १५ करोड़ रुपया दिया है। जहां तक जनता के सहयोग का सवाल है, जनता ने पूरा सहयोग दिया है; चाहे टैक्सेशन में, चाहे लोन में। लेकिन इसके बाद मुझे शिकायत है। जो प्रयत्न या कोशिश माननीय वित्त मंत्रीजी को अपने प्रशासन के खर्च में कमी करने में करनी चाहिए थी तथा सरकारी वसूलियां हैं, उनको वसूल करने में तत्परता दिखानी चाहिए थी वह नहीं बरती है। यह वित्त मंत्रीजी की कमजोरी रही है, यह किस कारण से रही है, उसके बारे में मैं नहीं

(श्री चन्दनमल वैद)

कहता। इस प्रकार जो वायदे उन्होंने किये थे उनको पूरा नहीं कर पाये हैं। आज से दो साल पहले बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार की करोड़ों रुपये की वसूलियां हैं उनको वसूल करने के लिए मशीनरी को टाइटन करेंगे जिससे कि तेजी से वसूली कर सकें। इस सदन में उन्होंने यह वायदा किया था, लेकिन अफसोस है कि उसके बाद दो बजट पेश किये लेकिन कभी यह नहीं बताया कि वे जिस मशीनरी को टाइटन करना चाहते थे, और वसूलियां तेजी से करना चाहते थे, उसने कितने रुपये की वसूली की है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आज सरकार का करोड़ों रुपया बाकी है, जो बाकी है वह गरीब लोगों में नहीं है, बल्कि राजा, महाराजाओं बड़े बड़े पूंजीपतियों, मिल मालिकों और सरकारी ऑफिसरों में है। इस तरह से करोड़ों रुपया बाकी है, और मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि अगर इन वसूलियों में तेजी की जाती तो निश्चित तोर पर करोड़ों रुपया आसानी से निकाल सकते थे। इस चीज़ में वित्त मंत्रीजी की ढिलाई रही है, मैं समझता हूँ सचमुच यह कुछ शिकायत की बात है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ वह है खर्च में कटौती। दो साल पहले वित्त मंत्रीजी ने वायदा किया था कि खर्च में कटौती की जायगी, इस साल फिर वायदा किया है कि खर्च में कटौती की जायगी। बजट में ५५.१६ हजार कमी की है, यह काफी नहीं है। जहां ३ करोड़ रुपये कर के वसूल करते हैं १.३५ लाख के टैक्स लगाना चाहते हैं, जहां ४० करोड़ का बजट है वहां ५५ लाख रुपया कटौती करना चाहते हैं, यह जीरो के बराबर है। आपने कहा रेवेन्यू कमिश्नर्स की पोस्ट्स अबोलिश करना चाहते हैं। आज से १० साल पहले इस प्रकार का सुझाव दिया गया था, विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया था कि रेवेन्यू कमिश्नर्स की पोस्ट सुपरफ्लुअस है इसे अबोलिश कर देना चाहिये। हमें खुशी है कि उस सुझाव को १० साल बाद भी माना है, इन पोस्ट्स को अबोलिश करने में एक-दो साल और लग जायेंगे। इसके अलावा और कई ऐसे खर्च हैं जिनमें कटौती कर सकते हैं, उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि मिनिस्टर्स के बाथ रूम की लग्ज़रीज़ हैं, उसमें कटौती कर सकते हैं, इससे खर्चा भी कम होगा और राज-काज में भी सुविधा होगी। मुझे स्वयं को अनुभव हुआ है, मन्त्री महोदय से कोई मिलने गया तो कहेंगे कि बाथ रूम में हैं। मुझे एक जरूरी काम था उस काम से लोकल सेल्फ मिनिस्टर को मैंने फोन किया तो जवाब मिला कि बाथ रूम में हैं, १५ बीस मिनट बाद फिर फोन किया तो जवाब मिला कि बाथ रूम में हैं, मुझे चूंकि जरूरी काम था इसलिये मैंने लगभग पन्द्रह बीस फोन किये और ताज्जुब की बात है कि मिनिस्टर साहब बाथ रूम में रहे। बाथ रूम में लग्जुरीज़ इतनी हैं कि वे बाथ रूम में रहने के अपने टैम्प्टेशन को नहीं रोक सकें....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Bath Rooms should not be emptied here.

श्री चन्दनमल वैद : इसलियेये मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे मिनिस्टर्स के बाथ रूम के खर्च में कमी करें।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): आप साइकिल लेकर स्वयं पहुंच जाते, २० टेलीफोन्स क्यों किये ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज डेवलप-मेन्ट के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बांध बनवा रहे हैं, उस वक्त ऋण लेने से हिंचकिचाना नहीं चाहिये। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिकायत की कि राजस्थान सरकार पर इतना अधिक कर्जा हो गया है कि वह दिवालिया हो गई है। मैं उनकी खिलाफत करता हूँ, जहां हम बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं तो हमें कर्जा लेने से घबराना नहीं चाहिये। अभी जो कर्ज की स्थिति है वह जनता से और सेंट्रल गवर्नमेंट से लिये कर्ज की स्थिति १ अरब २३ करोड़ ६१ लाख रुपया है। मैं केवल अपने डेवलपमेंट के काम का जिक्र करूं, अकेले उससे हमें इससे कहीं अधिक रुपया मिलने वाला है। राजस्थान केनाल से १५ लाख बीघा जमीन जो फालतू पड़ी हुई है उसकी सिंचाई होगी। आज जिस भूमि की कीमत ५००) रु० पर बीघा भी नहीं है उसकी ५ हजार रुपया बीघा कीमत हो जायेगी तो केवल राजस्थान केनाल से इतना रुपया वसूल कर सकेंगे। जब मुझे यह विश्वास हो जाय कि अपने मकान पर एक लाख रुपया लगाने से मैं ५ लाख की आमदनी कर सकता हूँ तो मैं जरूर एक लाख रुपया कर्ज लेकर मकान को तैयार करवाऊंगा और इसके लिये कर्ज लेने में नहीं घबराऊंगा।

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं। वे हमेशा राजाओं महाराजाओं के उदाहरण देते हैं। मैं भी एक उदाहरण देता हूँ। बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह ने गंग केनाल बनाई और स्टेट की आमदनी जहां पहले २० लाख थी उसको २ करोड़ कर दिया, तो कर्ज लेकर उन्नति करने में नहीं हिचकिचाना चाहिये। हां, यदि इसके लिये कर्ज किया जाय कि 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्,' घी पीने के लिये ऋण किया जाय या अय्याशी करने के लिये ऋण किया जाय तो हिचकिचाना चाहिये, पर जब कि आप देश की भलाई कर रहे हैं, देश की सम्पत्ति को बढ़ा रहे हैं तो कर्जा करने में नहीं हिचकिचाना चाहिये। १२३ करोड़ रुपया तो केवल उन्नति की योजना से वसूल कर लेंगे। तो मैं तो वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि कर्जा लेने से घबराना नहीं चाहिये। मैं वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहता हूँ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३२ करोड़ रुपये का कर्जा आयेगा और ३० करोड़ टैक्सेज़ से वसूल करेंगे, यह मेल नहीं खाता। हमें कर्ज लेने की तरफ ज्यादा जाना चाहिये और टैक्सेज़ की तरफ कम जाना चाहिये। आज हर एक महसूस कर रहा है कि टैक्सेज़ ज्यादा बढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेज़ बढ़ा रही है, राजस्थान गवर्न-मेंट टैक्सेज़ बढ़ा रही है और उधर पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज़ टैक्सेज़ वसूल कर रही हैं, जनता महसूस कर रही है कि टैक्सेज़ की भरमार हो रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि जनता कर्ज देने को तैयार है। वित्त मंत्री-जी ने बताया कि जब जनता से १२ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मांगा गया तो १५ करोड़ रुपया जनता से कर्ज मिला था। तो कर्जा ज्यादा लें और टैक्सेज़ कम लगायें, इस नीति से चलें तो ज्यादा कर्जा लेंगे और टैक्सेज़ कम लेंगे तो टैक्सेज़ के कारण थोड़ी गलतफहमियां फैली

(श्री चन्दनमल वैद)

हुई हैं वे कम होंगी और दूसरी तरफ माननीय सदस्य कहते हैं कि कर्जा बढ़ रहा है और सरकार दिवालिया हो रही है, इसका मैं खण्डन करता हूँ।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछली बार राज्यपाल महोदय ने घोषणा की थी कि हम अर्बन कोम्युनिटी प्रोग्राम्स को शुरू करना चाहते हैं। वह पिछली साल शुरू हुआ नहीं, अब हमारे वित्त मंत्री-जी कहते हैं कि इस दिशा में कुछ काम की ओर अग्रसर होंगे। तो समझ में नहीं आता कि राज्यपाल महोदय तो कहते हैं एक साल पहले कि इस साल शुरू करेंगे और दूसरे साल वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि इस तरफ हम अग्रसर होंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें। इसको शुरू नहीं करके शहरों की जनता को हम अपने से विरुद्ध करते जा रहे हैं। जो स्टैन्डर्ड रूरल पोपुलेशन के लिये लागू कर रहे हैं वही स्टैन्डर्ड अर्बन पोपुलेशन के लिये भी लागू करें। हमने पंचायतों के वार्ड बनाने के लिये हाई पॉवर कमेटी बैठाई थी पर जहां म्युनिसिपैलिटीज़ के वार्ड बनाने की बात आई तो स्वायत्त शासन मंत्रीजी के हाथ में छोड़ दिया। तो मेरा निवेदन है कि जो स्टैन्डर्ड रूरल पोपुलेशन के लिये ठीक है उसको अर्बन पोपुलेशन के लिये भी ठीक समझना चाहिये। पर ऐसा नहीं करके म्युनिसिपैलिटीज़ के वार्ड बनाने का प्रश्न आता है तो स्वायत्त शासन मंत्रीजी पर छोड़ देते हैं। इसका नतीजा यह होता है, मैं सरदारशहर का जिक्र करूं, सरदारशहर म्युनिसिपैलिटी के वार्ड बने तो मन्त्री महोदय को कहा कि आपका कानून है कि सब इक्वल वार्ड बनने चाहिये, पर आपने एक वार्ड ५०० का बना दिया और दूसरा वार्ड १५०० का बना दिया, यह ठीक नहीं; इस पर उन्होंने कहा कि हो गया सो हो गया। मैंने कहा हाई कोर्ट में रिट होगी, पाली में एडमिनिस्ट्रेटर रखने की हुई उस प्रकार....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उस समय वे बायरूम से निकले होंगे।

श्री चन्दनमल वैद : एक व्यक्ति की मर्जी पर छोड़ देते हैं तो कुछ मनमानी होती है। जैसे सरदारशहर में हुआ इसी तरह रतनगढ़ और दूसरे शहरों में भी वार्ड बने हों, ऐसा हो सकता है।

तो हमें ख्याल करना चाहिये कि शहरों में भी मजदूर-किसान बसते हैं, जिस तरह का प्रोग्राम रूरल पोपुलेशन के लिये रखते हैं उसी प्रकार का प्रोग्राम और स्टेन्डर्ड अर्बन पोपुलेशन के लिये भी रखना चाहिये। सारे प्रान्त के सब हिस्सों की सब जनता की समान भलाई करके ही हम समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं।

इतना ही कह कर मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वक्त पर नम्र बनना ठीक है। आपका बच्चा जैसा कि आपने कहा १० साल का नहीं है उसको २० साल का बताइये।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसको देखने से ऐसा महसूस होता है

(श्री लक्ष्मीचन्द)

कि जिस प्रकार हमारे वित्त मंत्रीजी वृद्धावस्था पर पहुँच गये हैं वैसे ही उन्होंने कंगले आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं। आज हमारी सरकार हमारे सामने आंकड़े प्रस्तुत करती है उसमें हर वक्त घाटे ही घाटे का समावेश रहता है। घाटे को पूरा करने के लिये एक तरफ हमारी सरकार लोन लेती है और दूसरी तरफ जनता पर टैक्स लगाती है। मैं यह कहूँगा कि आखिर यह कितने दिन काम चलेगा ? आखिर इसका क्या परिणाम होगा ? कब तक उधार लेती रहेगी ? सरदार-शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कर्जा लेना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि कर्जा लेना चाहिये विकास कार्यों के लिये। मैं इस बात को मानता हूँ कि कर्जा लेना चाहिये, मगर कर्जा चुकाने के लिये साहूकारा भी तो साथ का साथ रहना चाहिये। आप अपना साहूकारा तो रखिये। अगर हम कर्जा ही कर्जा लेते रहेंगे और कर्जा वापिस देने की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो फिर साहूकार कैसे रह सकेंगे और जब साहूकारा नहीं होगा तो आगे रुपया उधार कौन देगा ? हम देखते हैं कि हमारी सरकार के सभी काम जो चल रहे हैं वे घाटे में चल रहे हैं। जब सभी काम घाटे में चल रहे हैं और वे कर्जा लेंगे तो उस कर्जे को वापिस कहां से देंगे ? अगर आप किसी से रुपया उधार लेंगे तो आपको उसे वापिस तो देना होगा और अगर आप उसको वापिस नहीं देंगे तो आपका व्यवहार नहीं रहेगा, साहूकारा नहीं रहेगा और जब आपका साहूकारा नहीं रहेगा तो फिर रुपया कर्जे में कौन देगा ? जब घाटा ही घाटा चलता रहेगा तो किसी न किसी दिन हमारा दिवाला निकल सकता है और हमारी सरकार दिवलिया सरकार डिक्लेअर होगी।

जैसा सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कर्जा लेना चाहिये, मैं यह कहूँगा कि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार को वह पोज़िशन हो कि वह जितना रुपया लोन के लिये किसी से मांगे उतना ही उसको मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ लोन को वापिस चुकाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर लोन वापिस चुकाने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो हो सकता है कि हमारी सरकार को किसी रोज नीचा देखना पड़े, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को जब वह इन्सोल्वेन्ट डिक्लेअर कर दिया जाता है तो नीचा देखना पड़ता है। दिवालिया होने के बाद उसको न तो किसी व्यक्ति विशेष से कर्जा मिल सकता है और न किसी साहूकार से, न सरकार से कर्जा मिल सकता है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि कहीं हमारी सरकार की भी वही स्थिति न हो जाय। सरकार जितना लोन लेने की व्यवस्था करे तो उसको वापिस चुकाने की भी हिम्मत रखनी चाहिये और व्यवस्था करनी चाहिये। अगर कोई लोन नहीं दे तो सरकार की क्या दशा होगी ?

यह बात जब हमारे वित्त मंत्रीजी के ध्यान में आई और उनकी नींद खुली तो उनकी दृष्टि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कमी करने पर पड़ी। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ही कम क्यों करते हैं, किसी अधिकारी को कम क्यों नहीं करते या किसी मिनिस्टर में कमी क्यों नहीं करते और यह क्यों नहीं कहते कि हमने २॥ साल तक पहले भी ५

(श्री लक्ष्मीचन्द)

मिनिस्टरों से काम चलाया था अब भी फिर हम ५ मिनिस्टरों से काम चला लेंगे। अगर आप यह कहते तो यह तो कोई मानने की बात होती। मगर हमारे वित्त मंत्रीजी की दृष्टि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर पड़ी और वे उनको कम करना चाहते हैं। मैं यह कहूँगा कि आप अगर किसी एक मिनिस्टर को कम करें तो उनकी एक की तनख्वाह में ३० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह आ जाती है। अगर हो सकता हो तो एक मिनिस्टर का पोर्टफोलियो किसी दूसरे मिनिस्टर को दे दें; तो इससे बचत हो सकती है, मगर हमारे वित्त मंत्री सरकार के खर्च में कमी करना तो चाहते हैं और वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम करके करना चाहते हैं और कहते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ज्यादा हैं और अनावश्यक रूप से भर दिये गये हैं, इसलिए इनकी कमी करनी चाहिये। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि अब आप यह कहते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आवश्यकता से ज्यादा भर लिए गये हैं, वे भी तो आखिर आपकी राय लेने के बाद ही भरे गये हैं। मैं यह कहूँगा कि आज आप एक आदमी को रोटी के लिये लगा देते हैं और फिर उससे रोटी खोसते हैं तो उसकी क्या दशा होगी? आप उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लगाना चाहते हैं तो फिर उनको वहीं पर क्यों नहीं रखते जहां पर वे हैं। अगर वहां पर उनको रखना संभव नहीं हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको किसी भी डिपार्टमेंट में जहां जगह हो उनको प्राथमिकता दी जाए ताकि कोई मुसीबत की स्थिति न आए।

इसके बाद मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूँगा कि आपने टैक्स जो लगाये हैं उसका अधिकांश भाग मैं देखता हूँ कि शहरों की पब्लिक पर खर्च होने वाला है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): फालतू जाता है, शहरों में खर्च नहीं होना चाहिये।

श्री लक्ष्मीचन्द: मैं यह नहीं कहता कि फालतू जाता है। मगर मैं यह कहूँगा कि ज्यादा टैक्स ग्रामीण जनता से सरकार को मिलते हैं क्योंकि ग्रामीण जनता में आम तौर से कच्चे रास्ते होंगे, हैं और कच्ची सड़कें होती हैं और जब सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो बस ट्रान्सपोर्ट को उनको ज्यादा पैसा किराया के रूप में देना होगा और जब किराया ज्यादा देना होगा तो आपकी टैक्स की आमदनी भी ज्यादा होगी। शहरों में डामर की सड़कें हैं इसलिये टैक्सेज़ भी ट्रान्सपोर्ट से आपको कम मिलेंगे।

मैं यह कहूँगा कि ज्यादा पैसा तो आपको गरीब ग्रामीण जनता से मिलता है। ज्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए तो गरीब जनता की जेब काटी जाती है लेकिन ग्रामों में जितना रुपया खर्च करना चाहिये नहीं किया जाता है और शहरों पर ज्यादा खर्च होता है। शहरों में बिजली के पंखे, पानी के नल, सिनेमा आदि सभी वस्तुओं की सुविधायें होती हैं। सेक्रेटेरियेट में खस के टाटे लगाये जाते हैं और जो लोग धूप में काम करते हैं उन लोगों को पूरी तनख्वाहें नहीं दी जाती। इसलिए मैं यह कहूँगा कि आपने जितने टैक्स लगाये हैं उनका सब का भार गरीब जनता पर होगा और आज गरीब जनता पहले भी टैक्सों के भार से बहुत दबी जा रही है और पिस कर दबी जा रही है। आप देखेंगे कि एक तरफ

(श्री लक्ष्मीचन्द)

भारत सरकार चीजों पर टैक्स बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार और उधर देखें तो स्वायत्त शासन संस्थायें टैक्स बढ़ाती हैं। इस तरह से टैक्स पर टैक्स लगाये जाते हैं । समझ में नहीं आता कि आखिर कहां तक टैक्स लगते रहेंगे ? आप तो यह कह कर निकल जाते हैं कि हमें देश में विकास कार्य करना है और डेवलपमेंट कार्य के लिए पैसे की जरूरत है; लेकिन मैं यह कहूँगा कि जितना आप विकास करना चाहते हैं और रुपया उसमें खर्च करना चाहते हैं उतना होता नहीं, जितनी तेजी से आप चलना चाहते हैं उतनी तेजी से आप चलते हुए दिखाई नहीं देते और आपका पैसा जो आप खर्च करते हैं उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं होता है। जहां आप खर्च करना चाहते हैं उस मद में वह रुपया उसकी आवश्यकता के अनुसार खर्च नहीं होता ।

आपने मोटर कारों पर टैक्स लगाने की व्यवस्था की है। वहां व्यक्तिगत कारों पर आपने एक सीट पर २।।रुपये सालाना बढ़ाये हैं । मगर मोटर कारें किसी गरीब के पास तो हो नहीं सकतीं । मोटर कारें तो उन्हीं के पास होंगी जो साधन सम्पन्न होंगे या जो लोग मंत्री या उच्च अधिकारी होंगे। उन कारों पर आपने २।।)रु. प्रति-सीट सालाना कर बढ़ाया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि एक साधारण नागरिक और ग्रामीण जिसको हर वक्त प्राईवेट गाड़ियों में बैठना पड़ता है इधर-उधर जाने के लिए, उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है । आप यह कहते हैं कि हम गरीबों को सहूलियतें देते हैं और हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, जनता का हित करने जा रहे हैं; मगर मैं यह कहूँगा कि आपके ये सारे नारे बिल्कुल अन्धकार में रहते हैं और केवल नाम मात्र के लिए व दिखावे मात्र के लिए ही रहते हैं । आपने तो ध्यान बाहर जाने पर भी टैक्स लगाया है । इसके लिए आपने एक्सटेन्शन सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था रखी है, आपको इससे भी कुछ न कुछ पैसा मिलेगा ही ।

एक माननीय सदस्य : : बाहर जावेगा तब ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जितने भी टैक्सेज़ लगेंगे वे किसी न किसी रूप में गरीब जनता पर ही लगेंगे, मध्यम वर्ग के लोगों पर लगेंगे ।

एक माननीय सदस्य : कौन से टैक्स हैं जो अनाज पर लगते हैं ? अनाज पर टैक्स....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : वे राजस्थान में नहीं देने पड़ते हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह बाहर जावेगा उसके लिए तो देना होगा ।

इसके बाद मैं सरकार की शराब बन्दी की जो नीति है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा । यह कहा जाता है कि शराब से आमदनी बढ़ती है । एक तरफ आप यह कहते हैं कि शराब से आमदनी बढ़ती है और दूसरी तरफ आपने कांग्रेस में यह विधान रखा है कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य शराब नहीं पीये । आपने, जब यह बुरी चीज है तभी तो आपने यहां रखा है कि कांग्रेस का कोई सस्दय शराब नहीं पीये और दूसरी तरफ आप उसी शराब के जरिये आमदनी बढ़ाना चाहते हैं । जिस शराब को आप अच्छी नहीं समझते, आपका

(श्री लक्ष्मीचन्द)

विधान अच्छा नहीं समझता तो फिर उस बुरी चीज को दूसरे राजस्थान के लोगों को क्यों पिलाई जाती है ? उसका प्रयोग आप करना नहीं चाहते, मगर उसके जरिये से आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं । आज जितने भी ठेके शराब के नीलाम होते हैं उनमें उसी को टेका मिलता है जिसका कमीशन ज्यादा मिलता है और जब कमीशन ज्यादा मिलेगा तो रेट ऊंची जावेगी। कमीशन सरकार को कम प्राप्त है और अब ज्यादा देना पड़ेगा । ऑक्शन करने से पहले इसको चश्मे से अच्छी तरह से देखिये कि सरकार की अधिक आमदनी मुफ्त में नहीं देंगे, चन्दे में नहीं देंगे या थैली लाकर यों ही वे भेंट नहीं करते हैं । ज्यादा देते हैं तो किसी न किसी तरीके से सरकार की जेब काटेंगे । लेकिन आप बलवान हैं अपनी जेब शायद काटने न दें, तो फिर वे जनता की जेब काटेंगे । उस शराब में वे पानी मिलायेंगे । कमीशन ज्यादा देते हैं, साल भर तक अपनी फेमिली को भी गुजर करना पड़ता है, फिर जनता को जेब ही काटी जायगी, आपकी नहीं । वह शराब में पानी मिलायेगा और पानी मिला कर उसको बेचेगा ।

श्री अर्जुनदास : पानी नहीं स्पिरिट डाल दिया है ।

एक माननीय सदस्य : आपको अनुभव है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : सरकार जनता को चोरी करने का रास्ता बता रही है कि आमदनी कैसे करनी चाहिये । हम चोरी के जरिये से आमदनी करना चाहते हैं, तुम भी चोरी के जरिये से आमदनी करो । कोई अच्छा दायित्व रखना चाहिये और अच्छा दायित्व रखना चाहते हैं तो इसमें आपको कमी करनी चाहिये । कोई सरकार इस बात में शोभा माने अपनी कि उसकी आमदनी शराब से होती है तो किसी हालत में कल्याणकारी सरकार नहीं है । इसको आप स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखिये । यह तो स्पष्ट रूप से चोरी करते हैं । कमीशन देगा तो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा ? मैंने एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मन्त्री महोदय से पूछा था कि सरकार की पॉलिसी क्या है ? क्या ब्लेक मार्केट कराने की है ? तो मुझे उत्तर दिया कि आप ही समझ लीजिये । सरकार मानती है कि ब्लैक मार्केट से आमदनी हो । तो फिर आप डाकुओं को भी लाइसेन्स दे दीजिये, डाका डालें; सरकार को तो आमदनी चाहिये ! कोई भी डाकू डाका डाल कर आये, चौथा हिस्सा सरकार को दे दे । आपको तो यह देखना चाहिये कि यह तो एक कलंक है । लोग हमारी नीति को कलंकित करेंगे । सरकार को यह नीति खत्म कर देनी चाहिये । सरकार को ऑक्शन प्रथा खत्म करनी चाहिये, शराब को नीति है उसको भी खत्म करना चाहिये । यदि इसको बन्द नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी प्रणाली रखिये कि सरकार पर लोगों को इस प्रकार से लांछन न लगाना पड़े कि सरकार ब्लेक मार्केट से बिकवाती है, शराब में वह पानी मिलायेगा और पानी मिला कर अपने घाटे की पूर्ति करेगा, नहीं तो सरकार को कहां से देगा ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

अब मैं राजस्व के बारे में कहना चाहता हूँ। जागीरदारों को बॉन्ड्स दिये जाते हैं। कम्पेन्शन का जो प्रोसिजर है वह इतना उलझा हुआ है कि एक रुपया लेने वाले को और लाख रुपया लेने वाले को—दोनों को एक ही तरह की दिक्कत उठानी पड़ती है। पहले अवार्ड बनाने में देर होती है, जांच होने में देर होती है। कागज़ात रेन्टल इन्कम डिटरमिन करने में पड़े हुए हैं। इस प्रकार से दो—तीन साल तक जांच होकर नहीं आते हैं। उनको पैसा नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड की मीटिंग में घोषणा करते हैं और कहते हैं कि बिलों के भुगतान को टोप प्रायोरिटी दी जाती है। हाल यह है कि एक तरफ तो वे यह कहते हैं और दूसरी तरफ फाइनेन्स डिपार्टमेंट २५ से १० तारीख तक बिल्स को लेता नहीं है। पन्द्रह दिन तक वह आदमी मारा मारा फिरता है। आपने कहा है कि टोप प्रायोरिटी दी जावेगी तो आप वित्त मन्त्रीजी से मिल कर बात करके ऐसा प्रोसिजर निकालिये, ढूंढिये कि आज बिल बने और कल पेमेन्ट हो जाय। इधर चीफ मिनिस्टर साहब यह घोषणा करते हैं और वित्त मंत्रीजी उधर बिराजमान हैं उसका कुछ अर्थ निकालते हैं। या तो शासन में एक दूसरे के विपरीत काम करने की भावना है या लोगों को उलझाया जाता है। चीफ मिनिस्टर की बात का कोई मूल्य होना चाहिये, उसकी कीमत होनी चाहिये। कह दिया कि टोप प्रायोरिटी मिलेगी तो फिर मिलना भी चाहिये। जहां तक नेहरू अवार्ड की बात है यह डिक्लेयर कर दिया कि पांच हजार से कम आमदनी वालों को और देने जा रहे हैं। पांच हजार से कम आमदनी वालों के भी दावे पहले हो गये हैं। उनके लिए कोई ऐसा संकेत नहीं किया गया है कि उनको १५ साल बाद इतना अमाउन्ट दिया जायगा। क्या लोग स्वप्न में रहेंगे? यह तो आप कह चुके हैं कि जागीर डिपार्टमेन्ट को खत्म करने जा रहे हैं, जल्दी पेमेन्ट लोगों को करना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर उनको पेमेन्ट नहीं हो रहे हैं और वे अवेयेन्स में हैं। कहने को तो कह दिया कि नेहरूजी के अवार्ड के माफिक फायदा दिया लेकिन उनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए या तो जागीर कमीशनर को और डिप्टी कलेक्टर्स को ऑर्डर्स दे दिये जायं कि नेहरूजी के अवार्ड के माफिक जो फायदा होने वाला है वह इतना हो जायगा और इस अर्से में हो जायगा, अन्यथा वह मिलेगा नहीं और वह नेहरूजी के अवार्ड की घोषणा कागजों में ही रह जायेगी और लोग रुल जावेंगे।

भूमिहीनों की जमीनों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। अलॉटमेन्ट के लिए नियम बना दिये कि भूमिहीनों को जमीन देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, भूमिहीनों को जमीन कैसे दी जाती है? सेटलमेन्ट में ऐसी जमीन रखी है कि जिसमें कुछ पैदा नहीं होता और उन्होंने पड़त जमीनों के पट्टे भी जिनके पास पैसा था उन लोगों ने उन जमीनों के पट्टे करवा लिये। सांचोर में जाकर आप देख लीजिये कि ऐसी जमीनों के लोगों ने पहले पट्टे करवा लिये हैं, जमीनें पड़त पड़ी हुई हैं। रेकॉर्ड में दिखा दी गई हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह मान्यता है कि माननीय सदस्यों को कुछ बजट की

(श्री उपाध्यक्ष)

बहस के सम्बन्ध में गलतफहमी है। If the House permits I would like to place before the House the line of demarcation in between the discussion of the Budget and the discussion over the cut-motions. भय मुझे यह है कि कट मोशन्स के ऊपर वे ही बातें फिर रिपीट होंगी। I would like to quote a ruling of the Lok Sabha; आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे हाउस एन्लाइटन्ड हो जाय :

"Members may, therefore, make observations in regard to the general scheme and the structure of the Budget. The general scheme of the Budget will include consideration of revenue, surplus or deficit, revenue and expenditure account and the overall surplus or deficit. So far as the revenue account is concerned, members may take into account the method of estimation, whether the revenue is overestimated or under-estimated, whether the expenditure is pitched too high and, therefore, whether the size of the surplus or deficit is affected. They might make observations in regard to how these deficits have arisen; whether there is a real deficit at all, and how generally it shonld be covered. They might speak about the division of taxation into direct and indirect. They should not, however, enter into detail in regard to particular schemes of taxation suggested, or expenditure estimated except by categories, say direct or indirect, new or old taxes or excise or expenditure met from revenue or capital and so.

So far as general grievances are concerned, these may be deferred for ventilation at the other occasion." मेरी यह मान्यता है कि माननीय सदस्य बहुत सी ऐसी व्यक्तिगत शिकायतों को और विस्तृत रूप से रखते जा रहे हैं जो कि कट मोशन्स पर कही जा सकती हैं। इससे बहस का समय बच सकेगा और दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल सकेगा।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir, in Parliament each and every demand is voted and members get a chance to submit cut motions and to speak on them. In the State legislature we can move cut-motions on limited demands-4, 5, 6. I think-some relaxations have to be made.

श्री उपाध्यक्ष : Not only some relaxation, I have given full opportunity to all the members except when my patience is exhausted at the minor details...

श्री लक्ष्मीचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ऑब्जर्वेशन्स का स्वागत करते हुए कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार को जो खर्चा करना पड़ रहा है, उस सिलसिले में कई अंश में उस खर्चे में कमी की जा सकती है। सेक्रेटेरियेट में गर्मी की मौसम में खस के टट्टे लगाये जाते हैं। राज्य में और जगहों पर काम करने वाले कई किस्म के कर्मचारी हैं। वहां पर यह खर्चा नहीं

(श्री लक्ष्मीचन्द)

किया जाता है। सेक्रेटेरियेट में ही वह खर्चा होता है और उसमें कमी की जा सकती है और उसमें कमी करके जनता के सामने एक आदर्श कायम किया जा सकता है। दूसरी जगह रहने वाले कर्मचारियों के लिए खर्चा नहीं होता है तो राज्य के उच्चाधिकारियों के लिए भी खर्चा नहीं करना चाहिये। इससे एक दूसरे कर्मचारी के प्रति भी जलन होती है। गर्मी हरएक व्यक्ति को लगती है। यह नहीं है कि सेक्रेटेरियेट वालों को ज्यादा लगती हो और दूसरों को कम। ऐसे खर्चे में कटौती कर सकते हैं और करनी चाहिये और सरकार के ऊपर जो कर्जा है उसको चुकाने की व्यवस्था करनी चाहिये। अगर हम कर्जे को नहीं चुका पाये तो सरकार चन्द दिनों में दिवालिया डिक्लेअर हो जायेगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वयोवृद्ध वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ, वह इसलिये कि उन्हें इस उम्र में दस साल का बच्चा पालन करने के लिये मिला। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट में करीब तीन करोड़ रुपये का घाटा बताया गया है। उस घाटे की पूर्ति के लिये १३५ लाख के नये कर लगाने की योजना है और कुछ सरकारी खर्चे में बचत करके इस घाटे को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के प्रति कर दाता को यह विश्वास होना चाहिये कि उसकी जेब से जो पैसा वसूल होता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं। क्या हमारे राजस्थान में हमारी सरकार इस प्रकार की सावधानी बरत रही है? इस बारे में मैं सरकार का ध्यान हमारी जन-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सरकार की बकायात का क्या हाल है? १९५८-५९ की जो जनलेखा समिति की रिपोर्ट है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी जनलेखा समिति ने १० करोड़ ७७ लाख के करीब बकाया के बारे में कहा है। यह हमारे बकाया की स्थिति है। उसके अनुसार जो सरकार द्वारा ऋण दिया गया है विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों के लिये उस ऋण वसूली की स्थिति बड़ी सोचनीय है। हमारी इस रिपोर्ट के अनुसार कुल ९ करोड़ रुपये वसूली के योग्य थे लेकिन सरकार उसको वसूल नहीं कर पाई। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात जो नजर आई है वह यह कि इसमें करीब ३ करोड़ रुपये की ऐसी रकम है जिसको हमारी सरकार राइट ऑफ करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इतनी बड़ी रकम को राइट ऑफ करने के बारे में जन-लेखा समिति के सरकारी अधिकारियों का जो परीक्षण हुआ उसमें वे सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके कि इन ३ करोड़ रुपये के राइट ऑफ करने के क्या कारण हैं; यह वाजिब है या नहीं? अगर इसी प्रकार की स्थिति है सरकार के तो बड़ी सोचनीय स्थिति है।

इसी तरह से हम जो नये टैक्स लगा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं डवेलपमेंट इकोंनोमी के लिये यह वाजिब है। टैक्स लगाने के साथ साथ हमें इस बात की भी आवश्यकता

(श्री भीमसेन)

है कि उनका सही ढंग से उपयोग करें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने एतराज किया इस प्रकार के टैक्सेज़ को लगाने के बारे में। बजट स्टडी की जो हमें कॉपी दी गई है उसमें यह बताया गया है। जिन जिन राज्यों ने अपने यहां की जनता से कर्जे रेज़ किये हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी राजस्थान की सरकार ऐसी सरकार है जिसने जनता से सबसे कम कर्जा लिया। हमारे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है: उत्तर प्रदेश ने अरबों रुपयों का कर्जा लिया है जनता से। हमारी सरकार ने अब तक केवल १९ करोड़ रुपया ही वसूल किया है। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पब्लिक ऋण का सवाल है हमारी सरकार के लिये हम कह सकते हैं कि हमारी राजस्थान सरकार ने अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम ऋण लिया है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने चम्बल योजना बनाई। उसके साथ भाखरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक योजना में खर्च किया, भाखरा बान्ध में रुपया लगाया, चम्बल बान्ध में रुपया खर्च किया इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपये हमने खर्च किये। इस तरह से राज्य की सम्पत्ति को बढ़ाया है। इससे जाकर राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।

अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि क्या राजस्थान की जनता को और टैक्स करने की गुंजाइश है? इस बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, हमें देखना होगा कि राजस्थान की जनता पर टैक्स का भार कितना है। हमारे यहां पर्सेंटज ऑफ टैक्सेशन आता है १९½। इसके साथ ही जो एडवान्स्ड स्टेट्स हैं उनके फीगर्स जैसे आसाम, आंध्र, बम्बई हैं उनके यहां टैक्सेशन बहुत कम है। यह एक ऐसा विषय है जिस ओर सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में चिन्ता प्रगट की है और कहा है कि आया हम प्रति वर्ष इस तरह से टैक्सेशन का बोझ लादते रहे तो क्या जनता यहां की इस प्रकार की स्थिति में है क्योंकि वह इस प्रकार टैक्स भार वहन करती रहे? क्या इस प्रकार की सरकार के पास मशीनरी है जो इस बात को कह सके? मैं चाहता हूँ इस प्रकार की मशीनरी जो हमारे यहां नहीं है उस ओर सरकार ध्यान दे तो बहुत अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो जनलेखा समिति प्रति वर्ष कहती है वह सबसे अहम बात है। हमारी आय विभिन्न डिपार्टमेंट्स द्वारा कितनी होती है और कितनी आय होनी चाहिये, इसके बारे में ऑडिट होना चाहिये। जितने भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स हैं, जो टैक्स आदि वसूल करके खजाने में दाखिल करते हैं क्या उतनी ही आमदनी वाजिब थी जितनी दाखिल की गई या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। हमारी जनलेखा समिति ने जो राय व्यक्त की है उसके अनुसार जो जो अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स की इनकम का स्टेट ऑडिट होना चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो बचत वित्त मंत्री महोदय ने बतलाई है उससे भी अधिक बचत हो सकती है या नहीं, यह भी देखने की बात है। इसके बारे में एस्टीमेट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट ६०-६१ की विकास

Page No.108

(श्री भीमसेन)

के बारे में दी है उस ओर में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्षेत्रीय विकास अधिकारी की जगह को एबोलिश करके इस समिति की रिपोर्ट को माना है। ४६ प्रसार अधिकारी समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी की पोस्ट समाप्त करके प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर अमल किया है। एक सबसे अहम बात है, कुछ सिफारिशें समिति ने दी हैं वे ध्यान देने योग्य हैं। संचालक आॅफ ट्रेनिंग, विकास विभाग-यह पद ऐसा है इनके अन्तर्गत पांच ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जिन पर ये केवल सुपरवीज़न करते हैं, समय समय पर वे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चालू करते हैं। इतने छोटे से काम के लिये इतने बड़े अधिकारी का खर्चा वाजिब मालूम नहीं होता। इस बारे में यह कहा जा सकता है कि कुछ पर्सेन्टेज केन्द्रीय सरकार से मिल जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल यह कहना कि केन्द्रीय सरकार से हमें कुछ खर्चा मिल जाता है, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को रखना वाजिब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कर रहे हैं ?

श्री भीमसेन : मैं चल रहा हूँ। I will continue it.

श्री उपाध्यक्ष : May Continue even to-morrow.

श्री भीमसेन : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कर्यवाही ५ बज कर १ मिनट पर मंगलवार, १४ मार्च, १६६१ के म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १३ मार्च, १९६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक — स्कम्भ २१५५

धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी व बसेड़ी तहसीलों में अनधिकृत रूप से खेती करने वाले किसानों के विरूद्ध कार्यवाही।

गेगल चौकी के पास अजमेर पुलिस द्वारा एक ट्रक में दूध पाउडर की नाजायज़ बोरियों का पकड़ा जाना।

'कोविद' एवं 'परिचय' परीक्षा पास व्यक्तियों की राज्य-सेवाओं में नियुक्ति।

प्रांत के कार्पेन्टरी, टेलरिंग व चमड़े के केन्द्र।

तहसील पंचभद्रा व सिवाना में खालसा भूमि पर नियमानुसार काश्त करने वाले लोगों से जुर्माने की वसूली।

भूमि की पैमायश।

पाली व रोहट छाया खंडों में बैल खरीदने हेतु तकावी ऋण।

पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य करने वाले ट्रेन्ड मैट्रिक व ट्रेन्ड इंटर की योग्यता वाले अध्यापकों की पदोन्नति।

ग्राम पूनायता, पाली के भूमिहीन बावरियों को भूमि दिलवाना।

योग्यतानुसार वेतन का निर्धारण।

ग्राम बायद (पाली) के जटियों को कुंआ बनाने हेतु रकम दिलवाना।

राष्ट्रीयकरणकृत पुस्तकों की अनुपलब्धि।

कोटपूतली—नारेड़ा सड़क।

अध्यापक से लेखक तथा लेखक से अध्यापक बनने के सम्बन्ध की विज्ञप्ति की अवहेलना।

केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्री, श्री डे को कुंआ निर्माण हेतु प्रदत्त तकावी ऋण का उपयोग।

कन्या मिडल स्कूल, अकलेरा

में अध्यापिकाओं का अभाव ।

तकावी ऋण के समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

रंगा फिज़िकल इन्स्टिट्यूट, बीकानेर को सहायता ।

चुरू जिले में आबादी भूमि छुड़वाने के सम्बन्ध में कार्यवाही ।

बांसवाड़ा जिले की आदिम जातियों के लाभार्थ स्थित उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र ।

लूणकरणसर तहसील के पंचायत क्षेत्रों में गोचर भूमि नहीं छोड़ी जाना ।

मुख्य सड़कों पर डामर न होने तथा अपरोच रोडों पर डामर होने के बाबत ।

पाली तहसील के उमकली ग्राम में गोचर, पड़त व काश्त की जमीन ।

अफ्रीका में कोलोनाइजेशन की ट्रेनिंग लेने हेतु भेजा गया व्यक्ति ।

भंवरलाल पटवारी, बर मण्डल (प्रतापगढ़) के विरुद्ध हुई शिकायत पर कार्यवाही ।

विधान सभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रातः ११–७ बजे से प्रारम्भ हुई ।

प्रश्न

आज की प्रश्न सूची में २८ तारांकित प्रश्न थे जिनमें से २५ पूछे गए एवं उनके उत्तर दिये गए । इनमें से १७ प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गए ।

अवशेषी ३ प्रश्न सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के करण नहीं पूछे जा सके ।

आयव्ययक, १९६१–६२ २२१८

प्रथम अवस्था–सामान्य वाद-विवाद

आयव्ययक, १९६१–६२ पर आज सामान्य वाद–विवाद आरम्भ हुआ । इसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री तनसिंह

(२) श्री पी० के० चौधरी

(३) श्री दयाकृष्ण विजय

(४) श्री रामप्रसाद लड्ढा

(५) राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)

(६) रावल श्री नरेन्द्रसिंह

(७) श्री भैरवलाल कालाबादल

(८) श्री चन्दनमल वैद

(९) श्री लक्ष्मीचन्द

श्री भीमसेन बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे मंगलवार, दिनांक १४ मार्च, १९६१ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १४ मार्च, १९६१ की
कार्य–सूची

आय–व्ययक, १९६१–६२ पर सामान्य वाद–विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६४ का उत्तर देखिये)

नाम तहसील	सन् ६० में भूमिहोनों को जो भूमि दी गई।	भूमि का रकबा जिस पर अनेधिकृत कब्जा है।	मामले जो गैर कानूनी जोत के कारण चलाये गये हैं।	विचाराधीन मामले।
१	२	३	४	५
धौलपुर	३६१६ बीघा	३६९८ बीघा	३७३	–
बाडी	२१२० ,,	६७२ ,,	२०६	१६
बसेड़ी	६११ ,,	४८५ ,,	५४	–
राजाखेड़ा	२४ ,,	११६१ ,, १६ बि.	५०४	२७१

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६७ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान में जो कारपेंट्री केन्द्र, टेलरिंग केन्द्र तथा चमड़े केन्द्र जहां जहां चलाये जा रहे हैं उनकी जिलेवार तथा तहसीलवार सूची

क्र० सं०	उद्योग का नाम	जगह	तहसील	जिला	मासिक वृति की दर	छात्रों के प्रवेश का प्रावधान	विभाग द्वारा पंचायत समिति द्वारा
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	सिलाई केन्द्र	सेवाड़ी	बाली	पाली	१५ रु०	१५	पंचायत समिति, पाली
२.	,,	सलूम्बर	सलूम्बर	उदयपुर	,,	,,	विभाग द्वारा
३.	,,	ऋषभदेव	खेरवाड़ा	उदयपुर	,,	,,	खेरवाड़ा पंचायत स०
४.	,,	कैलवाड़ा	शाहबाद	कोटा	,,	,,	शाहबाद पंचायत स०
५.	,,	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,	,,	विभाग द्वारा

१	२	३	४	५	६	७	८
६.	सिलाई केन्द्र	सागरवाड़ा	सागरवाड़ा	डूंगरपुर	१५ रु०	१५	डूंगरपुर पंचायत स०
७.	,,	आबू रोड़	आबूरोड़	सिरोही	,,	,,	विभाग द्वारा
८.	,,	विजयनगर	विजयनगर	अजमेर	२५ रु०	२०	पंचायत स०, मसूदा
९.	,,	जयपुर	जयपुर	जयपुर	१५ रु०	१५	विभाग द्वारा
१०.	,,	आंशिककालीन राजमहल	देवली	टोंक	,,	,,	पंचायत स०, देवली
११.	,,	सवाई माधोपुर	स० माधोपुर	स० माधोपुर	,,	,,	विभाग द्वारा
१२.	,,	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	,,	,,	,,
१३.	,,	नोखा	नोखा	बीकानेर	,,	,,	,,
१४.	,,	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	,,	,,	,,
१५.	,,	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	,,	,,	,,
१६.	,,	कोटा	कोटा	कोटा	,,	,,	,,
१७.	,,	बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
१८.	सिलाई केन्द्र	सीकर	सीकर	सीकर	१५ रु०	१५	विभाग द्वारा
१९.	,,	मुकन्दगढ़	मुकन्दगढ़	झुन्झूनू	,,	,,	,,
२०.	,,	नागोर	नागोर	नागोर	,,	,,	,,
२१.	,,	मावली	मावली	उदयपुर	,,	,,	मावली पंचायत स०
२२.	,,	चाकसू	चाकसू	जयपुर	,,	,,	चिड़ावा पंचायत स०
२३.	,,	महरामपुर	महरामपुर	झुंझुनूं	,,	,,	विभाग द्वारा
२४.	,,	खंडेला	खंडेला	सीकर	,,	,,	पंचायत स०, किशनगढ़
२५.	,,	किशनगढ़	किशनगढ़	अजमेर	,,	,,	विभाग द्वारा
२६.	,,	सिरोही	सिरोही	सिरोही	,,	,,	,,
२७.	,,	जालोर	जालोर	जालोर	,,	,,	,,
२८.	,,	बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर	,,	,,	,,
२९.	,,	पाली	पाली	पाली	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
३०.	सिलाई केन्द्र	फलोदी	फलोदी	जोधपुर	१५ रु०	१५	विभाग द्वारा
३१.	,,	राजसमन्द	राजसन्द	उदयपुर	,,	,,	पंचायत समिति, राजसमन्द
३२.	,,	चित्तौड़	चित्तौड़	चित्तौड़	,,	,,	विभाग द्वारा
३३.	,,	डीग	डीग	भरतपुर	,,	,,	,,
३४.	,,	भुसावर	भुसावर	भरतपुर	,,	,,	पंचायत स०, वेयर
३५.	,,	सरदारशहर	सरदारशहर	चुरू	,,	,,	,,
३६.	,,	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	,,	,,	,,
३७.	,,	रींगस	श्रीमाधोपुर	सीकर	,,	,,	विभाग द्वारा
३८.	,,	नयावास	नीम का थाना	सीकर	,,	,,	पंचायत स०, नीम का थाना
३९.	,,	कुशालपुरा	सौजत	पाली	,,	,,	पंचायत स०, रायपुर
४०.	,,	नलवई	चित्तोड़	चित्तौड़गढ़	,,	,,	पंचायत स०, चित्तौड़

१	२	३	४	५	६	७	८
४१.	सिलाई केन्द्र	इकरण	भरतपुर	भरतपुर	१५ रु०	१५	पंचायत स०, सेवर
४२.	,,	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	,,	,,	विभाग द्वारा
४३.	,,	बलंचितपुरा	रूपवास	भरतपुर	,,	,,	पंचायत स०, रूपवास
४४.	बढ़ईगिरी केन्द्र	गुरां	कोटड़ा	उदयपुर	,,	,,	पंचायत स०, कोटड़ा
४५.	,,	जावर	गिरवा	उदयपुर	,,	,,	पंचायत स०, गिरवा
४६.	,,	खमेरा	घाटोल	बांसवाड़ा	,,	,,	पंचायत स०, घाटोल
४७.	,,	फलोज	डूंगरपुर	डूंगरपुर	,,	,,	पंचायत स०, डूंगरपुर
४८.	,,	गोयला	केकड़ी	अजमेर	३० रु०	१०	पंचायत समिति, भिनाय
४९.	,,	अलवर	अलवर	अलवर	१५ रु०	१५	विभाग द्वारा
५०.	,,	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	,,	,,	,,
५१.	,,	कुचामन सिटी	कुचामन	नागोर	,,	,,	,,
५२.	,,	डूंगरगढ़	डूंगरगढ़	चुरू	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
५३.	बढ़ईगिरी केन्द्र	रामगढ़	रामगढ़	अलवर	१५ रु०	१५	पंचायत स०, रामगढ़
५४.	,,	कोटपुतली	कोटपुतली	जयपुर	,,	,,	विभाग द्वारा
५५.	,,	रेलमगरा	रेलमगरा	उदयपुर	,,	,,	पंचायत स०, रेलमगरा
५६.	,,	कालियास	मांडल	भीलवाड़ा	,,	,,	पंचायत स०, आसीन
५७.	,,	हिन्डौन	हिन्डौन	सवाईमाधोपुर	,,	,,	विभाग द्वारा
५८.	,,	भुसावर	भुसावर	भरतपुर	,,	,,	पंचायत स० वेयर
५९.	,,	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़	चुरू	,,	,,	विभाग द्वारा
६०.	,,	बोरूंदा	बिलारा	जोधपुर	,,	,,	पंचायत स०, बिलारा
६१.	चमड़े के केन्द्र	बारां	बारां	कोटा	,,	,,	विभाग द्वारा
६२.	,,	डीग	डीग	भरतपुर	,,	,,	,,
६३.	,,	बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	,,	,,	,,
६४.	,,	नांदला	अजमेर	अजमेर	,,	,,	पंचायत स०, पीसागन

१	२	३	४	५	६	७	८
६५.	चमड़े के केन्द्र	सांगानेर	सांगानेर	जयपुर	१५ रु०	१५	पंचायत स०, सांगानेर
६६.	,,	पोकरण	पोकरण	जैसलमेर	,,	,,	विभाग द्वारा
६७.	,,	चुरू	चुरू	चुरू	,,	,,	,,
६८.	,,	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	,,	,,	,,
६९.	,,	अजमेर	अजमेर	अजमेर	२५ रु०	१०	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७० का उत्तर देखिये)

नाम जिला	नाम तहसील	सन भू प्रबन्ध व भूमि नाप होने की खालसा	खालसा	अवधि बन्दोबस्त खालसा	जागीर
१	२	३	४	५	६
१. गंगानगर	१. भादरा	१९२६	१९५१	३० साल	५ साल
	२. नोहर	१९२६	१९५०	,,	६ ,,
	३. हनुमानगढ़	१९४५	१९५२:५३	,,	२३ ,,
	४. सुरतगढ़	१९४४	१९५०	,,	१२ ,,
	५. रायसिंहनगर	१९४५	१९५०	,,	१२ ,,
	६. अनोपगढ़	१९४५	१९५०:५१	,,	१२ ,,
	७. पदमपुर	१९४४	१९५१	,,	१२ ,,
	८. गंगानगर	१९४४	१९५१	,,	१२ ,,
	९. श्री करणपुर	१९४४	१९४५	,,	१२ ,,
२. चुरू	१. चुरू	१९२६	१९५१:५२	,,	१२ ,,
	२. तारानगर	१९२६	१९४८	,,	१२ ,,
	३. सुजानगढ़	१९२६	१९५१:५२	,,	१२ ,,
	४. रतनगढ़	१९२६	१९५१:५२	,,	१२ ,,
	५. राजगढ़	१९२६	१९५०	,,	१२ ,,
	६. सरदारशहर	१९२५:२६	१९५१:५२	२० साल	५ ,,
	७. श्री डूंगरगढ़	१९५८:५९	१९५८:१९५९	,,	२० ,,
३. बीकानेर	१. बीकानेर	१९२६	१९५२:५३	३० साल	१२ ,,

१	२	४	५	६
	२. नोखा	१६२६	१६५१	३० साल	१५)
	३. लूणकरणसर	१६२६	१६५१	,,	५ ,,
	४. श्रीकोलायतजी	१६२६	१६५१:५२	,,	१२ ,,

साविका बीकानेरः मगरा:

नोट:—खालसा ग्रामों में बारानी आराजी की अवधि बन्दोबस्त ३० साल है। नाली की २० साल और नहरी की १० साल रखी गई है।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७१ का उत्तर देखिये)

पाली व रोहट छाया खंडों में सन् १६५६ व ६० में बैल खरीदने के लिये निम्न व्यक्तियों को तकावी दी गई थी

समिति	नाम	ग्राम	रकम
पाली	१. श्री शंकरलाल पुत्र नारायण	इमवरी	२५०)
पाली	२. श्री कनीया पुत्र हुक्मा	मण्डीया	७००)
रोहट	३. श्री प्रेमभारती पुत्र किशनाराम	दूदीया	२५०)
,,	४. श्री मोडीया पुत्र जवान	कुलथाना	२५०)
,,	५. श्री गोमला पुत्र रावत	खुण्डावास	२५०)
,,	६. श्री तख्तसिंह पुत्र लालसिंह	मोरिया	२५०)
,,	७. श्री लच्छा पुत्र वींजा	कलाली	२५०)
,,	८. श्री खीमला पुत्र वला	नीमली	३००)
,,	९. श्री लूणसिंह पुत्र भूरसिंह	धोलेरियासासण	२५०)
,,	१०. श्री लिखमा पुत्र पूरा	जैतपुर	२५०)
,,	११. श्री लादाराम पुत्र चौथराम	मण्डली दर्जियान	२५०)
,,	१२. श्री वंसीदास पुत्र भगवानदास	ढूंढसी	२५०)
,,	१३. श्री हकिया पुत्र दुर्गा	सुकरलाई	२५०)

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८५ का उत्तर देखिये)

नाम तहसील	नाम पंचायत	नाम ग्राम	किस स्टेज पर किन किन अधिकारियों के कार्यालय में चालू	रिमार्क
१	२	३	४	५
१. रतनगढ़	१. रतनादेसर	रतनादेसर	सब डिविजनल ऑफिसर के कार्यालय में	
	२. सिमसिया	नूंवा	,,	सरकारी भूमि
२. सरदारशहर	३. सांवतसर	सावतसर	जोइन्ट डेवलपमेन्ट कमीशनर पंचायत, राजस्थान, जयपुर एवं सब-डिविजनल ऑफिसर, चुरू	खातेदारी भूमि
	४. देराजसर	सारसर	,,	,,
	५. दूलरासर	दूलरासर	,,	,,
	६. भीकमसरा	भीकमसरा	तहसील सरदारशहर	,,

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
	७. फागां भरथरी	पुनसीसर	तहसीलदार सरदारशहर	सरकारीभूमि
३. तारानगर	८. रेडी	रेडी	जोइन्ट डेवलपमेन्ट कमिश्नर पंचायत राजस्थान, जयपुर	,,
	९. साहवा	साहवा	,,	खातेदारी भूमि
	१०. सोमसीसर	सरायण	कमीशनर, बीकानेर डिविजन, बीकानेर	,,
	११. सोमसीसर	पुनसीसर	,,	सरकारी भूमि
	१२. त्रांय	त्रांय	,,	,,
	१३. गाजुवास	गाजुवास	,,	,,
	१४. रेडी	मेघसर	,,	,,
४. राजगढ़	१५. नौरंगपुरा	नौरंगपुरा	जोइन्ट डेवलपमेन्ट कमीशनर(पंचायत), राजस्थान जयपुर	
	१६. कांजन	कांजन	,,	खातेदारी भूमि

१	२	३	४	५
	१७. चैनपुरा छोटा	ढाणा	कमीशनर, बीकानेर	सरकारी भूमि
	१८. नीमां	जसवन्तपुरा	,,	,,
	१६. सुलखनिया	सुलखनिया	,,	,,
	२०. घनाऊ	घनाऊ	सब डिवीज़नल आफिसर राजगढ़	,,
	२१. लाखलान	खेड़ी	,,	,,
	२२. नौरंगपुरा	ठिमाऊ	,,	,,
	२३. रतनपुरा	रतनपुरा	,,	,,
	२४. खैरू बड़ी	बालान	,,	,,
	२५. मेहलाना उतरादा	मीठड़ी	तहसील राजगढ़	,,
	२६. गालड़	गालड़	,,	,,
	२७. धानोटी बड़ी	नांगल	,,	,,
	२८. रामपुरा	रामपुरा	,,	,,

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
	२६. सिधमुख	सिधमुख	तहसील रतनगढ़	,,
५. डूंगरगढ़	३०. सूड़सर	टेऊ	कमिश्नर बीकानेर	सरकारी भूमि
	३१. आड़सर	आड़सर	,,	,,
	३२. सेरूना	नारसीसर	,,	,,
६. सुजानगढ़	३३. दूंकर	दूंकर	लैण्ड एक्वीजेशन ऑफीसर, जोधपुर	खातेदारी भूमि

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिये)

कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, दिनांक १-६-५८

मैं आपका ध्यान प्रतापगढ़ तहसील की ओर दिला कर एक पटवारी ने जो राष्ट्रीय अर्थ को हड़पने का प्रयास कियां है का उल्लेख करता हूँ। विवरण जो दिया जा रहा है सही एवं तथ्यपूर्ण है :

कि लगभग ४ योम हुए पटवारी सर्कल बर मंडल, तहसील प्रतापगढ़ ने गांव बर मण्डल में ७ रसीदात में रुपये २५०) के करीब खयानत किया। बाद में मालूम हो जाने पर रसीदों में दुरुस्ती कर दी गई। रसीद प्रथम एवं द्वितीय पर रकम कम तथा तृतीय पर ज्यादा रकम दर्ज की गई। उक्त गांव में लम्बरदार के विद्यमान होते हुए भी पटवारी स्वयं ने रकम वसूल की जो कानूनन अवैध है। मौजा बर मण्डल की रसीद बुकें जो हाल ही में चालू की गई उन्हें संख्या ७० से ६० (फर्स्ट, सेकिन्ड एवं तृतीय) मध्य तक आप अवश्य ही निरीक्षण करें कि किस प्रकार रसीदों में काट फांस हुआ है।

इस बात का पुनः फैसला सर्कल इन्सपेक्टर की उपस्थिति में हुआ। ज्यादा रकम जिन लोगों से ली वह लौटा दी गई और पटवारी ने जो कानून की दृष्टि से गलत कार्य किया उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले की जांच के पूर्व या तो आप सी. आई. एवं पटवारी को सस्पेंड या स्थानान्तर करें या सडन प्रोग्राम बनावें।

स्मरण रहे कि उक्त पटवारी इससे पूर्व भी कई खयानतें कर चुका है। किन्तु जानकारी हो जाने पर भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। स्वतन्त्र भारत में ऐसे लोगों का होना राष्ट्र के लिये कलंक है। एक ओर हम लोगों का विकास करने की योजना बनाते हैं वहां दूसरी ओर इन गरीबों से इस प्रकार पैसा हड़प लिया जाता है। आशा है, आप अवश्य ही मौके पर पहुँच जांच करेंगे अन्यथा मामला शीघ्र ही खुफिया विभाग को सौंप दिया जायेगा।

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७६ का उत्तर देखिये)

OFICE OF THE DIRECTOR OF EDUCATION RAJASTHAN,
BIKANER.

O R D E R.

In regard to the transfer to teachers as Clerks and vice versa the following decisions were arrived at in the Administrative Officers Conference held at Jodhpur in December, 1957:—

1. The teachers possessing qualifications below that of High School may not be made clerks.

2. That if non-matric teachers are working as clerks for the last five years and their immediate officers consider them useful for the work their cases be submitted to the Director of Education for his sanction.

3. That transfers be made in the grade of L. D. C. only.

4. That no trained teacher be allowed the choice of transfer.

5. That transfer of ministerial staff to teaching establishment be allowed for those subjects only in which there is dearth of teachers.

6. That migration from the ministerial cadre to the teaching establishment be allowed for once only and that too upto the age of 30 only.

7. That if a clerk has received special training on Govt. expenses he can be transferred to teaching establishment after the expiry of the period of his agreement, if any.

The officers concerned are, therefore, requested kindly to take action accordingly in this connection.

Sd/-
Director of Education,
Rajasthan, Bikaner.

No. EDB/Estt. (G) 8013/47 (58) dated 20-5-58

Copy to:—

All subordinate officers.

परिशिष्ट

LIST OF INCUMBENTS NOT ALLOWED TO CHANGE THEIR CADRE FROM CLERK TO TEACHER AND VICE VERSA.

S. No.	Name of the incumbent	Designation	Place of Posting	Reasons for not allowing them to change their cadres.	Remarks.
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Hanswantmal, Inter Arts	LDC.	GHSS., Jetaran	As he does not fulfil the condition No. 5 prescribed in Circular.	
2.	Shri Surajmal, B. A.	—do—	DIGS. Office, Ju.	—do—	
3.	Shri Vallabh Dutta, Hindi Ratan	—do—	Tehsil. Pali.	—do—	
4.	Shri Khima Ram Lohar, Inter Arts.	—do—	IOS. Office Sirohi.	He has already been allowed to change his cadre from teacher to LDC and 2nd change is not permissible.	
5.	Shri Kishanlal, I. Com.	—do—	MGHSS. Jodhpur	As he does not fulfil the condition No. 5 precribed in the circular, Moreover his services were better utilised as clerk in view of dearth of experienced clerk in the Deptt.	

1	2	3	4	5	6
6.	Shri Ban Raj Joshi, B. A.	UDC.	GHS. Raipur	—do—	
7.	Shri Madan Lal, Inter Arts	LDC.	IOS. Office, Sirohi	—do—	
8.	Shri Bhanwarlal	—do—	IOS. Office, Pali	—do—	
9.	Shri Gopikishan	Teacher	GPS. No. 2, Pali	Not allowed to change from teacher to clerk as he was not a suitable hand for clerkship	

———

परिशिष्ट

LIST OF INCUMBENTS ALLOWED TO CHANGE THEIR CADRE FROM CLERK TO TEACHER & VICE VERSA

S. N.	Name of the incumbent	Designation	Place of posting	Reasons for allowing the change	
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Suresh Kumar, Matric	L. D. C.	C. H. S., Bilara	He was allowed to change from clerk to teacher in the grade of 50—80 as per recommendation by the I. O. S., Pali & Jodhpur in the interest of the Deptt.	
2,	Shri Natwar Lal Joshi, Matric	L. D. C	—	Allowed from clerk to teacher as per D. E. Order.	
3.	Shri Giriraj Pd., Matric	Teacher	G. H. S. Samdari	In the interest of Deptt. he was allowed to change from teacher to clerk.	
4.	Shri Nand Kishore)	Teacher	—	Both were allowed to change from teacher	
5.	Shri Baldeo Das)	,,	—	to clerk for Jaisalmer Distt. as no one like to go there.	
6.	Shri Hari Bhai	Teacher	—	From teacher to clerk in the interest of the Government.	

1	2	3	4	5	6
7.	Shri Mirza Habib	Teacher	—	From teacher to clerk in the interest of Department.	
8.	Shri Khima Ram Lohar	Teacher	—	—do—	
9.	Shri Narain singh	Clerk Forest Deptt,	at present teacher, GHSS, Sirohi	Allowed from clerk to teacher in the interest of the Department.	
10.	Shri Budhmal	L. D. C.	GHSS, School, Sojat City	Allowed due to his craft qualifications in which there is dearth of qualified teachers.	

....——

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८० का उत्तर देखिये)

तकावी के लिए प्रार्थना-पत्र

१.	प्रार्थी का नाम :–	श्री एस. के. डे
२.	पिता नाम :–	स्वर्गीय श्री पद्मालोचन डे
३.	जाति:–	हिन्दू, बंगाली कायस्थ
४.	व्यवसाय व काश्त की प्रकार :–	मुलाजमत, खुद–काश्त
५.	निवास स्थान :–	शिवपुर, हाल मकान देहली
६.	कार्य जिसके लिए ऋण की आवश्यकता है :–	पक्का कूंआ बनवाने के लिए
७.	जिस ऋण की आवश्यकता है उसकी रकम बिना ब्याज के :–	३०००) रु०
८.	जमानत की प्रकार :–	....
९.	खेत का क्षेत्रफल जो अधिकार में है :–	२७ बीघा ९ बिसवा
१०.	क्या पहले कोई ऋण लिया गया था, यदि हां तो क्या वह पूरा अदा कर दिया गया है या कुछ बकाया है:–	नहीं
११.	सालाना लगान कितना दिया जाता है :–	२५)रु०
१२.	क्या लगान की कोई बकाया बाजिब है :–	नहीं

१३. जमीनों का नाम व अन्य विवरण:— ———

१४. क्या प्रार्थी और जमीनों की सम्पत्ति जो रकम रखी जाती है किसी भी प्रकार:— के भार से मुक्त है :— हां

१५. ऋण कितनी किश्तों में चुकाया जायगा :— १६ किश्तों में

एस डी०—एस० के० डे
हस्ताक्षर प्रार्थी

दिनांक ३० जून, १९५८.

———

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, १३ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२१५५	अन्तिम से २	के विरूद्ध	के विरुद्ध
२१५६	शीर्षक	३१५६	२१५६
,,	१४	दूफ के	दूध के
२१७१	५	श्री अपनूसिंह	श्री अनूपसिंह
,,	१६	क शरह	की शरह
,,	अन्तिम	टेपासर्स	ट्रेस्पासर्स
२१७६	,, से ४	पचायत	पंचायत
२१७८	६	वरिष्ढता	वरिष्टता
२१८५	६	तनख्वाइ	तनख्वाह
२१८८	१४	किस तहसीलों	किस तहसील
२१९१	अन्तिम से४	छलू,	लूछ
२१९३	१५	प्रक्टिकली	प्रेक्टिकली
२२०१	१४	विरूद्ध	विरुद्ध
२२०६	८	विज्ञति लागू	विज्ञप्ति लागू
२२१२	२	श्री जगदीशप्राद	श्री जगदीशप्रसाद
,,	६	श्री जगदीशसाद	,, ,,
२२१८	अन्तिम से४	दटिकोण	दृष्टिकोण
२२२१	१५	केटिल आउट लें	केपिटल आउटले
२२२४	३	खर्ज कर	खर्च कर
२२२८	२१	देख।	देखे।
,,	२६	सभी मदा	सभी मदों
,,	२९	आर वहां	और वहां
२२४१	१८	एस्टोमेट्स	एस्टीमेट्स
२२५१	२	फेम करना	फेस करना
,,	२३	रीऑर्गेनाइजशन	रीऑर्गेनाइज़ेशन
२२५४	६	इन्डस्ट्रीज़ वी	इन्डस्ट्रीज़ की
२२५६	१	होता है	होती है
,,	२२	लकिन	लेकिन

(२)

१	२	३	४
२२५८	१६	को ५–१०	५–१०
,,	१८	se ctioons	sections of
२२६१	७	इन्जीनियरिंग कॉलेजेज़	इन्जीनियरिंग कॉलेज
२२६२	२२	टोन की	लोन की
२२६४	५	(छुवड़ा)	(छकड़ा)
,,	अन्तिम से ३	विासियों	निवासियों
२२६६	२८	करस कते	कर सकते
२२६८	१४	को बचत	की बचत
२२७४	७	अब मैं आपके सामाने जो द्वा । धाव	अब मैं द्वारा धान
२२८०	२५	वहां पर । रहने	वहां पर रहने
,,	अन्तिम	कोटा,	कोटा
२२८१	,, से ४	माना में.	मात्रा में
२२८४	४	प्लॉटस का	प्लॉट्स का
२२८६	१४	नकेर आती	नजर आती
२२८७	१७	भोज का	भोजन का
२२८६	१६ व २४	रूचि	रुचि
२२६३	११	है डिटी	हैं डिप्टी
,,	१२	समात करने	समाप्त करने
,,	१४	हो सकें	हो सके
,,	१६	सवाल आता	सवाल आता
,,	अन्तिम से ४	री ऑगेनाज करने वाली	रीऑर्गेनाइज़ करने वाली
२२६४	२२	स्टम्स	स्टाम्प्स
२२६५	१६	का युनिटी	कॉम्युनिटी
२२६६	शीर्षक	हामान्य	सामान्य
२३००	२७	लिये । और	लिये और
२३०३	८	पीते भी	भी पीते
२३०५	१८	सावन निकाले	साधन निकाले
२३१०	१०	वियष में	विषय में
२३१३	७	का छोटी	का, जो छोटी
,,	१६	अन्डर्केकिंग्ज	अन्डर्टेकिंग्ज़
२३१४	२१	छोटे धन्धे छोटे	छोटे छोटे धन्धे

१	२	३	४
२३१७	शीर्षक	१९६१-६१	१९६१-६२
२३२०	१६	अनुमोन	अनुमानं
२३२१	१६	अन्डरकेकिंग्ज़	अन्डरटेकिंग्ज़
२३२५	२८	डेयलपमेन्ट	डेवलपमेन्ट
२३२८	१०	युद्ग	युद्ध
२३२९	५	प्नकार	प्रकार
२३३१	शीर्षक	अय-व्ययक	आय-व्ययक
२३३३	अन्तिम से ३	डेते हैं	देते हैं
२३३५	५	सिरोज	सिरोंज
२३३६	२७	वाद हैं।	वाद हैं।
,,	अन्तिम से ४	इसको ओर	इसकी ओर
२३३८	१७	हटा द	हटा दें
२३३९	१७	क्या होगा?।	क्या होगा ?
,,	२५	बनावें	बनावें
२३४१	२८	चुकासें	चुकायें
२३४२	२९	परवाह किया	परवाह किये
२३४६	शीर्षक	वाद-विवाव: २३४६	वाद-विवाद (२३४६
,,	११	आह्वाहन	आह्वान
२३४८	अन्तिम से ४	इसलियेये में	इसलिए मैं
२३५०	६	ऋणां	ऋण
२३५६	१०	ग्रामीण जनता	ग्रामीण क्षेत्रों
२३५७	७	हमैं	हमें
२३६३	३१	shonld	should
२३६७	अन्तिम पंक्ति	पर्सेंटज	पर्सेन्टेज
२३७३	६-७	छुज़वाने	छुड़वाने
२३७७	कॉलम ३, पंक्ति २	अनेधिकृत	अनधिकृत
२३७९	कॉलम ४, पंक्ति १	सागरावड़ा	सागवाड़ा
२३८१	क्रम संख्या ३९,कॉलम ४	सौजत	सोजत

१	२	३	४
२३८१	क्रम संख्या ३५ व ३६, कॉलम ८,	सौजत	विभाग द्वारा
२३८६	कॉलम ६, पंक्ति १	१५ I ाल	१५ साल
२३८७	कॉलम ३, पंक्ति ६	धोलेरियासासण	धोलेरियासासंणा
२३८६	कॉलम ४, पंक्ति १	तहसीलदार	तहसील
२३६७	कॉलम ५, पंक्ति ११	like to go	liked to go

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
विषय-सूची	४	(२३७०	(२३७७
२१६५	शीर्ष	(श्री हरिभाऊ उपाध्याय	(श्री हरिश्चन्द्र)
२२२६	शीर्षक	१६६१–६१	१६६१–६२
२२३३	शीर्ष	(श्री तैनसिंह)	(श्री तनसिंह)
२२६५	शीर्ष	दयाकृय्ण	दयाकृष्ण
२३०१	शीर्षक	१६५१–६२	१६६१–६२
२३०३	शीर्षक	आयसु्व्ययक	आय–व्ययक
२३४१	शीर्षक	आव	आय